खण्ड-145, अंक-3
शुक्रवार, 12 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(3 दिसम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 145 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालो राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगनाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल , श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहून राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह , श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मितल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल,श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह , राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती

संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वेश्यावृत्ति पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का विचार

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि सरकार वेश्यावृत्ति पर पूरा प्रतिबन्ध लगाने के विषय में विचार कर रही है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--यह प्रश्न विचाराधीन जरूर है परन्तु अभी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं बन पायी है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विषय में प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में कोई लिखा-पढ़ी या सुझाव का आदान-प्रदान हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुजफ्फर हसन--लिखा-पढ़ी जरूर हो रही है लेकिन वह तो तफ़सील की बात है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विषय में कोई निर्णय हो जाने की कब तक आशा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--अभी यह कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को मालूम है कि वेश्यावृत्ति पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने से वही परिणाम निकल सकता है जो इंग्लैन्ड में निकला है ?

श्री अध्यक्ष--यह विवाद का प्रश्न है ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यहां इम्मोरल ऐक्ट की जो धारायें लागू नहीं हैं उनके लागू करने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यानी कुछ धारायें कुछ जिलों में लागू हैं तो उसकी सारी धाराओं को सरकार क्या सारे प्रदेश में लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और अब तक किन किन मुख्य बातों पर सरकार विचार कर सकी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—दो तीन महीने से इस पर लिखा-पढ़ी हो रही है।

बेकारी दूर करने के निमित्त केन्द्रीय सरकार से सहायता

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से बेकारी दूर करने के निमित्त किसी प्रकार की धनराशि अथवा सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में १२,६७,१३,००० रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया है। अभी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें यह आश्वासन कब मिला और इस आश्वासन के पूरा होने में क्या दिक्कतें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुख्तलिफ़ तारीखों में मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज से ये चीजें तय हुई हैं और वे चालू हैं उनमें कोई खास रुकावट नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)— क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह साढ़े बारह करोड़ रुपया कितनी योजनाओं के लिये है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस १२ करोड़ ६७ लाख रुपये की रक़म में मुख्तलिफ विभागों की स्कीमें हैं। इसमें से नहर विभाग के लिये २ करोड़ ६४ लाख जिसमें से १५ लाख रुपया अनुदान के रूप में है और बाक़ी कर्जे के रूप में । पुनर्वासन विभाग के लिये ५ लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये २ करोड़ ५० लाख, अनुदान के रूप में, शिक्षा विभाग के लिये १४ लाख ९५ हजार, बिजली विभाग के लिये २ करोड़ ३५ लाख, उद्योग विभाग के लिये २० लाख और म्युनिसिपल विभाग के लिये ४,८२,९८ हजार रुपया रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह जो रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है, क्या तमाम योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने पहले से ही निश्चित कर दिया है या राज्य सरकार के लिये छोड़ दिया है कि वह योजनायें स्वयं बना लें ?

श्री मुजफ्फर हसन—ये योजनायें वहां भेजी गयी थीं, वे मंजूर हो गयी हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १२ करोड़ ६७ लाख रुपये में प्रान्तीय सरकार का कितना प्रतिशत रुपया और मिलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता। इतने रुपये की सहायता केन्द्रीय सरकार से दी गयी है, उस से यह स्पष्ट है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रान्त में बेकारों की संख्या कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बेकारों को इन योजनाओं में किस प्रकार से खपाया जायेगा, उनको नौकरी दे करके या कर्जा व प्रांट वगैरह देकर के ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो अलग अलग स्कीम है, उसके मुताबिक होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेकारों में पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है या बेपढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं इजाजत नहीं देता, इसके लिये उन्होंने नोटिस मांगा है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह रक़म जो साढ़े १२ करोड़ की दी गयी है वह एक वर्ष के लिये है या पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तो योजनाओं के ही सिलसिले में है।

अध्यापकों के चुनाव में हरिजनों की संख्या

*३—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अभी जो ३,२०० अध्यापकों का चुनाव हो रहा है उनमें कितने प्रार्थना पत्र ग्रेजुएट्स (Graduates) और अन्डर ग्रेजुएट्स (Under Graduates) के आये हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीता राम)—दीक्षा प्राप्त या कृषि ग्रेजुएटों से ४०४१ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से हरिजनों की संख्या ८ थी। अंडर ग्रैजुएटों से कुल १२,२६१ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिनमें से हरिजनों की संख्या ११८ थी। इसके अतिरिक्त साधारण ग्रेजुएटों से भी ७४८७ प्रार्थना-पत्र आए जिन पर विचार नहीं किया गया।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ३,२०० अध्यापकों के चुने जाने का ऐडवरटिजमेंट किया गया था तो ३,२०० अध्यापक ही चुने गये या कम ?

शिक्षा मन्त्री श्री हरगोविन्द सिंह—थोड़े कम।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने कम अध्यापक चुने गये और क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे ख्याल में २३ सौ २४ सौ के अन्दर ही चुने गये। इसलिये कि इतने ही जूनियर हाई स्कूल्स रूरल एरियाज में थे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उनमें कितने चुने गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—सबको चुना गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी जो चुने गये हरिजन हैं उनकी संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतलाया कि सभी को चुन लिया गया और उनकी संख्या भी बतला दी अब आप हिसाब लगा सकते हैं।

ग्राम भिलावां, थाना आलमबाग, लखनऊ के निवासियों पर पुलिस का अत्याचार

*४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि ५ अप्रैल, १९५४ को ग्राम भिलावां, थाना आलाम बाग़,लखनऊ के निवासियों ने पुलिस के अत्याचार और दमन से ऊब कर डाइरेक्टर, हरिजन वेलफेयर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक प्रार्थना-पत्र अपनी रक्षा के हेतु दिया था और उसकी एक प्रतिलिपि पुलिस मंत्री को भी दी थी ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस प्रकार की कुछ शिकायत लोगों की थी। जांच से यह पता चला कि पुलिस ने मारपीट करने में कुछ ज्यादती की थी। जो शिकायतें साबित हो सकीं उनसे संबंधित पुलिस कर्मचारी को उचित दण्ड दे दिया गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उचित दंड को एक्सप्लेन करने की कृपा करेंगे कि उनका ट्रांसफर किया गया या उनकी तनुज्जली की गयी या उनको किस प्रकार की सजा दी गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उनको स्टेशन आफिसर के बजाय सेंकड आफिसर बना दिया गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी जो प्रार्थना-पत्र हरिजनों ने दिया उसका सारांश बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसमें कई तरह की शिकायतें थीं। एक शिकायत तो थी कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। दूसरी शिकायत थी जिसमें कुछ गोली चलायी गई थी उसके बारे में कहा गया था और तीसरी शिकायत यह थी कि बेजा तौर से लोगों को मारा पीटा गया और गिरफ्तार किया गया। इनमें से आखिरी शिकायत साबित हुई और उस पर कार्यवाही हुई।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—एस० एस० पी० के द्वारा हुई थी।

सूती उद्योग में संकटापन्न स्थिति के संबंध में कानपुर के उद्योगपतियों का स्मृति-पत्र

*५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सूती उद्योग में संकटापन्न स्थिति के सम्बन्ध में कानपुर के उद्योगपतियों ने ३ अप्रैल को एक स्मृति-पत्र द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूती उद्योग में संकटापन्न स्थिति के सम्बन्ध में कानपुर के उद्योगपतियों से ३ अप्रैल का कोई स्मृति-पत्र सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ अप्रैल के अलावा भी उद्योगपतियों का कोई स्मृति-पत्र उनको प्राप्त हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, ३ अप्रैल के अलावा कुछ लोग मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी थीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बातें उनसे हुईं उनमें क्या-क्या मुख्य बातें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---उसमें दो तीन बातें हैं। वह स्मृतिपत्र तो लम्बी है लेकिन दो तीन बातें थीं जो लेबर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हैं। एक तो शिकायत थी कुछ ट्रांसपोर्ट की। उसमें एक अफसर लखनऊ में नियुक्त हुये हैं जो दिक्कतें होती हैं उसको रफा करेंगे। दूसरी शिकायत थी रेशनलाइजेशन के सिलसिले में। उसके बारे में कार्यवाही हो रही है और तीसरी बीज थी ट्रिब्यूनल्स के बारे में। उसमें कोई आधार नहीं है इसलिये कि उसके लिये अपील का मौका है।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रेशनलाइजेशन के सिलसिले में इस वक्त क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि इस तरह से तो हजारों प्रश्न एक प्रश्न के उत्तर से नहीं बनाये जा सकते।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के सूती मिलों की बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने तो अभी जवाब दिया।

देवराई केस (बनारस) के कम्युनिस्ट राजबन्दी

*६---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि देवराई केस (बनारस) के कम्युनिस्ट राजबंदियों को किन-किन जेलों में रक्खा गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---देवराई केस (बनारस) के बन्दी सेंट्रल जेल, बनारस, नैनी, फतेहगढ़ और जिला जेल, फैदाबाद में रक्खे गये हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन बंदियों के साथ किस क्लास का व्यवहार किया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो बंदी जिस योग्य है उसके साथ वैसा व्यवहार होता है।

श्री झारखंडेराय---क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिससे इन बंदियों को एक जेल में एक जगह रखा जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन बंदियों को किन किन दफाओं के अधीन सजायें हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह तो बहुत से बंदी हैं और हर एक के लिये बताने के लिये समय नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह केस कब से चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष--- यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

मान्यता प्राप्त हायर सेकेंड्री स्कूलों के अनुदान पर पुनः विचार

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जिन्हें ५२-५३ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता मिलने के पश्चात् सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ था ?

डाक्टर सीताराम---८।

*८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ५२-५३ में जितने हायर सेकेंडरी स्कूलों को अनुदान दिया गया था पुनः उन पर विचार करने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

*९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कुल कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है पर सरकार द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होती है ?

डाक्टर सीताराम---३५८ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से स्कूल हैं कि जिनको १९५२-५३ में यह सहायता दी गयी ?

डाक्टर सीताराम---आठ स्कूल हैं जिनको सहायता दी गयी । यदि आप नाम चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष---अगर आठ ही नाम हैं तो पढ़ दीजिये।

डाक्टर सीताराम---

१---श्री जनता हायर सेकेंडरी स्कूल अजीतमल, इटावा।
२---श्री जनता शिक्षा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल भारतगंज, इलाहाबाद।
३---श्री सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल जयन्ती, अल्मोड़ा ।
४---श्री अयोध्या प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल शमशाबाद, आगरा।
५---श्री राष्ट्रीय विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल सिलोगो, गढ़वाल।
६---श्री गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल उरई, जालौन।
७---श्री हनुमत रामेश्वर दयाल कपूर विद्यालय बिसवां, सीतापुर।
८---श्री जनता शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल दुबारी, आजमगढ़।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में जिन आठ स्कूलों को सहायता प्राप्त हो सकी थी और जिन पर पुनः विचार करने के लिये सरकार को आदेश दिया गया था उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पहली अक्तूबर के अनुदान की सूची में रख दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ३५८ स्कूलों को सहायता नहीं दी गयी है, क्या १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में उन्हें अनुदान दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में जितने स्कूल रिकग्नाइज हो गये हैं उनको ग्रान्ट दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं । सब को तो नहीं दी गयी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो स्कूल १९५२-५३ के पहले रिकग्नाइज हुए हैं उनको ग्रान्ट न दिये जाने का कुछ विशेष कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, कारण है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार ऐसे स्कूलों की ग्रान्ट वापस लेने का विचार रखती है जिनके यहां काम ठीक नहीं चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो ग्राम सवाल है, इससे संबंधित नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनकी वजह से जो स्कूल १९५२-५३ के पहले रिकगनाइज हो चुके हैं उनको ग्रांट नहीं दी जाती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---जी हां। रिकग्निशन इस तरह से हो चुका है कि उन्होंने शर्तों की पूर्ति नहीं की है लेकिन फिर भी उनका रिकग्निशन हो गया है ग्रौर इसलिये जब तक उन शर्तों की पूर्ति नहीं हो जायगी उनको ग्रान्ट नहीं दी जायगी।

श्री शिवनारायण---जिन स्कूलों ने शर्तों को पूरा नहीं किया है क्या सरकार उनका रिकग्निशन कैंसिल करने का विचार रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---यह प्रश्न सरकार से संबंधित नहीं होता। इसका निर्णय तो बोर्ड ही करता है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ की स्कीम के बाद जिन स्कूलों में इंटर कक्षायें खुली हैं उनको इंटर की ग्रान्ट ग्रभी नहीं मिली है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसा कहीं कहीं हो सकता है।

*१०---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर) (ग्रनुपस्थित)---[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिए स्थागित किया गया।]

हरिजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा

*११---श्री धर्मसिंह (ग्रनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका ऐसा ग्रादेश है कि हरिजन विद्यार्थियों से फीस न ली जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां। प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' ग्रागे पृष्ठ १८०-१८८ पर।)

*१२---श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)---[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

हाथरस की मिलों के बन्द होने से मजदूरों में बेकारी

*१३---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला ग्रलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस (ग्रलीगढ़) में मिल मजदूरों की बेकारी को देखते हुये एक लम्बे समय से बन्द पड़ी हुयी वहां की मिलों को पुनः चालू कराने के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सरकार इन मिलों को चालू रखने के लिये सदैव प्रयत्नशील रही है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इन मिलों का पुनः चलाना कठिन सा प्रतीत होता है।

*१४---श्री हरदयालसिंह पिपल---क्या यह सच है कि हाथरस में बन्द पड़ी हुई मिलों के मिलमालिकों ने मिलों को चलाने में ग्रसमर्थता प्रकट कर दी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सरकार के पास मिल मालिकों की ओर से मिलों के पुनः चलाने का कोई सुझाव नहीं आया है। इस कार्य में उन्हें इस समय असमर्थ ही समझना चाहिये।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार इन मिलों को सहकारिता के आधार पर मजदूरों को चलाने पर देने के ऊपर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इन मिलों की माली हालत ऐसी नहीं है कि यह आसानी से चल सकें।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि हाथरस में लल्ला मल हरदेवदास काटन मिलें मिलमालिकों को वापस कर दी गयी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस में कितनी काटन मिलें हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---दो।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार जो मिलें बन्द हैं उन मिलों पर अथाराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर करके चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---कंट्रोलर मुकर्रर किया जा चुका है लेकिन माली दिक्कत की वजह से वह चल नहीं सकीं इसीलिये बन्द करना पड़ा।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या मंत्री जी बतलाएंगे कि लल्ला मल हरदेवदास काटन मिल पर कंट्रोलर के समय में कितना कर्जा मिलमालिक पर है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि हाथरस में दो मिलें ऐसी हैं जिनके पुर्जे बहुत पुराने हैं और इसी वजह से बहुत ही अनइकोनोमिकल हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सही है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार इन बन्द मिलों को प्रदेश में अन्य स्थान पर भेजने की सोच रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसा तो कोई सवाल सामने नहीं है ?

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दो दो, और तीन तीन वर्षों से मिलें बन्द हैं और कर्जे से लदी हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई ऐसा सुझाव गवर्नमेंट दे सकती है जिससे वे मिलें चल सकें और मजदूरों को काम मिल सके ?

श्री मुजफ्फर हसन---माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव दें तो उस पर विचार किया जायगा।

*१५-१७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-१९---श्री जगन्नाथ मल्ल---[९ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५५ व ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२०-२१---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२५—राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

डाकू मानसिंह की गिरफ्तारी के संबंध में व्यय

*२६—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाकू मान सिंह के पकड़ने में अब तक कितना रुपया सरकार को खर्च करना पड़ा ?

श्री मुजफ्फर हसन—लगभग २२,००० रुपये।

*२७—श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि उसको पकड़ने वाले मुखबिरों को वह जान से मार डालता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब तक जितनी हत्यायें मानसिंह और उसके गिरोह ने की है उनमें से कोई भी मुखबिर नहीं था।

*२८—श्री शुकदेव प्रसाद—अब तक उसके पकड़ने में कितने लोग जान से मारे गये हैं और उनमें कितने सिपाही तथा कितने मुखबिर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—अब तक कुल १२ व्यक्ति मारे गये हैं जिनमें से एक सब-इंस्पेक्टर तथा ३ सिपाही थे। मुखबिर कोई नहीं था।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डाकू मानसिंह के पकड़ने में क्या कठिनाई पड़ रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सब-इंस्पेक्टर तथा तीन सिपाही के अतिरिक्त बाकी और कौन से मनुष्य मारे गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो २२ हजार रुपया अभी उन्होंने बतलाया है उसमें वह तमाम तनख्वाहें शामिल हैं जो कि वहां आपरेशन में काम कर रहे हैं, उनको दी जाती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये कोई नयी भर्ती नहीं हुई है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सब-इंस्पेक्टर मारे गये हैं, वह कौन थे और उनके परिवार के लिये सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री मुजफ्फर हसन—वह थे तो सब-इंस्पेक्टर मगर कौन थे यह तो बताना मुश्किल है और बाकी तफसील अगर आप चाहें तो दुबारा दरियाफ्त करें, तब बताया जा सकता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो २२ हजार रुपया खर्च उन्होंने बतलाया वह एक वर्ष का है या पिछले कितने सालों का है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह पहली जनवरी सन् ५३ से ३० अप्रैल सन् ५४ तक का है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो तीन आदमी मारे गये हैं सरकारी अफसर उनके परिवारों को कुछ मुआवजा सरकार ने दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर दिया होगा।

श्री शुकदेव प्रसाद---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डाकू मान सिंह के पकड़ने के लिये कोई नयी व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह २२ हजार रुपये जो खर्च हुए उसमें पुलिस की तनख्वाह और भत्ता भी शामिल है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने पहले ही अर्ज किया कि इसके लिये कोई अलग भर्ती नहीं हुई ।

श्री वीरेंद्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मानसिंह और उनके गिरोह को पकड़ने के सम्बन्ध में रिटायर्ड पुलिस आफिसर्स की भर्ती की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मानसिंह के गिरोह के कितने आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी ।

*२९-३०---श्री रामप्रसाद सिंह (जिला गोरखपुर)---[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

हाथरस की बन्द मिलें

*३१---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में हाथरस की बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिये वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ये मिलें चालू हो सकेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---वर्तमान परिस्थितियों में इन मिलों का इस समय चालू होना कठिन सा ही प्रतीत होता है ।

*३२-३३---श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की सिफारिशें

*३४---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की सिफारिशों को प्रकाशित करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सिफारिशों को सरकार सदन की मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी की सिफारिशों को गोपनीय समझती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---गोपनीय का प्रश्न कोई नहीं उठता । सिर्फ चूंकि वह ऐडविजरी कमेटी है इस वजह से उनकी सिफारिशें रखना आवश्यक नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के बारे में पिछले साल क्या सिफारिशें रही हैं ?

श्री हरगोबिन्द सिंह---यह तो बड़ा वैसा प्रश्न है इसका उत्तर मैं इस समय देने में असमर्थ हूं कि पिछले साल क्या सिफारिशें की थीं।

श्री केशव गुप्त---यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं क्या सरकार ने उसके अनुसार कार्य किया है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---उन पर विचार हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को एक वैधानिक रूप देने के लिये कोई लेजिस्लेशन ला रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रांट्स कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको प्रकाशित करने पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह उत्तर दे दिया गया है कि जी नहीं। जरा पढ़ लिया करें तब सवाल पूछा करें।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के कौन-कौन मेम्बर्स हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसमें १२ मेम्बर्स हैं यदि आप कहें तो मैं उनके नाम पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---मेरा प्रश्न यह था कि ग्रांट्स कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको प्रकाशित करने पर सरकार विचार करेगी तो जवाब दिया गया है कि प्रकाशित करने जा रही है तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, प्रश्न यह था कि क्या ग्रांट्स कमेटी की सिफारिशें प्रकाशित होंगी, उत्तर दिया गया कि जी नहीं।

पंच पेउना, जिला गोंडा के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*३५---श्री राजनारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि गत २५ अगस्त, सन् ५४ को गोंडा जिला में पंज पेउना के थानेदार ने छापा मार कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर का सारा सामान उठा लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)---जी नहीं।

चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़ के थानेदार व श्री श्रीचन्द्र के भाई की कथित हत्या का आरोप

*३६---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री श्रीचन्द्र नाम के व्यक्ति ने कोई तार देकर सरकार को बताया है कि उसके भाई को सब-इन्स्पेक्टर, थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़ ने जान से मरवा डाला ह ? क्या आज कल यह तार देने वाला व्यक्ति भी हवालात में है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*३७---श्री उमाशंकर---क्या यह सही है कि जिस सब-इन्स्पेक्टर के सम्बन्ध में उसने तार दिया ह उसी सब-इन्स्पेक्टर ने उस पर जुर्म लगा कर उसका चालान किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीचन्द नाम का कोई व्यक्ति हवालात आजमगढ़ में रहा है या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसमें नोटिस की जरूरत है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन श्री श्रीचन्द्र नाम के व्यक्ति ने तार दिया था वह मुजफ्फरनगर जिले के तो नहीं हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किससे कराई ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह जांच जिला मजिस्ट्रेट से कराई गई है ।

श्री गेंदासिंह---दूसरे श्रीचन्द जी की खबर माननीय गृह मंत्री जी को है। जो श्रीचन्द जी हवालात में थे वह कौन श्रीचन्द जी थे। इसकी खबर माननीय गृह मंत्री जी को है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां, है ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार को पता है कि श्रीचन्द के भाई जान से मारे गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ ।

*३८---श्री कमलासिंह---(जिला गाजीपुर)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्राम रामगढ़, जिला बस्ती में कत्ल

*३९---श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अभी हाल ही में ग्राम रामगढ़, थाना बांसी में जो कत्ल हो गया है उस सम्बन्ध में बांसी थाने के सम्बन्धित कर्मचारी कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---ग्राम रामगढ़ में १० सितम्बर, सन् १९५४ की रात को कत्ल की एक घटना हुई । हत्यारा मौके पर ही पकड़ लिया गया और उसका चालान आई० पी० सी० की धारा ३०२ के अन्तर्गत कर दिया गया । परन्तु अभियुक्त के जेल में मर जाने के कारण मामला खत्म कर देना पड़ा ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या यह सत्य है कि तहसील बांसी में इसी वर्ष में दो कत्ल हुये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या विशेष कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कातिल किस रोग से पीड़ित था ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कातिल जेल के अस्पताल में मरा या अपनी कोठरी में ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये भी नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कातिल किस तारीख को और किस जेल में मरा ?

श्री मुजफ्फर हसन--तारीख भी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या मंत्री जी को पता है कि इस कत्ल के अलावा दो तीन कत्ल बांसी तहसील में उसी समय और हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं इसका जवाब दे चुका हूं ।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कातिल आत्महत्या करके मरा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं । माननीय सदस्य को हो तो हो सकता है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि थाने पर उस मुलजिम को ज्यादा पीटा गया जिसकी वजह से वह मर गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

*४१-४३--श्री शिवमंगलसिंह कपूर (जिला बस्ती)--[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

बेसिक टेक्स्ट बुक्स का प्रकाशन

*४४--श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष बेसिक टेक्स्ट बुक का प्रकाशन किन-किन प्रेसों को दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम--जिन प्रेसों को बेसिक पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशनार्थ दी गई हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की पेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. १८९-१९२ पर ।)

*४५--श्री नवल किशोर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक प्रेस को कितनी और कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशनार्थ दी गई हैं ?

डाक्टर सीताराम--सूची में यह सूचना दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८९-१९२ पर ।)

*४६--श्री नवल किशोर--क्या इन प्रेसों ने अपना कोटा प्रकाशित कर लिया है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

श्री नवल किशोर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों को यह कोटा दिया गया था छापने के लिये उनको उतना कोटा छापने की कैपिसिटी है या नहीं ? इसकी भी कोई मालूमात की गई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उनको कोटा यही समझ कर दिया गया था कि उनकी उतनी कैपेसिटी है । लेकिन कोई उसकी जांच तो सम्भव नहीं थी और चूंकि इन लोगों को इसके पूर्व भी कोटा दिया गया था उसी के आधार पर इस बार भी दिया गया था ।

श्री नवल किशोर--क्या यह सही है कि जिन लोगों को यह कोटा दिया गया था उनमें से बहुतों ने दूसरे लोगों के हाथ अपना कोटा रुपये लेकर बेंच दिया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हां, ऐसा हो सकता है और कुछ ऐसी शिकायतें मिली भी हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी उन प्रेसों की सूची सदन के सम्मुख पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, बहुत लम्बी सूची है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रेसों को कार्य न दिया जाय जिनके पास प्रेस नहीं हैं और छाप नहीं सकते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--- ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत से पब्लिशर्स होते हैं और पब्लिशर्स बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेस नहीं होते हैं और नियम में भी यही है । इसलिये अगर किसी पब्लिशर ने छपवाया तो उसमें कोई दोष नहीं था ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि नवलकिशोर प्रेस को कितना कोटा दिया गया है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष---आपका उद्देश्य नवलकिशोर...

श्री शिवनारायण---नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में मौजूद है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष (सरकार की ओर से उत्तर न मिलने पर) तो मैं यह समझूं कि जवाब देने की इच्छा नहीं है, गवर्नमेंट की ?

*४७---**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवरिया) ---[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४८-४९---**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)---[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०---**श्री राम दास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१---**श्री वीरेंद्रपति यादव**---[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

संचालक, हरिजन कल्याण विभाग को व्यय संबंधी अधिकार

*५२---**श्री मही लाल** (जिला मुरादाबाद)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संचालक, हरिजन कल्याण विभाग को क्या व्यय सम्बन्धी वह अधिकार नहीं हैं जो कि अन्य विभागों के संचालकों को अपने विभागों में हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां । मामला विचाराधीन है ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग के लिए अलग से संचालक की नियुक्ति कब हुई है ?

डाक्टर सीताराम---१५ अगस्त, १९५३ को ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इन संचालक महोदय को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका उत्तर तो अभी दिया गया कि वह विचाराधीन है । लिखापढ़ी हो रही है उनसे । मांगा गया कि आप बताइये कि कौन-कौन अधिकार आपको होने चाहियें ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह विचार कब तक कार्य रूप में परिणत हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बहुत जल्द ।

*५३---श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---[२४ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४-५५---श्री राम दास आर्य---[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६-५७---श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

तीर्थक्षेत्रों की धर्मशालाओं और मंदिरों की मरम्मत

*५८---श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--- क्या तीर्थ क्षेत्रों में पुराने धर्मशालाओं और मन्दिरों की मरम्मत कराने का सरकार की ओर से कोई प्रन्बध है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)---जी नहीं । यह सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

*५९---श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)---जिन धर्मशालाओं और मन्दिरों की देखभाल और मरम्मत जमींदार लोग करते थे क्या सरकार जमींदारी समाप्त होने के बाद उनकी देखभाल और मरम्मत कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)---जी नहीं ।

गोंडा में मुहर्रम के अवसर पर बिजली के तारों का काटा जाना

*६०---श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)---क्या यह सच है कि पिछले वर्ष गोंडा में मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों तथा अन्य कांग्रेस लोगों ने सरकार से वहां के बिजली के तार कटवाने की प्रार्थना की थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ मुसलमानों की ओर से ऐसी प्रार्थना की गई थी ।

*६१---श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या सरकार को ज्ञात है कि गत अगस्त के अन्त में राज्य के दो मंत्री गोंडा गये थे और उनकी उपस्थिति में वहां बिजली के तार काटे गये ? यदि हां, तो यह समझौता किस प्रकार हुआ ?

श्री मुजफ्फरहसन---दो मंत्री गोंडा अवश्य गये थे किन्तु उनकी उपस्थिति में तार नहीं काटे गये थे । बिजली कम्पनी से आपस में विभिन्न दलों में यह समझौता हुआ था कि इस साल आखरी बार तार और काट दिये जायं और अगले साल से तारों की ऊंचाई बढ़ा दी जाय । इस समझौते के अनुसार पिछले मुहर्रम के कुछ दिनों पर बिजली के तार काटे गये । अब इससे सम्बद्ध एक मुकदमा दीवानी अदालत के सामने विचाराधीन है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले मोहर्रम के समय में यह तार वहां पर लगे हुये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस मोहर्रम से पहले के बारे में पूछ रहे हैं । उसके बारे में मुझे नोटिस की जरूरत है ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन

मुसलमानों के साथ कुछ विधान सभा के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्त्ता भी थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समझौते में रुपया देने की भी कोई शर्त रक्खी गई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जहां तक मुझे मालूम है ऐसा नहीं है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जब यह समझौता हो गया था उसके बाद किसी दूसरे आदमी ने जो इस समझौते में शरीक नहीं था तार को कटवाने से रोक दिया ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने मुसलमानों ने प्रार्थना की थी, प्रार्थना जबानी थी या लिखित रूप में थी और किस के पास प्रार्थना की थी ?

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बा सवाल है, मुख्तसर सा सवाल कीजिये।

श्री बसन्त लाल शर्मा---प्रार्थना करने वाले मुसलमानों की संख्या कितनी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस तारीख को कौन से मंत्री गये थे और बिजली कम्पनी के किस सज्जन से समझौता हुआ था और उस समझौते में क्या-क्या चीजें थीं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैं और अली जहीर साहब वहां गये थे। अंग्रेजी तारीख मुझे याद नहीं है लेकिन जिस रोज मोहर्रम का महीना शुरू हो रहा था उससे एक दिन पहले गये थे। यह मामला दो वर्ष पहले से चल रहा था जब से वहां बिजली लगी तब से ५१ तक बराबर वहां तार कटते रहे थे फिर उसमें रुकावटें हो गयीं। कम्पनी ने रुपया मांगना शुरू कर दिया। वहां के मुसलमान और कांग्रेस मैन इस बात की हर साल कोशिश करते रहे कि तार काटे जायं लेकिन वह न हो सका। मैं और अली जहीर साहब वहां गये और इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने इंजिनियर को बुलाया और यह तै किया कि इस साल तार काट दिये जायं और आइन्दा को जहां तक मुझे याद है ५ फिट ऊंचे तार कर दिये जायं। मैंने देखा कि तार बहुत नीचे लगे हुये थे। कम्पनी से यह तै किया कि तारों को ५ फिट ऊंचा कर दिया जाय और इस साल तार काट दिये जायं क्योंकि पहले भी बराबर कटते आये थे। बीच में रुकावट हो गई थी। यह फैसला उस कम्पनी से हुआ।

श्री बसंतलाल शर्मा---तार ऊंचा करने में जो खर्चा होने वाला है उसे भी सरकार की ओर से देने का विचार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---न पहले सरकार की ओर से दिया जाता था न अब देने का विचार है। वर्षहावर्ष से तार कटते रहे हैं। न कम्पनी ने ही ऐसा कोई सवाल उठाया। तार काटने का जो कुछ भी खर्च होता था उसे वह बराबर बर्दाश्त करती आई है।

श्री अध्यक्ष---तार के ऊंचा करने के बारे में सवाल है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कम्पनी ही अपने खर्चे से तार ऊंचा करेगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आदेश जो तार ऊंचा करने का दिया वह माननीय वित्त मंत्री जी ने लिखित दिया या लखनऊ आने पर लिख कर भेजा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो नहीं, कहीं भी लिख कर नहीं दिया। कलेक्टर के बंगले पर सबसे बातचीत कर यह तय कर के दिया गया था। उसमें किसी लिखने-पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता था कि अगले मुहर्रम के पहले तार ऊंचे कर दिये जायंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब दोनों मंत्री महोदय वहां पर गये थे तो वे इसी सम्बन्ध में वहां पर गये थे या और किसी कार्यवश गये थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इस मसले की गर्ज से ही गये थे।

धार दार हथियारों पर रोक लगाने का विचार

*६२---**श्री देव दत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कांता, भाला जैसे धार दार अस्त्रों पर रोक लगाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन---कुछ लोगों ने ऐसी राय दी है। इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों से भी राय पूछी गयी है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या राय दी है ?

श्री मुजफ्फर हसन---अभी इसके बारे में कोई राय नहीं आयी है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी इन हथियारों का प्रदर्शन अदालत के अहाते में रोकने पर विचार करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस पूरे मसले पर विचार हो रहा है।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जो हत्यायें हो रही हैं उनमें अधिकांश किन हथियारों का प्रयोग होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो बड़ा वसीअ सवाल है इससे कैसे पैदा होता है मैं कह नहीं सकता।

असरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इन्टर कालेजों को सहायता

*६३---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और इन्टर कालजों को किस आधार पर सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आवर्तक अनुपालन अनुदान शिक्षा संहिता के पैरा ३७७ के आधार पर तथा भवन व सज्जा अनुदान व बस अनुदान (केवल बालिकाओं के विद्यालयों को) शिक्षासंहिता के पैरा ३६१, ३६६ तथा ३६६-ए के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

*६४-६५--- **श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)---[१३ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अयोध्या पुलिस स्टेशन में कथित चोरी की घटना

*६६---**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि इस वर्ष अयोध्या पुलिस स्टेशन में मालखाने से पुलिस के वेतन का कई हजार रुपया चोरी हो गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किसको क्या दंड दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---अप्रैल के शुरू में ऐसी खबर जरूर फैली थी परन्तु जांच होने पर इसका कोई सबूत नहीं मिला। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री मदन गोपाल वैद्य---क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि इस रुपये को पुलिस ने जनता से चन्दा मांगकर पूरा किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

श्री मदनगोपाल वैद्य---तनख्वाह बट जाने पर जब यह सर्टिफाई कर लिया गया कि तनख्वाह बट गयी उसके बाद किसी पुलिस कर्मचारी ने क्लेम किया था कि उसको वेतन नहीं मिला ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सवाल किस सवाल से पैदा होता है मैं समझा नहीं।

श्री मदनगोपाल वैद्य---जो रुपया चोरी गया था वह किस महीने के वेतन से संबंध रखता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने जवाब दिया कि यह चोरी का वाकया नहीं है।

*६७---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---[९ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मैजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने की व्यवस्था

*६८---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---सरकार ने भ्रष्टाचार के ऐसे मामले पकड़ने के लिये क्या व्यवस्था की है जहां पर मौके पर मैजिस्ट्रेट अप्राप्त हो या शीघ्र ही न मिल सके ? मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में क्या उसका अधिकार अन्य किसी अधिकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति को है ?

श्री मुजफ्फर हसन---भ्रष्टाचार के अपराध का साक्षी होने के लिये मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। कोई भी सम्मानित व्यक्ति यह काम कर सकता है।

कोई व्यक्ति जिसे मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त न हों मैजिस्ट्रेट का काम नहीं कर सकता।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या विशेष अवसरों पर ऐसे कार्यों के लिये स्पेशल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो शर्तिया सवाल है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

गोलागोकरणनाथ में श्रीमती शिवदेवी बीबी की धर्मशाला का मुआवजा

*६९---श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोला गोकरण नाथ, जिला लखीमपुर खीरी में जो धर्मशाला श्रीमती शिवदेवी बीबी नाम की है उसे उसने अपने कब्जे में ले लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस धर्मशाले का कोई मुआवजा भी दिया ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

मुआवजा के विषय में धर्मशाला के प्रतिनिधि व सरकार के बीच बातचीत चल रही है।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मुआवजा कब तक मिल जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---जब यह बातचीत तय हो जायगी।

श्री जोरावर वर्मा---यह धर्मशाला धर्मशाला के लिये ही ली गई या किसी दूसरे मतलब के लिये ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह धर्मशाला शरणार्थियों के बसाने के काम में लाई गई ।

*७०-७२--श्री गंगा धर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३--श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फैजाबाद में मुहर्रम के अवसर पर पाकिस्तानी झंडे का सजाया जाना

*७४--श्री मदन गोपाल वैद्य--क्या यह सही है कि फैजाबाद शहर में मुहर्रम के अवसर पर छोटी मेंहदी के उत्सव में पाकिस्तान का झंडा भी सजाया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन--६ सितम्बर, १९५४ को फैजाबाद शहर के मोहल्ला हस्नू कटरा में मेंहदी का जलूस निकाला गया। मेंहदी के गुम्बद पर कागज का एक हरा झंडा था जिस पर मुसलमानी चिन्ह बना था। इसी से प्रायः लोगों में पाकिस्तानी झंडे का भ्रम हुआ।

श्री मदन गोपाल वैद्य--क्या इस घटना के संबंध में सरकार को मुख्तलिफ रिपोर्टें सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त हुई थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--उसी के आधार पर यह जवाब दिया गया है ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि इस झंडे पर धार्मिक चिन्ह क्या था ?

श्री मुजफ्फर हसन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री झारखंडेराय--जनता के भ्रम को दूर रने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन--उस पर जरूरी कार्यवाही होगी ।

श्री रामेश्वर लाल--क्या सरकार को फैजाबाद के अतिरिक्त अन्य जगहों से भी प्रांत में पाकिस्तानी झंडे के फहराने की सूचना मिली है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मूल प्रश्न केवल फैजाबाद से संबंधित है ।

गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*७५--श्री रामअनन्त पांडेय (जिला बलिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद के अधिकारियों ने आदेश दिया है कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी कक्षा में अंग्रेजी पहनावा में आना पड़ेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

*७६--श्री रामअनन्त पांडेय--क्या सरकार को विदित है कि इलाहाबाद के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज के अधिकारी मोटी एवं लम्बी शिखा रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों की शिखायें कटवा कर छोटी करने के लिये दबाव डाल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा कोई प्रश्न इस कालेज में उठा ही नहीं ।

जिला सीतापुर में चोरी, डकैती और कत्ल के मामले

*७७—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में किन-किन पुलिस थानों में सन् १९५२–५३, १९५३–५४ तथा अगस्त सन् १९५४ तक कितने-कितने चोरी-डकैती और कत्ल के मामले हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९३ पर।)

प्रतापगढ़ जिले में चमरौरा नदी पर पुल की आवश्यकता

*७८—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले की पुलिस को चमरौरा नदी में चिलबिला व गड़वारा के बीच पुल न होने के कारण जिले के एक बहुत बड़े क्षेत्र में अमन व अमान कायम करने में विशेष असुविधा हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)—जी हां।

*७९—श्री रामअधार तिवारी—यदि हां, तो क्या पुलिस विभाग निर्माण विभाग से इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (अनुपस्थित)—अभी तक ऐसा नहीं किया गया था।

*८०–८१—श्री शिवनारायण—[स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामचन्द्र विकल—[३१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

२—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

३—श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

४–५—श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[१७ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

---

१३ अक्तूबर, १९५४ के तारांकित प्रश्न २४-२५ से सम्बद्ध श्री जगन्नाथ मल्ल के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शोधन की सूचना

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक सूचना देनी है कि १३ अक्तूबर, १९५४ के तारांकित प्रश्न २४-२५ से सम्बद्ध श्री जगन्नाथ मल्ल के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में टाइप की कापी में "जी नहीं" के स्थान पर "जी हां" टाइप हो गया था। मुझे जब उसका पता चला तो मैंने माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना की कि कृपा करके इस कार्यवाही की अशुद्धि को वे ठीक कर दें। उन्होंने कृपा करके उसको ठीक कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (क्रमागत)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, जो विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आज प्रस्तुत है, उसमें निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—अभी आप इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस पर विचार किया जाय या नहीं ?

किसी को कुछ कहना है ? (किसी के न बोलने पर)

प्रश्न यह है कि श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय।

महोदय, इस भवन को याद होगा कि नारायण दत्त जी तिवारी को ४ फरवरी, सन् ५४ ई० को दफा १४४ तोड़ने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और ६ घंटे तक लारी के अन्दर ले जाया गया और उसके बाद हल्द्वानी में उनको लारी से उतार दिया गया। इसके मुताल्लिक शिकायत यह थी कि उसकी इत्तला स्पीकर साहब को नहीं दी गयी और इस प्रकार से यह मामला प्रिविलेज कमेटी के पास जाना चाहिये। गवर्नमेंट की यह राय थी कि चूंकि उनको जेल में नहीं भेजा गया इसलिये इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई और इसलिये प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता। लेकिन जब स्पीकर साहब, आपने यह नतीजा निकाला कि इसको लिया जाय तो इसको प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज दिया गया। इस सिलसिले में प्रिविलेज कमेटी ने ८ या ९ बैठकें कीं और उन बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश की। जब रिपोर्ट सदन के सामने आयी तो दिन भर उस पर मुबाहिसा होता रहा और फिर सदन ने यह तय किया कि इसको फिर प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाय। जब यह फिर प्रिविलेज कमेटी के सामने भेजा गया तो उसने एडवोकेट जनरल साहब और लीगल रिमेंबरेंसर साहब को भी बुलाया, उनको भी कंसल्ट किया गया। उसके बाद उस कमेटी के सामने उन मैजिस्ट्रेट साहब को भी पेश किया गया जिनके हुक्म से नारायण दत्त तिवारी जी को लारी में बिठा कर हलद्वानी ले जाकर छोड़ा गया था। कमेटी के सामने उन्होंने अनक्वालीफाइड अपोलोजी पेश कर दी और मांफी मांग ली। इस वजह से कमेटी ने रिपोर्ट दी कि चूंकि उन्होंने माफी मांग ली है इसलिये उनके खिलाफ कोई मजीद ऐक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो रिजोल्यूशन भवन के सामने पेश किया है वह इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही है, और मुझे उम्मीद है कि यह सदन इस रिजोल्यूशन को मंजूर कर लेगा।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ के पैरा १० में उल्लिखित निश्चयों के स्थान पर निम्नलिखित निश्चय करता है—

१—श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी व उनका हटाया जाना व साढ़े पांच घंटे का कारावास किसी विधि अथवा विधान के अनुसार न होने के कारण इस सदन का अवमान है।

२—इस प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना आदरणीय अध्यक्ष व सदन को न दिये जाने के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

पर श्री बी० एन० टंडन के द्वारा लिखित क्षमा याचना को देखते हुये सदन उनको क्षमा प्रदान करता है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव माननीय सुल्तान आलम साहब ने रखा, मुझे अफसोस है कि मैं उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता और मैं माननीय सदन से यह कहना चाहूंगा कि वे इस प्रश्न पर · · · · · ·

श्री अध्यक्ष—आपके प्रस्ताव की शक्ल ठीक हो जानी चाहिये। आपने कहा है कि इस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं। तो इस समय प्रस्ताव तो श्री सुल्तान आलम साहब का सामने है।

श्री गेंदासिंह—मेरा मतलब है कि रिपोर्ट के अन्त में बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। इसको इस तरह से कहना चाहिये कि "निम्न संशोधन के साथ प्रतिवेदन को यह सदन स्वीकार करता है।"

श्री गेंदासिंह—ठीक है, ऐसा ही कर दें।

वित मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—एक बात मैं जनाब के जरिये समझना चाहता हूं कि मेरी समझ के लिहाज से यह खिलाफ कानून बात हो जायगी। मुमकिन है कि मैं गलत समझा हूं। एक रेजोल्यूशन पेश किया गया है कि इस समिति की रिपोर्ट को यह हाउस मंजूर करे और उसमें यह अमेंडमेंट का प्रोविजन किया गया है कि जो नारायण दत्त तिवारी जी साहब के साथ अमल हुआ वह इस हाउस के प्रिविलेज की अवहेलना थी तो यह बिलकुल गलत है एक दूसरे के खिलाफ है। इसका जवाब तो रिपोर्ट के ही लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि इस केस में हाउस के प्रिविलेज की अवहेलना नहीं हुई है। यह फाइंडिंग है उस कमेटी की तो इस तरह से हाउस उस फाइंडिंग को मंजूर कर ले और उसमें एक ऐसा अमेंडमेंट किया जाय जिसमें हाउस यह कहे कि उस कमेटी ने जो फैसला किया वह गलत है, मुमकिन है कि वह सही हो लेकिन जो मेरी समझ में बात आयी उसके लिहाज से कोई भी अमेंडमेंट जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन के कंट्रेडिक्टरी है बिलकुल उसके खिलाफ पड़ता है कि एक रेजोल्यूशन तो कहता है कि फैसले को मंजूर कर लिया जाय और अमेंडमेंट कहे कि नहीं मंजूर करते हैं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय हाफिज जी से कुछ दरख्वास्त कर दूं। माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें जो थोड़ी सी भूल हमारी तरफ से हुई है उसकी तरफ भी कुछ इशारा उन्होंने किया है जिसको मैंने दुरुस्त करने की बात कही। तो यह प्रस्ताव है कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय और हम यह कहते हैं कि इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय। अब रही यह बात कि उस पूरी रिपोर्ट में यह इनकंसिस्टेंट है, जो दलील कि पूरी रिपोर्ट में है वह दोनों तरफ ले जाने वाली है और जो चीज मैं इस वक्त पेश कर रहा हूं वह यह कि इस संशोधन के साथ इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय। यह चीज तो आपके पक्ष में ही आयेगी। और दलीलें जो हैं उसी के पक्ष में दलीलें पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—वित्त मंत्री जी ने इस विषय में बहुत महत्व का वैधानिक प्रश्न उठाया है। मैं भी इस तरह से सोचता रहा हूं कि जब विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन सदन के सामने आवे तो उसके ऊपर सदन की राय कैसे ली जाय, यह प्रश्न मेरे सामने था। प्रतिवेदन से जो सहमत हैं वह उसे स्वीकार करने के लिये प्रस्ताव पेश करें और जो उससे सहमत नहीं हैं उनके सुझावों से या निर्णयों से, उसका विरोध करें क्या केवल यह दो ही मार्ग इस प्रश्न के विचार के लिये रहेंगे या उसके साथ यह भी हो सकता है कि प्रतिवेदन के निर्णयों से जो सहमत न हों और वह कोई दूसरा निर्णय सदन का करना चाहते हों तो किसी तरह से करा सकते हैं। मेरी राय में प्रतिवेदन से भिन्न निर्णय सदन का हो सकता है और उसके लिये दो तरीके हो सकते हैं। या तो दूसरा एक स्वतंत्र प्रस्ताव लाया जाय और दोनों प्रस्ताव एक साथ चलें। एक तरीका यह हो सकता है या यह हो सकता है कि मूल प्रस्ताव में संशोधन कर दिया जाय कि प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये

यानी जिसका अर्थ यह लगाया जाय कि जो फैक्टस फाइंडिंग हुई वह तो स्वीकार करते हुये सदन नतीजा निकालने में दूसरा नतीजा निकालता है। क्योंकि बाकयात तो समिति ने प्रतिवेदन में सामने रख दिये, अब यह सदन के लिये आवश्यक नहीं है कि जो मत समिति ने उनके आधार पर प्रतिपादित किया है उसके साथ सहमत होना सदन के लिये लाजिमी हो। यह सदन यह कह सकता है कि यह मत हमारा है कि इसमें अमुक व्यक्ति द्वारा अवहेलना हुई। अगर सदन को यह अधिकार न होता तो बात दूसरी होती उस अवस्था में सिवाय इसके कि प्रतिवेदन का कोई विरोध करना चाहते तो वह विरोध करते और कोई उसको स्वीकार करना चाहते तो उसको स्वीकार करते बस ये दो ही रास्ते उस अवस्था में हो सकते थे। लेकिन चूंकि यह सदन को ही अधिकार है कि वह निश्चय करे कि इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं हुई। समिति को तो केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है। लेकिन समिति की इज्जत रखना सदन के सदस्यों का कर्त्तव्य है और उसकी इसमें रह जाती है कि समिति ने जो कार्यवाही की और जो जांच की उसको सदन स्वीकार करे, उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग के बारे में सदन कोई आक्षेप नहीं करता लेकिन उनसे जो नतीजे निकलते हैं उनके संबंध में मतभेद है। उन मतभेदों को व्यक्त करने का मैंने उचित तरीका यही समझा कि प्रतिवेदन स्वीकार करते हुये यह कह दिया जाय कि प्रतिवेदन में यह नतीजा जो है या ये जो निर्णय दिये हैं उनके बारे में हम इतना संशोधन करना चाहते हैं। तो इसी तरह से कल के मामले में भी जो संशोधन आये इसी स्वरूप में आये और उन पर कोई आपत्ति नहीं हुई, न आक्षेप ही हुआ। और वही प्रथा, मैं चाहता हूं कि बनी रहे जिसमें समिति की भी इज्जत बनी रहे। क्योंकि समिति सदन की समिति है और साथ-साथ जो उसके निर्णयों से सहमत न हों उनको भी अपनी राय को व्यक्त करने का मौका रहे और सदन को सब प्रकार के मतों को सुनकर सही निर्णय करने का मौका मिल सके। तो यह तरीका मैंने कल अख्तियार किया और वही तरीका आज भी जारी है और मैं समझता हूं अवैधानिक नहीं है, प्रक्रिया नियम का हवाला दिया गया है। उसमें यह दिया हुआ है कि जो संशोधन केवल निगेटिव तरह का है ऐसा कोई संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता है। ऐसी बात मंत्री जी कहते हैं। नियम १७७ में यह दिया हुआ है कि :

"An amendment must be relevant to the subject matter of the motion to which it is proposed.

An admendment may not be moved which, if carried, would have merely the effect of a negative vote."

सिर्फ निगेटिव वोट हो यानी यह हो कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं या प्रस्ताव वह खत्म कर दिया जाय तब तो वह अमेंडमेंट के रूप में नहीं हो सकता लेकिन उसमें कुछ पाजीटिव बात भी हो कि हम फलां बात नहीं मानते और अमुक बात मानते हैं। इस प्रकार पाजीटिव चीज संशोधन में हो तो वह अमेंडमेंट हो सकता है। प्रस्तुत संशोधन में यह है कि प्रतिवेदन स्वीकार हम करते हैं यह पाजीटिव बात उसमें है यानी जो फैक्ट्स फाइंडिंग का भाग इस प्रतिवेदिन का है उसको हम पूरा स्वीकार करते हैं सिर्फ एक अंश से यानी जो उन फैक्ट्स से नतीजा निकाला उसको नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरी बात यह है कि उस नतीजे में भी हम खाली प्रतिवेदन के निर्णय को निगेटिव नहीं कहते हैं बल्कि पाजिटिव बात भी हम हाउस को सजेस्ट करते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और उसे यह दंड देना चाहिये, यह पाजिटिव बात है। तो प्रस्ताव के एक अंश के साथ साथ यह एक आल्टरनेटिव उन्होंने दूसरे भाग की एवज में रख दिया है इसे खाली निगेटिव नहीं कहा जा सकता। इस प्रस्ताव के साथ इसमें का कुछ अंश हमने स्वीकार किया और उसमें के कुछ अंश जो हैं वह चाहते हैं कि दूसरी तरह रक्खे जावें। तो इन कारणों से इन नियमों के विरुद्ध भी यह संशोधन नहीं जाता है और उस प्रथा के अनुसार है जो हमने इस संबंध में कायम की है। इसलिये जो आपत्ति उठाई गई है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं और यह संशोधन वैध करार देता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक प्वाइन्ट हुजूर और बाकी रह गया जिस पर रूलिंग नहीं हुई। मैं जो समझा इस रूलिंग का मतलब वह यह है कि एक रिजोल्यूशन पैरलेल एक खास इंकंसिस्टेंट मकसद से हाउस के अन्दर चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वह इंकंसस्टिंट रेजोल्यूशन इस बिना पर लाया जायगा कि कुछ बातें उसमें ऐसी हों कि जो निगेटिव न हों, इंकंसिस्टेंट न हों। मैंने उसके एक जुज के बारे में ही बात उठाई थी कि जो उसके बिल्कुल खिलाफ पड़ता है। हुजूर वाला, रेजोल्यूशन को अगर वह सेप्रेटली चलायें तो जनाब की रूलिंग के हिसाब से वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस रेजोल्यूशन को, जो कि इधर से आया कि इसको मंजूर किया जाय और इसके माने यह हैं कि यह बात तस्लीम की जाय कि अवहेलना नहीं हुई उनके अमेंडमेंट के तौर पर वह इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन चला दिया जाय या इस रेजोल्यूशन के अन्दर से उतना हिस्सा निकाल कर इस अमेंडमेंट को रखा जाय, इस प्वाइन्ट पर जनाब तवज्जेह फरमायें।

श्री अध्यक्ष---मैंने तो इस बारे में जो स्पष्टीकरण दे दिया था अपने निर्णय में उसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी की। मैंने कहा था दो तरीके हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रस्ताव वह ले आयें। यह एक तरीका हो सकता है लेकिन मैंने इस प्रकार के प्रश्न पर दो प्रस्तावों का एक साथ चलाना ठीक नहीं समझा और मैंने यह ठीक समझा कि इस तरह से संशोधन के रूप में लाया जाय। इसकी वजह यह है कि अगर दो प्रस्ताव एक साथ एक ही प्रश्न पर चलते हैं तो अगर एक प्रस्ताव फेल हो जाय तभी दूसरा प्रस्ताव सदन के सामने लाया जा सकता है। इस प्रकार सदन का मत दूसरे प्रस्ताव पर नहीं लिया जा सकेगा कि अमुक व्यक्ति द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं? क्योंकि पहला प्रस्ताव प्रतिवेदन स्वीकार करने का होगा और अगर वह स्वीकार हो गया और उसके विरुद्ध लोगों ने कहा तो सिर्फ वह विरोध ही कर सकेंगे। उसके विरोध में कोई प्रस्ताव की शकल में इस सदन के सामने कोई चीज लाने का मौका नहीं मिलेगा यानी यह कहने का कि हमारी समझ से अवहेलना अवश्य हुई। यह बड़ी भारी पेंच की बात मुझे दिखाई दी कि दो प्रस्ताव इस तरह से एक साथ चलें और उसमें यह भी मुझे संभावना मालूम हुई कि समिति की प्रतिष्ठा सदस्य कायम न रख सकेंगे और स्वतंत्र प्रस्ताव में वे यह भी कह सकते हैं कि प्रतिवेदन को हम स्वीकार नहीं करते और इसकी फैक्ट फाइंडिंग को भी स्वीकार नहीं करते। यह एक अस्वस्थ रास्ता निकल जायगा। मैं वह रास्ता निकालना नहीं चाहता था क्योंकि प्रतिवेदन सदन की समिति की तरफ से आया तो मैं चाहता हूं कि उस पर विचार की ऐसी प्रथा कायम की जाय जिससे साधारणतया उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको हम सब एक मत से स्वीकार कर लें सिर्फ उसके नतीजों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि नतीजों से हम इत्तिफाक करते हैं अथवा उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं या उनमें अमुक संशोधन करते हैं। मूल प्रस्ताव कायम रहे और उसमें थोड़े से संशोधन हो जायं। दो पैरलेल रेजोल्यूशन चलाने के बजाय सदन के सामने इस तरह के संशोधन आ जायं ऐसी प्रथा हमने कायम की है जो कि मुझे अवैध नहीं प्रतीत होती है। यह मेरा स्पष्टीकरण, जो प्रश्न उठाया गया और जो शंका उठाई गई, उसके सम्बन्ध में है।

*श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को रखते हुये कुछ बातों की तरफ माननीय सदन का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। प्रिविलेज कमेटी ने जब दूसरी मर्तबा विचार किया और उसने जो कुछ भी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वह इस बात को स्वीकार करती है कि जो दिमाग, या जो कुछ भी मजिस्ट्रेट ने समझा था गिरफ्तारी के समय उससे मजिस्ट्रेट ने तो बाद में यह स्वीकार कर लिया कि उसने ग़लती की और उसने यही बात स्वीकार करते हुए, जैसा कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने फर्माया अनकन्डीशनल अपोलोजी, बिना शर्त जो माफी मांगी इसी बात को समझ करके उसने मांगी। मैं मानता हूं कि मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से छानबीन कर ली थी क्योंकि उसका इस मामले से जितना गहरा सम्बन्ध था उतना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। उसने सारे कानूनों को देखने के बाद समझा कि गलती करदी है और उसने माफी मांग ली। लेकिन बदकिस्मती से हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच पाये जिस नतीजे पर पहुंचने के लिये आज मैं माननीय सदन से और आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। जैसा माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि कमेटी उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही इस फाइंडिंग पर पहुंची है। यह बात मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यह नहीं है। उसका तो जिक्र भी प्रिविलेज कमेटी ने नहीं किया और उस चीज को देखते हुए भी अगर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची होती तो अपनी फाइंडिंग में कहीं न कहीं जिक्र जरूर किया होता। पैरा १० में आखिर में लिखा हुआ है, उसको मैं माननीय सुल्तान आलम खां साहब और आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जरा मेहरबानी करके इसे देखें कि आखिर इसमें कहां इस बात की गुंजाइश है कि माफ़ीनामे की तरफ भी उसका ध्यान है। आखिर में तो हम यह फैसला करते हैं कि—"सदन या समिति को यह अधिकार नहीं है कि वह श्री तिवारी की गिरफ्तारी की वैधता या अवैधता पर कोई निर्णय दे सके" (यह समिति की राय है) किन्तु सदन या समिति को यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है कि इस प्रकार की गिरफ्तारी से सदन के या माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं। विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का निर्णय करने के लिये गिरफ्तारी के प्रकार की जांच की जा सकती है। किन्तु इस दिशा में समिति का निर्णय का अधिकार सीमित है, जांच का नहीं।

दूसरी बात यह कि चौथे पैरा में जो लिखा है वह यह है—"विचाराधीन विषय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह भी देखते हुए कि गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से कुछ घंटों के उपरान्त छोड़ देने के ही अभिप्राय से की गयी थी श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी की सूचना माननीय अध्यक्ष को देना आवश्यक नहीं था।"

यह समिति की राय है। अगर कहीं समिति इस राय पर पहुंचती और इसकी तरफ वह जाती कि क्षमा याचना उसने की है इसलिये इस नतीजे पर पहुंचती है तो अध्यक्ष महोदय, जरा मेरा संशोधन देख लिया जाय कि संशोधन के दूसरे पैरे में क्या कहा है। उसमें मैंने यह कहा है कि :

"इस प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना आदरणीय अध्यक्ष व सदन को न दिये जाने के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है।

पर श्री बी० एन० टण्डन के द्वारा लिखित क्षमा याचना को देखते हुए सदन उनको क्षमा प्रदान करता है।"

जो सुल्तान आलम खां साहब चाहते हैं, जो सोचते हैं वह मेरा यह अमेंडमेंट कह रहा है। वह उनका प्रस्ताव नहीं कह रहा है और न वह प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव के द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार करने की बात कही गई है, वह प्रतिवेदन कह रहा है। इसलिये मैं सोचता हूं कि दोनों एक हो जायं। माननीय सुल्तान आलम खां जो कहते हैं वह पूरा हो जाय और प्रतिवेदन जो समिति ने दिया है, जो उसका कन्टेंट है, जो उसका रूम से, उसी के अनुसार उसका आखिरी जुमला भी हो जाय। यह हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लेने से होता है। मैं अध्यक्ष महोदय, अधिक समय न ले करके थोड़े में यह निवेदन कर दूं कि प्रतिवेदन जो दिया गया है समिति की राय में यह बात बहुत स्पष्ट तौर से आ गई कि किसी दूसरे कानून के मातहत नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। समिति यह कहती है कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस ऐक्ट की ३० और ३३ धारा के अनुसार हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इसमें और ३०-३३ धारा में कहीं इस बात की गुंजायश नहीं है कि इस तरह की जैसी गिरफ्तारी नारायण दत्त जी की हुई, उस तरह की की जाय।

[श्री गेंदासिंह]

३०, ३१ और ३२ इन तीनों धाराओं में जिस वक्त पुलिस को यह अधिकार दिया गया है....

श्री अध्यक्ष— वह क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह तो कानूनी बहस है और इसके ऊपर यहां, सदन में निर्णय करना नहीं है। उसका क्या नतीजा निकलेगा यह आप कहिए।

श्री गेंदासिंह— इसका नतीजा, अध्यक्ष महोदय, अगर ३० से ३३ तक की धाराओं को देख लिया जाय तो मालूम होगा कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है पुलिस को कि जिस अधिकार को लेकर जिस तरह की गिरफ्तारी नारायण दत्त जी की हुई, उस तरह की गिरफ्तारी हो सके। उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि किसी रास्ते को, जुलूस को या किसी फेयर को रेग्युलेट करने के लिए जब कोई लाइसेंस ले और लाइसेंस को ब्रेक करे तो वैसी हालत में मजिस्ट्रेट को पावर्स हैं कि वह उसके मुताबिक कार्यवाही कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब ३३वीं हम पढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट है वह कि मजिस्ट्रेट जो है...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपका यह भाषण का भाग थोड़ा सा असंगत सा हो रहा है। वह प्रश्न नहीं है इस वक्त यहाँ पर सदन में कि गिरफ्तारी गैर वाजिब तौर पर हुई या नहीं हुई। आप तो यह मान कर चलिए कि गैरवाजिब तौर पर हुई। उससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं हुई यह प्रश्न है और इसी पर आप कहिए। यह साबित करने की कोशिश न कीजिए कि वह गिरफ्तारी लीगल हुई या इल्लीगल हुई। उसका तो फैसला यह सदन नहीं करेगा।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि असल में हमारे प्रिविलेजेज वही हैं जो कि इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के हैं और इंगलैण्ड में एक कस्टम से, एक पुरानी परिपाटी से सैकड़ों वर्षों से उनके प्रिविलेजेज बने हुए हैं; किसी जमाने में उनके प्रिविलेजेज बहुत ऊंचे थे और किसी तरह से कोई पार्लियामेंट के मेम्बर को छू ही नहीं सकता था। लेकिन एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी और लेजिस्लेचर के अधिकारों का धीरे-धीरे डेफिनीशन होते-होते इस जगह पर पहुंचे कि क्रिमिनल चार्जेज में उनको एमिनिटी नहीं है मेम्बर्स को कि गिरफ्तार न किये जायं। लेकिन गिरफ्तार अगर होते हैं तो उनको यह एमिनिटी है कि वह रीजंस और उसकी इत्तिला यह दोनों चीजें माननीय अध्यक्ष को और सदन को बताई जायं। अब एक बात और मैं बताऊं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ६९ पर दिया हुआ है—

"Privilege protects Members of Parliament with the same sanction as well from illegal molestation as from the legal process of arrest. Either is equally a breach of privilege."

अगर इस तरह की छूट एग्जीक्यूटिव को हो जाय कि वह कानून के दायरे से गिरफ्तार करने पर तो इत्तिला दे, लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके पर चाहे तो पकड़ कर चाहे जितने दिन रखे, मुकदमा भी न चलावे और जब तक चाहे रखे, अगर इस तरह के अधिकार आज अपने देश की एग्जीक्यूटिव को मिलते हैं तो अध्यक्ष महोदय, फिर तो मैं समझता हूं कि बड़ी बुरी हालत हम लोगों की हो जायगी। मैं तो समझता हूं कि इल्लीगल और लीगल समझने का हमको पूरा अधिकार है। इसीलिए हम इस बात को कहना चाहते थे कि पुलिस ऐक्ट से किसी तरह साबित नहीं होता कि नारायण दत्त जी की गिरफ्तारी पुलिस ऐक्ट के मुताबिक थी। न पुलिस ऐक्ट के मुताबिक थी, न क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक थी, और न आई० पी० सी० के मुताबिक थी। तो अगर किसी के मुताबिक

नहीं है तो हमारा कांस्टीटचूशन यह कहता है कि किसी आदमी की गिरफ्तारी किसी विधि के अनुसार ही हो सकती है। अगर विधि न हुई तो ऐसी हालत में इसको क्या कहा जाय। यह तो सीधा-सीधा हाउस का कंटेम्प्ट है। मैं इस बात का दावेदार नहीं हूं कि विधि के अनुसार अगर गिरफ्तार किये जा सकते हैं तो उनको न गिरफ्तार किया जाय। यह तो एक बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा करना होगा। लेकिन अगर यह छूट दे दी जाय इक्जीक्यूटिव को कि वह विधि के अनुसार तो गिरफ्तार नहीं कर सकती लेकिन विधि के बाहर जाकर सब कुछ कर सकती है तो कम से कम गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह की हर्गिज छूट नहीं होनी चाहिए कि किसी मेम्बर असेम्बली को या पार्लियामेंट को बग़ैर किसी विधि के गिरफ्तार करके जैसे चाहे छूट दें या १० मील के बजाय ५८ मील या ६० मील का सफर कराते रहें।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी बाल्यावस्था में है उस वक्त एक परिपाटी बनाई जाय और ऐसी असुविधा नहीं होनी चाहिये। मैं निवेदन करूं कि हम से इंगलैण्ड की बात कही जाती है और हम भी मानने के लिये तैयार हैं इंगलैण्ड की पुलिस के बारे में कि वहां की पुलिस कैसी है, वहां की एक्जीक्यूटिव कैसी है। लेजिस्लेचर के लोग गैर जिम्मेदारी के काम कर देते हैं और उनको उससे मुक्त करने के लिये अगर अधिकार देना मुनासिब समझा जाता है और यह कहा जाय कि वहां के लोग इतने सभ्य हैं तो मेरा कहना यह है कि हमारा लेजिस्लेचर उससे कम सभ्य नहीं है। हमारा लेजिस्लेचर तो उस आदमी से तालीम पाये हुये हैं जो दुनिया में सब से आगे था और आज की एक्जीक्यूटिव के अधिकांश लोग उन लोगों की तालीम पाये हुये हैं जिन्होंने सोचा था कि हमें लोगों को दबाकर काम करना है। मैं कहता हूं कि आज की एक्जीक्यूटिव चाहती है कि किसी भी तरह से लेजिस्लेचर को सबार्डीनेट बना कर रखा जाय। दो ढाई वर्ष की हमारी जिन्दगी है और इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि यू० पी० की सरकार भी चाहती है कि एक्जीक्यूटिव पावरफुल रहे और लेजिस्लेचर को सबार्डिनेट बना कर रखने की कोशिश करती रहे.....

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप दूसरे दायरे में चले गये हैं।

श्री गेंदासिंह——अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो मेरी फीलिंग है....

श्री अध्यक्ष——अपनी फीलिंग के सम्बन्ध में आप बजट के समय कहें। प्रिविलेज के प्रश्न में फीलिंग का कोई सवाल नहीं है। यहां तो प्रिविलेज की अवहेलना हुई या नहीं इसी विषय पर आपको कहना है।

श्री गेंदासिंह——अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग को शिरोधार्य कर रहा हूं और कह रहा हूं कि यहां के यानी सदन के मेम्बर्स को एक्जीक्यूटिव के आफिसर्स ने उनकी स्वाधीनता से वंचित किया तो यह मनोवृत्ति ज्यादा न बढ़े इसलिये हमारी दरख्वास्त है कि इसका प्रबन्ध होना चाहिये। माननीय नारायण दत्त तिवारी को मुरादाबाद के बजाय हलद्वानी पहुंचा दिया गया जिससे वह लखनऊ न पहुंच सकें। मैं फिर कहता हूं उस एक्जीक्यूटिव आफिसर ने अपनी गल्ती मालूम होने पर माफी मांगने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जब कि हमारा अमेंडमेंट कह रहा है कि जो उसने माफी मांगी है उसको हम पर्याप्त समझते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं। हम यह नहीं कहते कि उसको बर्खास्त कर दिया जाय। हम भी कहते हैं कि अभी-अभी हमारे प्रजातन्त्र के रूल्स बन रहे हैं और वह समझ नहीं पाये हैं। हम उस

[श्री गेंदा सिंह]

एक्जीक्यूटिव आफिसर की तारीफ करते हैं कि जब उस नौजवान ने समझा कि हम से गलती हुई है तो उसने फिर मांफी मांगने में कसर उठा नहीं रखी। उसने कहा कि मैं तो ऐसा समझता था लेकिन यदि सदन की अवहेलना हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहूं कि हम लोगों ने बहुत सोचा कि किसी तरह से कोई बहाना हमें मिल सके जिससे हम अपने मजिस्ट्रेट को समझा सकें कि उसने इस अधिकार का उपयोग किया लेकिन कानून में कोई गुंजायश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि क्रिमिनल चार्जेज में हमारी इतनी इम्यूनिटी रह गई कि आपको इत्तिला की जाय और रीजन्स के साथ यानी आपको उसके कारण भी बतलाये जायं। उसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं कि:—

"Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information of the imprisonment or detention of any member with the reason from which he is detailed."

फिर पेज ७९ पर है:

"In all cases in which members are arrested on criminal charges the house must be informed of the cause for which they are detained from thier service in Parliament."

तो और कुछ हम मानें चाहे न मानें, अरेस्ट तो हमारी कमेटी ने मान लिये लेकिन कमेटी ने यह कहा कि साधारण बोलचाल में जो गिरफ्तारी होती है वही गिरफ्तारी है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मजबूरी जाहिर करूं कि साधारण बोलचाल की गिरफ्तारी और दूसरी गिरफ्तारी को मैं कैसे डिफाइन करूं। दोनों का नतीजा एक ही निकलता हथकड़ी या किसी और कानून के शिकञ्जे में गिरफ्तार किये जाते नारायण दत्त जी तब भी वह अपनी स्वतंत्रता से महरूम किये जाते और इस साधारण बोलचाल वाली गिरफ्तारी में भी उनकी वही हालत हुई। तो साधारण बोलचाल वाली गिरफ्तारी में अगर हम छूट दे दें कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव आफिसर साधारण बोचचाल वाली गिरफ्तारी करेगा तो उसके लिये प्रिविलेज का सवाल नहीं उठेगा तो यह तो एक बहुत भारी अराजकता पैदा हो सकती है।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं इस मामले में कि कोई पार्टी का सवाल क़तई नहीं है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस यू० पी० की सरकार से और इस यू० पी० की सरकार में जो बुजुर्ग हमारे नायब नेता माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब बैठे हुये हैं उनसे कहूंगा कि हम लोगों को कम से कम किसी मौके पर तो एक जगह रहने दें। हर जगह पर दो जगह रखने की कोशिश माननीय हाफिज जी न करें। मैं उनसे यह जरूर उम्मीद करता हूं कि कहीं-कहीं जिस वक्त ऐसा मसला खड़ा हो जाय तो उस जगह पार्टी का सवाल न खड़ा किया जाय। मैं जानता हूं माननीय हाफिज जी के व्यक्तित्व को, उनके भाषण करने की शैली को। जिस वक्त वह भाषण करते हैं उस वक्त वह अपने विरोधियों को भी जीतने की कोशिश करते हैं, हम उनके शिकार हो जाते हैं। तो मैं उनसे यह जरूर कहना चाहता हूं कि वह ऐसे मौके पर जब कि सारे हाउस की इज्जत का सवाल है उस वक्त अपनी पार्टी के बन्धन में हम लोगों को बांधने की कोशिश न करें। अगर वह ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा जो सम्बन्ध है वह कहीं न कहीं एक मर्यादा के भीतर तो होना चाहिये और फिर यह तो धर्म युद्ध है। मैं समझता हूं कि हम यहां खड़े होकर बहुत कुछ माननीय हाफिज जी के विरुद्ध कहते हैं और माननीय हाफिज जी भी हमारे विरुद्ध न मालूम क्या क्या कहते हैं। लेकिन

उसकी भी एक मर्यादा होनी चाहिये। अगर यह मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर भेद क्या रह जायगा इस डेमोक्रेसी में और उस डिक्टेटरशिप में। हम इस डेमोक्रेसी के पुजारी हैं और हमारी आस्था इस पर बंधे इसके लिये प्रयत्न माननीय हाफिज जी को करना चाहिये। वह हमारे बुजुर्ग हैं और इस हाउस ने भी उनको बुजुर्गों का दर्जा दे रखा है। आज इस नारायणदत्त जी वाले केस में हम कोई एग्जीक्यूटिव आफिसर से बदला लेना नहीं चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उसने जो क्षमा याचना की है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह नम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अधिक चर्चा न बढ़ाना ही इस सदन की मर्यादा की रक्षा करना है। विशेषाधिकार समिति ने काफी पोस्ट मार्टेम इस घटना की की है। इसके सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट के बयान हुये हैं, मैजिस्ट्रेट ने क्षमा मांगी है, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं नहीं जानता कि किस धारा के भीतर मैंने यह ऐक्शन लिया, एक ट्रेडिशन के आधार पर मैंने यह आज्ञा लिखी कि इनको अरेस्ट किया जाय और फिर रिलीज कर दिया जाय। एक ट्रेडिशन यहां स्थापित रहा है कि कोई दुर्घटना न होने पाये इस वास्ते ऐसा कर लिया जाता है। लेकिन जिन शब्दों में विशेषाधिकार समिति ने निष्कर्ष निकाला है, उन शब्दों के ऊपर किसी को आपत्ति भले ही हो, उन शब्दों में इसका वर्णन करना कि केवल साढ़े पांच घंटे तक तिवारी जी गिरफ्तार किये गये, उसके अन्दर कितना लाघव है, लघुता है, इस कारण कोई अवहेलना नहीं हुई, इन शब्दों पर मैं आपत्ति रखता हूं। यह शब्द तो ऐसे नहीं हैं कि जिनसे कोई खास परिणाम निकले। लेकिन जैसा निष्कर्ष होना चाहिये उस निष्कर्ष के ऊपर हमारे संशोधक महोदय भी पहुंचते हैं। वह एक ऐसा निष्कर्ष है जिसके अन्दर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसको ड्राप हो जाना चाहिये। स्पष्ट शब्दों में और साफ भाषा में सदन के सामने रखा गया है; और प्रस्तावक महोदय ने जिस भाषा में वर्णन किया है वह भाषा उस रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। शब्दों से हमें लड़ना नहीं है। अब उसके अन्दर कोई बात ऐसी रह नहीं जाती है। विशेषाधिकार समिति ने काफी छानबीन की है और उस छानबीन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अब इसके अन्दर किसी वस्तु को नहीं चलाना चाहिए और उसके निर्णय में यह बात आयी है कि कोई अवहेलना नहीं हुई।

मैं, इन शब्दों के साथ, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस सदन के माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि इस विषय में अधिक विलम्बकारी चर्चा नहीं होनी चाहिए।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित हैं और दोनों का ही आशय यही है कि इस मामले में कोई ऐक्शन श्री टंडन के विरुद्ध या और व्यक्ति के विरुद्ध न लिया जाय। फर्क सिर्फ इतना है कि इस तरह से समिति की जो रिपोर्ट है और उसमें यह जो कहा गया है कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ उसका समर्थन करते हुए सिफारिश की गयी है। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, लेकिन सिफारिश यह है कि कोई ऐक्शन न लिया जाय। तो जैसे आपने स्वयं फर्माया इस मामले में जो फाइंडिंग्ज कमेटी की हैं जिन फैक्ट्स पर वह आधारित है उनके विरुद्ध हमें कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन उनसे जो परिणाम, जो कंक्ल्युजन हम ड्रा करते हैं वह अपनी अपनी राय के मुताबिक हर शख्स को अख्तियार है कि वह अपनी राय जाहिर करे और इसलिए, श्रीमन्, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि जो फैक्ट्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

समिति के सामने आये उसमें किसी शुबहे की गुंजायश नहीं है कि उन फैक्ट्स से सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। वह यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ। हमें उन लीगल एक्सपर्ट्स के साथ पूरी हमदर्दी है जो समिति के सामने आये और जिनकी राय समिति के सामने आयी। उन बेचारों के लिए बड़ी कठिनाई का सामना था। अगर वह यह कहते कि यह अरेस्ट नहीं हुआ, इस केस में श्री नारायण दत्त तिवारी को जो अंडर एस्कोर्ट पांच, साढ़े पांच घंटे तक रखा गया, हल्द्वानी भेजा गया यह अरेस्ट नहीं हुआ तो उनकी पब्लिक के सामने यह शब्द लाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिये उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि अरेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अरेस्ट हुआ। अब अरेस्ट मान लेने के बाद दो ही रास्ते हैं। अगर क्रिमिनल चार्ज पर अरेस्ट माना जाता है तो उसके लिए जरूरी यह था कि माननीय सदन और माननीय अध्यक्ष को उसकी सूचना दी जाती जो इस केस में नहीं दी गयी। लेकिन अगर यह मान लिया जाय कि अरेस्ट आन क्रिमिनल चार्ज नहीं हुआ तो उस सूरत में किसी भी आफिसर को यह अधिकार नहीं था कि किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करे। दोनों सूरतों में ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है। इसलिये कोई अचम्भे की बात नहीं है कि जो लीगल एक्सपर्टस समिति के सामने आये वह हिचकिचाते ही रहे और स्पष्ट कोई ओपिनियन नहीं दी कि किस किस्म की अरेस्ट है। मैं आप का ध्यान उनके पूरे बयान की तरफ दिलाऊंगा। कभी वह एक बात कहते हैं और कभी दूसरी बात कहते हैं। न वह यह बतलाते हैं कि यह क्रिमिनल अरेस्ट है न यह कि यह सिविल अरेस्ट है। एडवोकेट जनरल साहब से समिति ने बहुत नम्र निवेदन किया है, कई दफ़ा उनको इत्तिला दी गई, उनसे गुजारिश की गई, एक दफा प्रस्ताव पास कर के उनकी खिदमत में भेजना पड़ा फिर भी वह समिति के सामने नहीं आये। आखिर में उन्होंने मेहरबानी की और लखनऊ में समिति के सामने उन्होंने अपना बयान दिया लेकिन उस बयान में समिति के सामने जो सवाल था उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब यह पूछा गया की क्रिमिनल चार्ज पर अरेस्ट है या नहीं तो उन्होंने कहा "नहीं"। जब पूछा गया कि किस किस्म की अरेस्ट है तो कहा कि इसका जवाब बाद में दूंगा लेकिन उसका जवाब आज तक उनसे नहीं मिला। बाद में भले ही उन्होंने अपनी राय दे दी कि श्री टंडन की राय से वे सहमत हैं, लेकिन यह कोई राय नहीं है। किसी आर्ग्युमेंट पर लीगल एक्सपर्ट अपनी राय बेस करता है और हो सकता है कि डिटेल्स में जाने के बाद वह कांक्लूज़न एडवोकेट जनरल साहब न निकालते।

श्री अध्यक्ष—यह इसमें मौजूद है क्या?

श्री अब्दुल मुईज खां—जी हां। इस सिलसिले में मैं भी इस रिपोर्ट के पेज ९१ की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा। जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने फरमाया। उनके कहने का मतलब था कि पुलिस ऐक्ट के मातहत उन्होंने ऐक्शन लिया लेकिन जब एडवोकेट जनरल साहब यह बात कह चुके हैं कि अरेस्ट हुई लेकिन किस क़िस्म की हुई यह उन्होंने नहीं बतलाया तब यह सवाल नहीं रहा कि अरेस्ट हुई या नहीं हुई क्योंकि अरेस्ट तो डेफिनिट है। पुलिस ऐक्ट के मातहत ऐक्शन लिया गया तो यह सवाल किया गया फैक्ट्स को देखते हुये। क्या उस मैजिस्ट्रेट को पुलिस ऐक्ट के मातहत अरेस्ट करने का अख्तियार था तो इस रिपोर्ट के अन्तिम शब्द यह हैं उन्हें मैं पढ़ देता हूं। अरेस्ट की पावर जिस मानी में आप समझते हैं उस मानी में मैजिस्ट्रेट को इस केस में अरेस्ट की पावर भी थी या नहीं। उन्होंने कहा 'परहैप्स नाट'।" श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि एडवोकेट जनरल साहब ने यह माना है कि अरेस्ट है लेकिन क्रिमिनल चार्ज पर अरेस्ट पर नहीं हुई। ऐक्शन लिया गया पुलिस ऐक्ट के मातहत लेकिन मैजिस्ट्रेट को पुलिस ऐक्ट के मातहत अरेस्ट करने की पावर नहीं है, यह बात इस केस में इस्टेब्लिश हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—उससे नतीजा क्या निकलता है ?

श्री अब्दुल मुईज खां—नतीजा यह हुआ कि क्रिमिनल चार्ज पर अरेस्ट नहीं हुआ। सिविल चार्ज पर एक्जिक्यूटिव की हैसियत से उन्होंने आर्डर दिया जैसा कि एस० डी० एम० साहब ने खुद फरमाया। मैं नतीजा बाद में निकालूंगा लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज इसमें हुआ। मैंने शुरू में यही अर्ज किया था कि इस केस में ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। उसी चीज को मैं डिटेल में कह रहा हूं। तो जब यह दफ़ा मान लिया गया कि अरेस्ट हुआ तो उसके साथ-साथ उन्होंने यानी एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि क्रिमिनल चार्ज पर यह अरेस्ट नहीं हुआ। अब यह सवाल होता है कि फिर वह अरेस्ट किस तरह का हुआ। इसका जवाब वह नहीं दे सके। जब डी० एल० आर० साहब आये तो उन्होंने भी यही कहा कि यह ऐक्शन पुलिस ऐक्ट के मातहत लिया गया और जब उनसे यह पूछा गया कि किस पुलिस ऐक्ट के मातहत यह ऐक्शन लिया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि "परहैप्स नाट" तो इसका नतीजा यह निकलता है कि पुलिस ऐक्ट के मातहत यह ऐक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उस ऐक्ट के मातहत उनको अधिकार हासिल नहीं था। जब हम ब्रीच आफ प्रिविलेज मान चुके हैं तो किसी तरह से यह अरेस्ट क्रिमिनल चार्ज पर नहीं हुई, यह मैं मानता हूं। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के हर पेज पर, जहां पर इसका जिकर आया है, यह बात कही गयी है कि अगर कोई इस तरह से अरेस्ट की जाती है उसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल पैदा होता है। टंडन जी ने इस चीज को इस रिपोर्ट के अन्दर भी कहा है और मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के पेज ६९ पर यह कहा गया है कि:

"In the circumstances of the case it did not occur to my mind that the matter be referred to the Hon'ble Speaker. I had no intention to show any disrespect or discourtesy to the House or any member thereof by committing any breach of privilege. It may be recalled that the arrest of Sri Narain Dutt Tewari was duly reported to the Hon'ble Speaker on the 9th Feb. 1954, by me. If however, the House feels and decides that the matter should also have been reported , I would submit that in that case I feel sorry for the inadvertent omission."

अगर हाउस इस बात को फील करता है कि उनसे कोई ग़लती हुई है तो वह इसके लिये अफसोस जाहिर करते हैं। अपालाजी के मायने यह नहीं होते कि अगर हाउस यह समझे कि उनसे ग़लती हुई तब वह अपालाजी के मुश्तहक़ हैं और उनको अफसोस है। उन्होंने इस बात को साफ नहीं कहा कि मुझसे ग़लती हुई और मैं उसके लिये अफसोस जाहिर करते हुए अपालाजी चाहता हूं। अगर इस तरह से सीधे सीधे वह अपालाजी जाहिर करते तब तो बात ही दूसरी थी और कमेटी भी इसमें ज्यादा दूर तक जाने को तैयार नहीं थी लेकिन उन्होंने सीधे तरीके से इस अफसोस को जाहिर नहीं किया। उनकी यह अपालाजी एक तरीके से कंटीजेंट अपालाजी है। उनका यह कर्त्तव्य था कि वह नोटिस देते लेकिन हाउस उनकी ग़लती साबित करे तब वह अपालाजी अप्लीकेबिल हो सकती है उसके पहले नहीं हो सकती। यह अपालाजी इस हाउस की अपालाजी नहीं है। इसका तजकिरा इस रिपोर्ट में नहीं आया है। लेकिन मैंने इस बात की कोशिश की और इस बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और अगर वह साफ तरीके से अपालाजी टेंडर करते तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि इस मामले में हम दूर तक जाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस तरह से अपने अफसोस जाहिर करने का जिकर उन्होंने किया है। यह उस तरह की अपालाजी नहीं है और न इससे किसी तरह से हाउस को मदद मिलती है। अगर हाउस इस नतीजे पर पहुंचता है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो वह इसके अन्दर आते हैं। लिहाजा पुरजोर अल्फाज में मैं श्री गेंदासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(बोलने के लिये कई सदस्य खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिये अधिक माननीय सदस्यों को अवसर नहीं देना चाहता क्योंकि यह विषय पहले इस सदन में आ चुका है। मैं चाहता हूं कि यह वादप्रतिवाद संक्षेप में हो।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, हमारी बहुत परेशानी तो माननीय मुईज़ खां साहब ने दूर कर दी है। मगर जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है, दो रिपोर्टें, चूंकि एक पहली यहां आई थी और वह फिर से समिति को भेजी गई थी, मैं उसी रिपोर्ट के कुछ प्वाइंट आप की सेवा में रखना चाहता हूं। मैं हाफ़िज़ जी से आप के ज़रिये निवेदन करूंगा कि वह जो मैं कहूं उसे ज़रा ध्यान से सुनें क्योंकि कल जो मैंने उनका रुख़ देखा, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आप से सही बताऊं कि हम चाहते हैं कि कानून में माननीय गेंदासिंह जी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर मुक़दमा चलाने की सरकार इजाज़त दे और हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहते हैं। तब हाफिज़ साहब को यह पता चल जावेगा कि सदन की मर्यादा की सुरक्षा कैसे हो सकती है। हर समय अड़ना और जिद करने से सदन की मर्यादा की हिफ़ाज़त नहीं हो सकती। श्रीमन्, आपने ही कई बार इस सदन में कहा है कि सदन की मर्यादा के लिये, सत्य के शोधन के लिये, यदि हम अपने बनाये हुये नियमों के कुछ इधर उधर भी चले जावें तो कोई हर्ज नहीं है। यह देखा जाय कि यदि प्रस्तुत प्रस्ताव पास हो जाता है और उसके पास होने पर जितने लीगल एक्सपर्ट्स (कानूनी जानकार) हैं वे सब कहते हैं कि क्योंकि मैजारिटी (बहुमत) का ज़ोर है इसलिये सत्य का शोधन नहीं हुआ, तो उससे सदन की मर्यादा नहीं बढ़ती है। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि सारी रिपोर्ट में हमको कोई बतला दे कि श्री नारायण दत्तजी के ऊपर किस सेक्शन में कार्य-वाही की गई थी। वह १४४ के तोड़ने में गिरफ्तार हुये या पुलिस ऐक्ट में गिरफ्तार हुये। यह गोल है, कहीं साफ नहीं है। और अब यह बात बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है कि अगर किसी सदस्य का इल्लीगल अरेस्ट ऐक्ट है तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। माननीय रामलखन जी ही कल भी फरमाये और आज भी भारतीय दंड विधान की आधारशिला के बारे में बोले। वह चाहे जो भी हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसी-ज्योर कोड या पुलिस ऐक्ट या इंडियन पीनल कोड या कोई भी हो, वह बतला दें कि किस सेक्शन के अनुसार उन पर कार्यवाही की गई। जैसे किसी बड़े समुद्र में जाल बिछा कर मछली को पकड़ा जाय, ऐसा किसी कोर्ट में नहीं होता है कि पहले कोई कार्यवाही कर ली जाय और फिर यह ढूंढा जाय कि किस धारा के अनुसार यह कार्यवाही ठीक बैठती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें यही नहीं मालूम है कि माननीय हाफिज़ जी हमसे क्या और क्यों करवाना चाहते हैं। यह जो ह्वाई (why) मैं पेश कर रहा हूं उस पर मैं ज़ोर देता हूं और उसका जवाब माननीय हाफ़िज़ से चाहूंगा कि हाफ़िज़ साहब क्यों चाहते हैं कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने जो प्रस्ताव आज सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसको यह सदन कबूल कर ले।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जब कुछ कहा नहीं है तो आप क्यों टीका-टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—उन्होंने जो आपत्ति की थी उससे मैंने यह अन्दाजा किया कि माननीय हाफ़िज़ साहब क्या चाहते हैं। एस० डी० एम० का जो आर्डर माननीय नारायणदत्त जी के खिलाफ कार्यवाही करने का है उसे मैं आप की इजाज़त से यहां पढ़ देना चाहता हूं। एस० डी० एम० का आर्डर है —

"Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144 Cr. P. C. by obstructing the Sugar Cane Carts, trucks and wagons from entering into L. Y. Sugar Factory, Kashipur. I hereby order the S. O. Kashipur to remove him under escort to Haldwani and release him there."

अब इस आर्डर के ऊपर क्या हमको यह शोभनीय है कि मजिस्ट्रेट ने जिस कानून के मातहत उनकी गिरफ्तारी की उससे आगे चल कर हम यह टटोलने लगें कि उनको किस-किस और दफा में फंसाया जा सकता है। श्रीमन्, मुझे माफ कीजिये मैं किसी के मोटिव पर अटैक (मंशा पर आक्रमण) करना नहीं चाहता लेकिन हम इससे और क्या नतीजा निकालें। माननीय गेंदा सिंह जी प्रिविलेज कमेटी के एक मेम्बर थे, उन्होंने प्रिविलेज कमेटी की तमाम बातों के बारे में आदर प्रकट किया है, मैं भी वैसा करता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि प्रिविलेज कमेटी अपने काम में बिलकुल फेल हुई है क्योंकि वह यह तक नहीं बता सकती कि उनके ऊपर कौन सा ऐक्शन लागू किया गया। किसी कोर्ट को यह क्या हक है वह मैजिस्ट्रेट के उस आर्डर को चेंज करे जिसके मातहत उनको पकड़ा गया और हल्द्वानी ले जाकर छोड़ा गया। यहां प्रिविलेज कमेटी की पोजीशन भी एक कोर्ट की सी है, तो उसको प्रिविलेज कमेटी किस प्रकार से चेंज कर सकती है। प्रिविलेज कमेटी ने यह अधिकार किस प्रकार से लिया कि वह मैजिस्ट्रेट के आर्डर को चेंज करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस धारा के मातहत नारायण दत्त जी को गिरफ्तार किया गया। मुझे सदर समिति ने बताया कि Cr. P. C. के दफा ६४ के अन्दर नारायण दत्त जी को गिरफ्तार किया गया। मैं इस आर्डर को आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। जो धारा ६४ बतायी गयी है।

श्री सुल्तान आलम खां—ऐसा किसने कहा? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं।

श्री राजनारायण—मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने इसको मान लिया। हमसे माननीय सभापति जी जो कमेटी के थे, उन्होंने यह कहा। अच्छा है अगर वह उनकी नजर में ग़लती है। जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है वह श्रीमन्, इस प्रकार है —

> "श्री नारायण दत्त तिवारी को अण्डर पुलिस एस्कोर्ट हलद्वानी ले जा कर रिलीज़ करने का आदेश डिप्टी कमिश्नर श्री राम स्वरूप सिंह के बयान के मुताबिक भारतीय दंड विधान की धारा १२७, १२८ के अधीन दिया गया था। परन्तु श्री टंडन, एस० डी० एम०, काशीपुर का बयान है कि उन्होंने यह हुक्म बहैसियत एक एक्जीक्यूटिव आफीसर के दिया था।"

जरा देखिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आम कहे और एस० डी० एम० इमली कहे और श्री नारायण दत्त जी पर न इमली, न आम ही लागू होता है। कैसी हालत है इसको मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं। आगे वे कहते हैं क्योंकि श्री तिवारी जी उस समय वहां अकेले थे और धारा १२७ और १२८ के लिये अनलाफुल असेम्बली का प्रश्न वहां नहीं उठता था। यह बात साफ है कि धारा १२७ और १२८ के मातहत श्री नारायण दत्त तिवारी को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता था। श्री के० एल० मिश्र, एडवोकेट जनरल ने अपने बयान में समिति को बताया कि एस० डी० एम०, काशीपुर ने उस समय जैसा आदेश दिया वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की किसी धारा के अधीन या क्रिमिनल चार्ज पर नहीं कहा जा सकता। आप देखें श्रीमन्, कि एडवोकेट जनरल की राय की प्रामाणिकता को मैं समझता हूं कि इस सदन में कोई चुनौती नहीं दे सकता और बार-बार इस सदन में अवसर प्राप्त हुये हैं और हमारे यहां मुंह को बन्द करने की कोशिश हुई है सरकार की ओर से, सरकार ने एडवोकेट जनरल की सम्मति सामने रख कर एक अचल पहाड़ सामने खड़ा कर दिया है। तो जब श्री के० एल० मिश्र ने सफाई के साथ समिति को यह बताया कि काशीपुर के एस० डी० एम० का आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल चार्ज पर नहीं है तो किस पर यह आदेश हुआ है? यह चीज मैं सम्मानित सदस्यों से जानना चाहूंगा कि जब क्रिमिनल चार्ज पर नहीं है

[श्री राजनारायण]

तब किसी दूसरे चार्ज पर यह हुआ, तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं ? जनतांत्रिक पार्लियामेंटरी दुनिया में सभी लोग मानते हैं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ । यह बिलकुल साफ है श्रीमन्, आप आगे देखें । जब धारा ६४ की ओर.....

श्री अध्यक्ष---आप से यह कहना चाहता हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात जब आप सदन के सामने रखें तो ऐसा मान कर चलें कि यह अरेस्ट जो हुआ वह कायदे के अनुसार नहीं हुआ । अगर कायदे के अनुसार हुआ हो या नहीं भी हुआ तो भी सदन को दोनों ही अवस्थाओं में यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस तरह का फैसला करे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ । यह इंगलिश पार्लियामेंट की प्रथा से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिये मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का कोई उद्धरण निकाल कर इसको निर्धारित करने की कोशिश आप करें और सदन को बतलावें कि सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई । अभी सदन ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की है कि इस अरेस्ट को लीगल अरेस्ट ही मान लिया जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह इल्लीगल अरेस्ट है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज कैसे हुआ ?

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब समिति ने यह कहा है कि नारायण दत्त जी तिवारी जी का अरेस्ट अवैधानिक है और जिस आधार पर मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार है उसी आधार महल को मैं ढहाना चाहता हूं । ए० जी० ने आगे यह भी बतलाया । सभापति जी बैठे हुये हैं । और धारा ६४ की बात कही इसलिये मैंने उसे रेफर कर दिया कि धारा ६४ के अन्दर भी ऐसा नहीं किया जा सकता, यह ए० जी० ने सफाई के साथ पेज ६२ पर कह दिया है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो इसमें लिखा हुआ है उसे सब ने पढ़ लिया है ।

श्री राजनारायण---मुझे ऐसा अन्दाजा लगता है कि सब ने तो पढ़ लिया हो लेकिन शायद आप ने नहीं पढ़ा है ।

श्रीमन्, निहायत अदब के साथ मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब सदन इस बात को समझ रहा है कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी की जो गिरफ्तारी हुई या जितना भी उनका डिटेंशन हुआ या जो उनको रिलीज किया गया वह सब अवैधानिक है, निराधार है और किसी कानून के अन्दर यह चीज नहीं आती है तो फिर इस सदन में इतने चार्ज की क्या जरूरत है ? यहां किसी पार्टी पोलिटिक्स का सवाल नहीं है । सफाई के साथ इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि जो मैजिस्ट्रट साहब थे उन्होंने बहुत ही गैरवाजिब काम किया और मैजिस्ट्रेट साहब, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत ही लिबरल व्यू लिया, चूंकि वे समिति के सदस्य थे नहीं तो मैं तो और भी आगे जाना चाहता था । आप जानते हैं श्रीमन्, कि अक्सर मैं ऋषि मुनियों का कोटेशन दिया करता हूं । एक धर्मकृति की आज्ञा मुझे याद आती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ग़लत तरीके से अपने अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसका देश निकाला किया जा सकता है । यहां तक हमारे पुराने लोगों ने कहा है । तो मैं गेंदा सिंह जी के सुझाव का समर्थन बहुत संकोच के साथ कर रहा हूं और यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर गेंदा सिंह जी के संशोधन पर भी समर्थन सदन में नहीं मिलता तो मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि हमें न्याय के लिये कहां जाना होगा ?

श्री अब्दुल मुईज खां---आपने पहले ही से कैसे समझ लिया ?

श्री राजनारायण---मैं अपील कर रहा हूं । इसलिये मैं हाफ़िज़ साहब से फिर अपील करूंगा कि हाफिज़ साहब चाहे गवर्नमेंट की ओर से कोई सुझाव आ जाय और चाहे माननीय अध्यक्ष महोदय ही कोई उपाय बतावें लेकिन हमारे दिमाग़ में कोई सफाई नहीं है । अगर सदन की राय हमारे विरोध में हाफ़िज़ साहब लेना चाहें तो मैं हाफिज़ साहब से कहूंगा कि वे मौका ले लें आप से । जैसा कि हमें डर है, अगर हाफिज़ साहब सारी ताकत लगायेंगे तो हमारे विपक्ष में बहुमत को ले जायेंगे ऐसा मैं जानता हूं लेकिन इस सदन के सम्मान के लिये मैं चाहता हूं क्योंकि इस सदन के बाहर भी बहुत से लोग कानूनी कार्य-वाहियों के जानकार होंगे और सब हमारी हंसी उड़ावेंगे कि सदन में बैठ कर ये लोग अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते । हम यह चाहते हैं कि ऐसी हंसी न उड़ाई जाय और इसी लिये मैं हाफ़िज़ साहब से निवेदन करूंगा कि हाफ़िज़ साहब मेहरबानी कर के पूरी ताकत लगाने के पहले माननीय अध्यक्ष से मौका ले लीजिये और अच्छे अच्छे कानूनी सलाहकारों से राय ले लीजिये । जहां तक अब्दुल मुईज़ खां साहब का संबंध है वह एक वकील हैं और उन्होंने अपनी असहमति की टिप्पणी में सब बातें साफ साफ कह दी हैं और इसलिये अब उसके डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है । ऐसी एडवोकेट जनरल की भी राय है, श्री जे० के० टन्डन की राय भी यही है और इन सब से यही नतीजा निकलता है कि नारायण दत्त तिवारी के साथ गैरकानूनी कार्यवाही हुई, मैजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी काम किया ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर मैजिस्ट्रेट के दिमाग में अपने काम के औचित्य की प्रबलता होती तो वह ९ तारीख को आप को इन्टीमेट (सूचित) न करते । और वह अपनी ग़लती को समझ रहा था कि हमारी तरफ से त्रुटि हुई है हमको पहले ही अध्यक्ष को इन्टीमेट करना चाहिये था । अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को सामने रखते हुये यह निर्विवाद है कि मैजिस्ट्रेट ने ग़लती की और उसकी गलती की वजह से ही नारायण दत्त जी के विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई और सदन का अपमान हुआ । तो मैं प्रार्थना करता हूं इस सदन से कि माननीय गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव जो बहुत सरल और सीधा है उसको सदन को प्रसन्नता के साथ मानना चाहिये ।

[* * * * *]

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार स्थगित करने की प्रार्थना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, इस बीच में जब तक हम उठे थे यहां एक बात पैदा हो गई है अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी चर्चा इस हाउस में करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप कर सकते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बात यह है कि श्री राजनारायण जी ने इस बीच में मुझसे यह फर्माया कि उनकी राय में यह क्वेश्चन जो यहां बहस में रहा है उससे ब्रीच आफ प्रिवेलेज बनता है और वह मुझको भी इसके मुताल्लिक समझाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह जो इस वक्त इसकी कार्यवाही खत्म होने वाली है वह इस वक्त खत्म न हो बल्कि उसको वह कल या जिस रोज के लिये जनाब की राय हो मुल्तवी कर लिया जाय । तो मुझको इसमें अपनी तरफ से कोई एतराज नहीं है अगर जनाब उसकी इजाजत दें । मगर मैं इतनी बात जरूर और चाहूंगा कि इस बात को खत्म करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें मैं श्री राजनारायण जी

[ ] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से तथा सदन की अनुमति से निकाल दिया गया।

देखिये आगे पृष्ठ १४८ पर ।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

और उन साहबान के सामने जिनकी राय आपके मुआफिक हो, रख दूं ताकि उसकी रोशनी में जो गुफ्तगू होना है वह हो जाय और उसके लिए जिस मैटीरियल की जरूरत है वह सामने आ जाय ताकि फरीकन बाद को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर जनाब की इजाजत हो तो वह बात भी जो मैं कहने वाला.....

श्री अध्यक्ष---आप उस प्रश्न पर बोलना चाहते हैं, जिसके ऊपर बहस हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने शुरू में अर्ज किया कि मेरी राय यह है कि वह क्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, आपकी राय यह है कि नहीं है। अगर मेरी आपसे इतनी बात नहीं हुई कि मैं आपको यह बतला दूं कि मेरी राय क्यों है और प्वाइन्ट्स सामने आ जायेंगे और उन प्वाइन्ट्स के ऊपर गुफ्तगू हो करके यह बात तय हो जायगी कि वाकई आपकी बात सही है या मेरी।

श्री अध्यक्ष---यह हाउस के बाहर होगी। अगर यह डिस्कशन एडजौर्न होता है तो बाहर बात हो जाय। हाउस का समय क्यों खराब किया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, बिलकुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष---अगर सब की एक राय हो कि उसके ऊपर बहस न की जाय बल्कि अगले सोमवार या दूसरे दिन हो। अगर इसमें किसी को आपत्ति न हो तो मैं मंजर कर लूं।

(आवाजें---किसी को आपत्ति नहीं है।)

तो यह मंजूर हुआ कि किसी दूसरे दिन इसके ऊपर बहस होगी। इस समय मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रोज और भी लोग बोलने के लिये शरीक होंगे और हाफिज जी भी उस वक्त बोलना चाहेंगे और दो एक लोग और बोलना चाहेंगे। तो मैं यह मान लूं कि मैंने जो सुल्तान आलम खां साहब से कहा था जवाब देने के लिये वह मैं प्रोसीडिंग्ज में से हटा दूं और जवाब उनका आखिर में होगा। तो इसके लिये भी किसी को कोई एतराज तो नहीं है।

(आवाजें---नहीं।)

तो मैं उसको प्रोसीडिंग्स में से हटा दूंगा* और सोमवार को मैं चाहता हूं इस पर बहस होना चाहिये। और उस दिन इसकी बहस ३ बजे तक खत्म हो जाय। १२ बजे तक क्वेश्चन आवर रहेगा उसके बाद सवा घंटा तो वह मिल जायगा और पौन घंटा इधर लंच के बाद।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता था कि हो सकता है कि एडवोकेट जनरल को भी चाहें और हम लोग भी समय ले रहे हैं इसीलिये ताकि हम लोग.....

श्री अध्यक्ष---तो ६, ७ रोज आप चाहते हैं। तो यह तो हो सकता है कि नेक्स्ट थर्स्डे या फ्राइडे को ले लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उस दिन तारीख क्या होगी ?

एक सदस्य---९।

श्री अध्यक्ष---अगर ९ तारीख आपको सूट नहीं करेगी तो उसके बाद के वीक में रखें। एक वीक गुजर जाने के बाद दूसरे सोमवार को रख दें। डेट बाद में फिक्स कर देंगे। तो यह बात तय हुई कि इस प्रश्न पर बहस स्थगित हुई और हम आगे की अब कार्यवाही ही शुरू करते हैं।

---

*श्री सुल्तान आलम खां का भाषण कार्यवाही से हटा दिया गया। देखिये फुटनोट पीछे पृष्ठ १४७ पर।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात के कहने में खुशी है कि जैसा पंचायत राज बिल यहां से स्वीकृत हुआ था वही कौंसिल ने मंजूर किये वह केवल क्लेरिफिकेशन के हैं और कोई नयी चीज ऐसी नहीं आयी जो कि सिद्धांत की या कोई सबस्टेंट की हो। एक तो इसमें संशोधन यह हुआ है कि पंचायतों के चुनाव के बाद जो गांव पंचायत में तादाद शिड्यूल्ड कास्ट की अपनी आबादी के अनुपात से होगी, उसमें से यदि कोई न्याय पंचायत में चुने जायं तो वह उस आबादी के हिसाब से जो कि उनका यहां रिप्रिजेंटेशन है, उसमें उनको गिना जाय। सवाल इस तरह पैदा होता है कि अगर २१ मेम्बर चुने जाने हैं और उनमें सात हरिजनों के स्थान हैं उनकी आबादी के हिसाब से और सात का चुनाव हो गया, उन सात में से एक न्याय पंचायत में नामजद हो गया तो वह जो ६ रह जायेंगे उससे वह कोई इल्लीगल पंचायत तो नहीं हो जायगी क्योंकि अपनी आबादी के अनुपात से उनकी तादाद फिर नहीं रहेगी। यह भी नहीं हो सकता कि एक ज्यादा चुनवा दिया जाय आठ पहले ही चुनवा दिये जायं क्योंकि इस तरह से वह भी एक ज्यादा हो जाता है। इसलिये यह सोचा गया कि जो न्याय पंचायत के लिये चुने जायेंगे, वह उस प्रोपोर्शन में उनकी गिनती हो जायगी। यह सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन है कि अगर कोई झगड़ा अदालत में जाय तो उस वक्त यह चीज साफ रहे हमारे कानून में। इस तरह से यह एक उस विचार का जो कि पहले इस सदन ने स्वीकार किया है, उसका क्लेरिफिकेशन है। कोई नई चीज नहीं है।

दूसरे दो तीन क्लेज हटा दिये गये हैं। जैसे "refer the matter to a Bench" यह रख दिया है या "Provided that at least one panch of the Bench shall belong to the Gaon Sabha in which the person resides" यह जो चीज है यह इसलिये हटा दी गई कि अब इरादा यह है कि जो न्याय पंचायतों की बेंचें हैं वह स्थायी रूप से हो जायं। इसलिये यह भी एक क्लेरिफिकेशन ही है। एक चीज यह है कि अगर किसी से जमानत ली जाय और वह न दे तो ५ रुपया रोज तक जुर्माना हो सकता है, यह एक ऐसी चीज है जो कि उसी बात को पूरा करती है जो कि इस सदन ने पहले स्वीकार की थी। बाकी एक यह है कि जैसे पहले केस, "सूट और प्रोसीडिंग" था, उसको अब "क्रिमिनल सिविल और रेवेन्यू केस" कर दिया। तो यह एक उसको सरल करने के लिये किया गया है कि लोगों को "केस सूट और प्रोसीडिंग" के क्या माने हैं, यह मालूम करने में दिक्कत न हो। और बाकी कुछ ऐसे हैं कि "A" बड़े से हो तो छोटे से कर दिया जाय या टाइप की या क्लेरिकल जिनको कहा जा सकता है, वह चीजें ठीक कर दी गई हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सदन ने बातें तय की थीं, उनमें कोई संशोधन हुआ हो। सिर्फ क्लेरिफिकेशन वहां हुआ है और मुझे आशा है कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संशोधन १

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है। मैं विधान परिषद् के संशोधनों को एक-एक करके ले लेता हूं और एक-एक के ऊपर राय ले लूंगा।

---

†विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन २३ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मैं धारा ५३ में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन होकर कौंसिल से आये हैं उनके संबंध में नियम १२५ इस प्रकार है कि:—

"125(a) If a motion that the Bill with amendments made by the Council be taken into consideration is carïed, the Speaker shall put such amendments to the Assembly in such manner as he thinks most convenient for their consideration."

आप तो मूल अधिनियम की धारा ५३ में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस समय वह नहीं आ सकता है।

श्री गजेन्द्र सिंह—अपोज तो किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—वह बात दूसरी है।

श्री गजेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि धारा ३ जो नवीन इसमें जोड़ी गई है उसमें मैं संशोधन करना चाहता हूं जो अभी बढाई गई है उसके लिये मेरा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष—मैं एक एक संशोधन ले रहा हूं। इसका पहला संशोधन यह है कि खंड १३ के अधीन प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (७) के दूसरे प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित को नये प्रतिबन्ध के रूप में रखा जाय। मैं एक एक करके लेता हूं। यदि आपका इसके ऊपर कोई संशोधन हो तो बतलाइये।

श्री गजेन्द्रसिंह—जी नहीं, इस पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जब समय आयेगा तो देखा जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इसका विरोध तो किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—हां, हो सकता है। मैं एक-एक को पढ़े देता हूं। आप जिसके विरोध में भाषण देना चाहें दे लें।

पहला संशोधन यह है कि खंड १३ के अधीन प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (७) के दूसरे प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित को नये प्रतिबन्ध के रूप में रखा जाय—

"Provided also that for purposes of determining the due representation of Scheduled Castes in any Gaon Panchayat any person elected to a seat reserved for such castes but who may have been subsequently appointed to the Nyaya Panchayat under section 43 shall be taken into account."

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् ने जो हिस्सा इसमें बढाया है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं और इसलिये मैं उसका विरोध करना चाहता हूं कि जब इस सदन में इस पर विचार हुआ था तब हम लोगों ने इस पर विचार किया था। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट के नाम पर गांव पंचायत में जो लोग आने वाले हैं अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी संख्या कम हो जायगी। हम किसी के रिजर्वेशन के पक्षपाती तो नहीं हैं लेकिन कांस्टीट्यूशन में इस बात की गुंजाइश है कि १९६० तक रिजर्वेशन हरिजन भाइयों के लिये रहेगा अगर ऐसा है और जिसको सदन ने ध्यान में रखकर ऐसा कानून बनाया था कि गांव पंचायतों में उनके अनुपात के हिसाब से उनका रिजर्वेशन रहेगा और उनके अनुपात से ही नियत अधिकारी उसकी सीट निर्धारित करेगा। उनकी सीटें निर्धारित हो जायंगी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन सीटों से वे चुन कर अनुपात की संख्या के अनुसार चले आयेंगे। तो यह मुनासिब बात है लेकिन जब उसमें से एक या दो न्याय पंचायत में चले जाते हैं तो फिर यह बंधन न रखना कि उस स्थान पर फिर हरिजन भाई ही चुने जायेंगे यह उनकी संख्या को गांव पंचायत में जो गांव सभा को एग्जीक्यूटिव होगी कम कर देगा। और हम समझते हैं कि किसी जाति के आधार पर किसी दूसरे आधार पर चुनाव न हों तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जब देश में ऐसी प्रथा है तो उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिये। अच्छा हुआ होता कि विधान परिषद ने इस उलझन का भी कोई इलाज सोचा होता कि जो न्याय पंचायत में कोई व्यक्ति चला जाय हरिजन भाइयों में से तो फिर उनके अनुपात के अनुसार गांव सभा में भी उनकी संख्या पूरी हो जाय इसको भी वे सुझा देते। लेकिन ऐसा विधान परिषद् ने नहीं किया और हमको एक नयी उलझन में डाल दिया। फिर तो यह भी हुआ होता कि अगर विधान परिषद इस बात को मुनासिब समझती थी तो न्याय पंचायत में ही वह संशोधन कर देती कि न्याय पंचायत में भी हरिजनों की संख्या के अनुपात के मुताबिक उनका स्थान हो जायगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा तो कम से कम गांव सभाओं में तो उस संख्या के अनुसार रहने दें, यह उनको सोचना चाहिये था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं ऐसा समझता हूंकि इस संशोधन को जो विधान परिषद् द्वारा किया गया है स्वीकार करने से एक वर्ग के प्रति कुछ अन्याय हो जाने का डर हमको लगता है। तो ऐसे अन्याय से उनको बचाया जाय और यह बात सही है कि गांव सभाओं में जो हरिजन लोग हैं उनके स्वार्थों की बात काफी आती रहती है, तरह तरह के करों को लगाने का कार्य भी उस गांव पंचायत का होगा। तो गांव पंचायत जो कि गांव सभा की कार्यकारिणी है उसमें उस वर्ग के लोग न रहें तो एक तो यह बात हो सकती है कि हमारे साथ कुछ लोगों ने पक्षपात कर दिया। सिर्फ इतने से ही तो काम नहीं चलता कि पंचायत बहुत इंसाफ के साथ अपना काम करे लेकिन दूसरे लोग यह समझें कि उनका प्रतिनिधित्व उस पंचायत में नहीं है तो यह भी तो एक कमी रह जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि उनका प्रतिनिधित्व गांव पंचायत में जो कार्यकारिणी है गांव सभा की उसमें भी अनुपात के मुताबिक रहे और तब मैं समझता हूं कि इन करों के लगाने में थोड़ी सुविधा होगी। जो उनके प्रतिनिधि रहेंगे वे उनकी कठिनाइयों को गांव सभा के सामने रखने में सफल होंगे। तो इस तरह से जब कर लगाने का काम वहां पर जारी है और कर ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है जो बिल्कुल निर्धन हैं, ऐसी गांव पंचायत विधेयक में गुंजायश है, तो फिर वैसी हालत में पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उनको रहना चाहिये। मैं इस बुनियाद पर माननीय स्वशासन मंत्री जी से यह अपील करना चाहूंगा कि वह कृपा करके इस दृष्टि से इस बात को सोचें कि उनकी कठिनाई आगे न बढ़े और इस कानून में ऐसी गुंजाइश अगर नहीं रहेगी कि लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके तो इस कानून का जिसके ऊपर बड़ा भरोसा है लोगों को और जो हमारे सूबे के हजारों गांव हैं उनको एक नया नक्शा देने का स्वप्न देखता है उसमें अगर पिछड़े हुये लोगों का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं होता है तो इस मामले में कठिनाई पड़ सकती है जिसका सामना हमें उतना नहीं करना पड़ेगा जितना कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को करना पड़ेगा। तो उनकी कठिनाई का भी हमें ध्यान है। हम यह जरूर चाहते हैं कि उनको फिजूल कठिनाइयों का सामना करना न पड़े। अगर कठिनाई का सामना करना पड़े तो ऐसी कठिनाई हो जिसके हल करने से कुछ काम बने। लेकिन यह सिर्फ एक तरीके में भेद कर देने से एक बेकार की कठिनाई आ जाती है। लोगों के दिमाग में एक परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिमागी परेशानी को पैदा न किया जाना बहुत मामूली बात है और यह कौंसिल को फिर मनाने की कोशिश करें। अगर कौंसिल के सामने इस तरह की बात आयी होती तो विधान परिषद् इस बात को मान सकती थी क्योंकि वह हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों की संस्था है। अगर वह लोग इस बात पर अच्छी तरह से गौर करते तो इसको मान लेते। पहले तो हम माननीय स्वशासन मंत्री जी को ही मनाना चाहते हैं। अगर वह मान जायं तो फिर विधान परिषद् को मनाना आसान हो जायगा क्योंकि यह बात सही है कि विधान परिषद् में तो केवल उनको मनाना पड़ेगा, हम लोगों की तरफ से। मैं उनकी कठिनाई समझता हूं कि

[श्री गेंदासिंह]

वह विधान परिषद् को मनाने में कितनी दूर तक सफल हो सकेंगे। तो पहले स्वयं माननीय स्वशासन मंत्री जी को मान जाना चाहिये। कुछ और भाइयों को भी सुन लें ताकि उनके पास कुछ और सामान हो जाय विधान परिषद को मनाने के लिये। तो मैं समझता हूं कि उनकी कठिनाई बहुत कम हो जायगी।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक है। माननीय गेंदा सिंह ने इसका विरोध किया। जिन कठिनाइयों को उन्होंने बतलाया वह कठिनाइयां तो हैं वहां, पर यदि इसको स्वीकार न किया जाय तो मार्ग के अन्दर इससे अधिक कठिनाइयां आ जाती हैं। विचार किया जाय। इसके स्वीकार न करने से कौन-कौन कठिनाइयां आयेंगी। एक कठिनाई की ओर माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया। इसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी कह सकते हैं कि दूसरा कोई प्राविजन करके इसको दूर करना चाहिये। सोचना यह होगा कि आखिर इस कठिनाई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक तरीका यह होगा कि कोई परिगणित जाति का सदस्य न्याय पंचायत में चुन कर चला जाता है तो जितनी संख्या घट जाती है उसकी पूर्ति की जाय। तो पूर्ति करने के मार्ग में यह कठिनाई होगी कि जो परिगणित जाति के लोग नहीं हैं, जो शेष बच गये हैं, उनसे जगह खाली होनी चाहिये। तभी जगह पूरी की जा सकती है। तो फिर जगह खाली कौन करे? मान लीजिये कि ३६ सदस्य गांव पंचायत के हैं और पांच न्याय पंचायत में जाने चाहिये। कुल ४१ होते हैं। इनमें से सात सीटें सुरक्षित हैं परिगणित जाति के लिये उसमें से एक चला गया न्याय पंचायत में। छः बच रहे। एक को स्थान देने के लिये यह आवश्यक होगा कि एक सीट जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनमें से खाली हो। कौन खाली करे? इसके लिये आवश्यक होगा कि सभी वर्ग के लोग इस्तीफा दें या फिर से चुनाव किया जाय। तभी यह मुमकिन हो सकता है। अगर ऐसा हम करते हैं कि सबसे इस्तीफा दिलवाया जाय या फिर से चुनाव करवाया जाय तो बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है।

दूसरा आल्टरनेटिव यह है कि हम ऐसा कानून बनायें कि न्याय पंचायत में भी परिगणित जाति का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखा जाय। जब पंचायत अधिकारी न्याय पंचायत में सदस्यों को मनोनीत करे तो इस बात का ध्यान रखे कि न्याय पंचायत में जितनी सीटें सुरक्षित रहती हैं परिगणित जाति के लिये इतनी ही रखे। अब न्याय पंचायत के संबंध में कानून बनाया जा रहा था तो सदन ने सिद्धांत मान लिया कि हम न्याय पंचायत में कोई सीट सुरक्षित न रखें। पहले भी ऐसा नहीं था और इस बीच में जो संशोधन उसमें हुआ न्याय उसमें भी पंचायत के लिये कोई सीट सुरक्षित नहीं की गयी। वह किसी सिद्धांत पर रखा गया था। तो अब हमें उस सिद्धांत को तोड़ना होगा या तो विवश हो कर परिगणित जातियों के लिये न्याय पंचायतों में सीट सुरक्षित रक्खें।

ऐसी सूरत में रास्ता निकल सकता है कि हम अधिकारी से यह कहें कि न्याय पंचायतों के लिये चुनते समय परिगणित जातियों के लिये संरक्षण दिया जाय और ग्राम पंचायतों में जितना संरक्षण दिया गया है और न्याय पंचायतों में जितना दिया जाय सब मिला कर हमें इतना संरक्षण देना होगा। इस पर हमें विचार करना होगा। सोचना यह है कि क्या न्याय पंचायतों में ऐसा संरक्षण देना उचित होगा। मेरा जहां तक खयाल है बहुत ज्यादा बहस न करके मैं यह समझता हूं कि न्याय पंचायतों में संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय पंचायतों में यह प्रश्न नहीं है कि परिगणित जातियों पर इतना टैक्स लादा जाय। ग्राम पंचायतों को जो कार्य भार दिया गया है उसमें तो बहुत से मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें परिगणित जातियों का संबंध टैक्स से हो, इसलिये उनकी आवाज वहां होनी चाहिये लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्याय पंचायतों में किसी वर्ग विशेष की आवाज का प्रश्न नहीं है, वहां जो मामला आयेगा वह न्याय से संबंधित होगा। इसलिये न्याय पंचायतों में परिगणित जातियों के लिये कोई सीट सुरक्षित करना वांछनीय नहीं है। हमें यह आशा करनी चाहिये कि चुन कर जितने लोग न्याय पंचायतों में जायं उनमें परिगणित जातियों के लोग अगर इंसाफ के आदमी हैं तो सुरक्षित सीट्स से ज्यादा जा सकते हैं। संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि उतने ही जायेंगे उनसे भी अधिक जा सकते हैं। इसलिये इन सब बातों पर विचार करते हुये मैं यह चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधान परिषद की ओर से आया है इसको स्वीकार किया जाय इसके स्वीकार न करने से तमाम कठिनाइयां होंगी उन कठिनाइयां को दूर करने के लिये यह संशोधन स्वीकार करना आवश्यक है।

श्री गजेन्द्र सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक में जो संशोधन हुआ है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन इस प्रकार है ——

"Provided also that for purposes of determining the due representation of Scheduled Castes in any Gaon Panchayat any person elected to a seat reserved for such castes but who may have been subsequently appointed to the Nyaya Panchayat under section 43 shall be taken into account."

अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये कि ८ आदमी शेड्यूल्ड कास्ट के लिये जाने हैं। एक आदमी अदालती पंचायत में ले लिया गया है तो ७ आदमी ग्राम पंचायत में रह जायंगे। अगर उसको रिजर्व सीट में काउंट किया जायगा तो ग्राम पंचायत में ७ आदमी रह जायेंगे, इससे उनके हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिये प्रश्न पैदा होता है कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो जैसा कि पूर्ववक्ता ने कहा कि इससे बड़ी भारी परेशानी पैदा हो सकती है और वह यह कि कौन सी जगह खाली की जाय तो जहां तक जगह खाली करने का प्रश्न है जो शेडयूल्ड कास्ट के मेम्बर अदालती पंचायत में इलेक्ट कर लिये गये हैं उनकी जो जगह खाली है वहां पर उसी कास्ट के लोग लिये जा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि न्याय पंचायत में संरक्षण नहीं देना चाहिये। उसमें खतरा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि बहुत से नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कलेक्टर, डिप्टी की पोस्ट्स शेडयूल्ड कास्ट के लोगों के लिए सुरक्षित रहती हैं और उनमें से बहुत से एस० डी० एम० तक बन जाते हैं और वहां बैठ कर न्याय करते हैं। जब वहां बैठ कर न्याय वे कर सकते हैं तो क्या कारण है कि उन्हीं हरिजनों में न्याय पंचायत से बैठ कर वे न्याय नहीं कर सकते? तो इस तरह से यहां पर दलील देना कि न्याय के मामले में संरक्षण नहीं देना चाहिये, रिजर्व सीट नहीं देना चाहिये, यह कोई ऐसी दलील नहीं है जिसको मान लिया जाय। इस दलील के मातहत भी सभी काम हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह भी कहना है कि वहां पर जो सीट खाली होगी उसमें फिर से उसी वर्ग के आदमी को लेना चाहिये। अगर इस संशोधन को मान लिया जायगा तो इससे उनका प्रतिनिधित्व कम हो जायगा और इससे उनके हित में कुठाराघात होगा।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय विरोधीदल के हमारे पूर्व के वक्ता ने माननीय केशभान राय जी की बात को समझा नहीं है और जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सब असंगत बात कह डाली। अभी यहां पर स्पष्ट रूप से केशभान राय जी ने बताया कि यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो कोई जगह उससे खाली नहीं होती। विरोधी दल के वक्ता ने यह गलत बताया कि उन जगहों में एक जगह खाली होगी और एक के न्याय पंचायत में जाने से ७ के बजाय ६ रह जायंगे। लेकिन ४३ में से ७ अगर जाते हैं तो फिर वहां पर ३६ ही रह जाते हैं। ७ के जाने से उतने ही रह जाते हैं। ३६ में कौन सी एक जगह खाली मानी जायेगी और वह कैसे भी जायेगी यह कठिनाई स्पष्ट है।

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

दूसरी बात जिसका जिक्र किया गया वह इसमें रखी गयी है और न्याय पंचायत में संरक्षण देने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। इसलिये सदन के सामने ऐसा संशोधन नहीं है कि न्याय पंचायत में संरक्षण देने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। इसलिये सदन के सामने ऐसा भी मत नियमानुसार हो तो इस समय आप कोई संशोधन इस प्रकार का नहीं कर सकते हैं। इसलिये कि सदन ने उस चीज को स्वीकार कर लिया है। इसलिये न्याय पंचायत में इस तरह से संशोधन आपको नये सिरे से करना होगा जो संभवतः नये बिल के द्वारा ही हो सकता है—जो इस समय नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा करते हैं तो उस सिद्धान्त के विरुद्ध जाना होगा जिसको सदन ने स्वीकार कर लिया है और हम उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? यदि यह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो गांव सभा में कहीं एक जगह, उसकी एक संख्या कम हो जायगी लेकिन न्याय पंचायत में उनकी संख्या बढ़ सकती है। उनकी संख्या सीमित न होने की वजह से ऐसा सम्भव हो सकता है कि यदि परिगणित जाति के भाई अधिक योग्य और ईमानदार साबित हों तो ५ या कुल सीट उसी वर्ग की हो सकती हैं या अधिक से अधिक हो सकती है। यदि एक जगह पर हानि समझी जाती है तो दूसरी जगह उनको लाभ हो सकता है। इसलिये इससे कोई उस वर्ग का अहित नहीं हो सकता है जिनके हित के कारण इस संशोधन का विरोध किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने से कानूनी कठिनाई भी दूर होती है और उस वर्ग का अधिक हित होता है यद्यपि इस सदन ने परिगणित जाति के लिये न्याय पंचायत में संरक्षण स्वीकार नहीं किया है किन्तु इस संशोधन को स्वीकार करने से इस बात की सम्भावना हो जाती है कि उन जगहों में भी यथोचित संरक्षण प्रतिनिधित्व उनका बिना संरक्षण ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसका विरोध करना किसी प्रकार से उस वर्ग के हित में नहीं है जिसका नाम लेकर इसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। इससे उनका हित होगा और अधिक से अधिक न्याय पंचायत में बिना संरक्षण के वह आ जायेंगे अन्यथा इस संशोधन के न मानने का परिणाम यह होगा कि न्याय पंचायत के द्वार उनके लिये बंद हो जायेंगें और उनके लिये यह संशोधन द्वार खोलता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल के भाई इसको स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)— श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं इस प्रस्तुत एमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि और उनसे यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि जो लोग पिछड़े हुये थे उनके लिये गांव सभा में और न्याय पंचायत में सीट रिजर्व कर दीं ताकि वह खड़े हो सकें। यहां पर दुहाई हो गयी कि ७ होना चाहिये लेकिन मैं कहता हूं कि किसी को रिजर्व न रखिये। हर प्रदेश में तीन प्रकार से शासन होता है जुडिशियरी, एक्जिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। उसमें जुडिशियरी का जो डिपार्टमेंट है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विधान सभा से और पार्लियामेंट से डिसीजन होने के बाद भी आज जुडिशियरी के जजेज को यह पावर है कि वह हमारे फैसलों को कभी भी अवैध कर सकती है। जिसका परिणाम यह है कि आज गोरखपुर में गुप्ता जी के स्थान पर चुनाव होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसके लिये डिसीजन दिया था। यह प्रधान चीज हमारे देश के न्याय की है। न्याय पंचायतों में अगर एक और आदमी हमारा चला जाय और ६ रह जाते हैं तो हमारा अहित नहीं हो सकता। ७ में से १ गया तो भी तरक्की तो हुआ करेगी। यहां इन्साफ का पलड़ा है वहां भी हमारे आदमी के पहुंचने का उपाय सरकार ने किया। तो मैं गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मैनीफैस्टो में कहां यह रखा है। मैं देखता हूं कि लाल टोपी धरने वाले...

श्री अध्यक्ष— यह 'लाल टोपी' का जिक्र करना असंगत सा है।

श्री शिवनारायण—उनकी लाल टोपी नहीं है। यूनिवर्सिटी बिल में हरिजनों के लिये सीट का रिजर्वेशन का सवाल आया तो उन्होंने विरोध किया। जो उचित बात है उसे सबको मानना चाहिये। हम सरकार के एहसानमन्द हैं कि वह काउन्सिल से पास करके ऐसी बात लायी है। उनके खिलाफ मेरा यह चार्ज है कि वह यह चाहते हैं कि हम न्याय की अदालतों में न पहुंचें। जैसा शुक्ल जी ने कहा, पांचों के पांचों चले जा सकते हैं। यह एक टेस्ट है और अच्छे हरिजन मिलेंगे तो उनको प्रोमोट किया जायगा। यह बड़ा अच्छा विचार शुक्ल जी ने रखा है। हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं और मैं इस एमेंडमेंट का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)— प्रस्तुत संशोधन पर इतने लम्बे चौड़े वादविवाद की आवश्यकता तो नहीं थी और मैं भाई शिवनारायण जी को क्या कहूं। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, इस सबकी चर्चा उन्होंने की। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस न्याय पंचायत का गठन एक एग्जीक्यूटिव आफिसर के द्वारा होगा उसमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की दुहाई क्यों दी जाती है? हमने जबरदस्त विरोध किया था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारटी पंचों को सेलेक्ट न करे बल्कि जैसा पहले चुनाव होता था वैसे ही चुनाव हो। मगर यह वर्तमान सरकार ने अनुसूची कर दी इसलिये इस तर्क में कोई दम नहीं है कि यह सरकार जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहती है और एक्जीक्यूटिव को उससे अलहदा रखना चाहती है, इसलिये मैं उनके लिये तो नहीं जो जागते हुये भी सोते हैं पर दूसरे की जानकारी के लिये यह निवेदन करता हूं कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर हम यह न सोचें कि न्याय पंचायतें ऐसी स्वतंत्र चीज है कि वह स्वतंत्रता के साथ फैसला देती रहेंगी। अगर ऐसा भाव होता तो मैं उसका बहुत आदर करता मगर उसे तो पहले ही दफना दिया गया है। पहले ही यह कह दिया गया है कि न्याय पंचायतों की नियुक्ति होगी। इलेक्शन वहां से हटा दिया गया है। अब सवाल यह रह जाता है कि गांव पंचायत में, शिड्यूल कास्ट की आबादी के मुताबिक जो उनको रिप्रजेंटेशन देने की गारन्टी दी गयी थी वह क्यों? यदि उसमें कोई तथ्य है, कोई मौलिकता है, कोई उसका हेतु था या न था इसको बिना देखे अगर हम कोई कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय जल्दी का होगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने भी साफ तौर पर समझाने की चेष्टा की और मैं भी करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि शिड्यूल कास्ट्स को जो यह हक दिया जा रहा है कि वह अपनी आबादी के मुताबिक गांव पंचायतों में रिप्रेजेन्टेशन रखें तो उनसे वह हक क्यों छीना जा रहा है। वह हक इसलिये दिया गया था कि शिडयूल कास्ट्स इस समय शिक्षित नहीं है, पिछड़ी हुई है, जाति तथा सामाजिक विभिन्नताएं भी हैं, सामाजिक डांड़मेड़ हैं जिनके कारण उनके हकों पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए यह उचित समझा गया कि अगर उनके लिये आबादी के अनुसार कोई सीट सुरक्षित नहीं की गयी तो आज समाज में जो सत्ताधारी तबका है वह चुनाव में आ जायगा और शिडयूल्ड कास्ट के लोग न आ पायेंगे। यही बात थी जिसके कारण उनको सुरक्षित सीट्स दी गयी थीं। यही बात थी जिसके कारण एसेम्बली या पार्लियामेंट में शिडयूल कास्ट के लिये सुरक्षित सीट्स रखी गयीं वर्ना किसी जाति के आधार पर किसी जनतंत्र में किसी के लिये सीट्स सुरक्षित करना कोई शोभनीय बात नहीं है। मगर अपने देश में जो विशेष परिस्थिति है, जो विभिन्नतायें हैं, जो जांतिपांति तथा डांड़मेड़ों में समाज बंटा हुआ है, उसके कारण ही ऐसा किया गया था। जो उच्च जातियां हैं वे आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रबल हैं वे अपनी आर्थिक प्रबलता के कारण भी चुनाव में पैसा खर्च करके बाजी मार लिया करती हैं। वह ऐसा न कर पायें इसलिये शिडयूल्ड कास्ट को इत्मीनान दिलाने के लिये कुछ सीट्स उनके लिये रिजर्व कर दी गयीं।

श्री अध्यक्ष—आप तो बड़े-बड़े सिद्धान्त बता रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—मैं कतई नहीं चाहता था लेकिन श्री शिवनारायण जी ने ऐसा सवाल उठा दिया। मैं इसी पोइंट पर केन्द्रित होना चाहता हूं कि अब यह सदन इस बात पर विचार करे और हमको बताये कि गांव पंचायत के लिये जितनी सीट्स निहित थीं उनकी संख्या में कमी होती है या नहीं और इस प्रकार से उनके हक पर कुठाराघात होता है या नहीं? हां, एक आवाज आयी, उन्होंने जवाब दिया कि वे उनकी जगह उन्हीं को चुन देंगे। ठीक है, अगर माननीय मंत्री जी हमें यह आश्वासन दें कि इस विधेयक के अन्दर कोई ऐसी गुंजायश वे करेंगे कि जो शिडयूल्ड कास्ट का आदमी न्याय पंचायत में लिया जायगा उसकी जगह कोई शिडयूल्ड कास्ट का ही आदमी ले लिया जायगा तो फिर हमें कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारा मकसद भी यही है। हम अपने विरोध के जरिये यहां के माननीय सदस्यों को और सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि शिडयूल्ड कास्ट्स के हक पर तनिक भी कुठाराघात हमको बरदाश्त न होगा। इस संशोधन में हम देख रहे हैं कि इस तरफ तो शिडयूल्ड कास्ट की सीट को रिजर्व किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ उसको छीना जा रहा है। ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिये। अगर सरकार की यह नीति हो कि वह एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले ले तो उसे स्पष्ट सामने आना चाहिये। तब यह न कहें कि हम शिडयूल्ड कास्ट के लिये सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं। साफ बातें करें। हमारा जो मत है उसे हम व्यक्त कर दें और सरकार का जो मत हो वह अपना मत व्यक्त कर दे मगर यह कहना कि हम तो गांव पंचायतों में शेडयूल्ड कास्ट को सीट्स का रिजर्वेशन रखना चाहते हैं और उसमें से यदि वह न्याय पंचायत में चला जायगा तो जो कमी होगी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तो इसको कतई नहीं मान सकता। श्रीमन् इसलिये मैं चाहता हूं कि गांव पंचायतों में शेडयूल्ड कास्ट की आबादी के मुताबिक जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वह बराबर कायम रहे। अब वह किस तरह से कायम रहेगा इसके लिये रास्ता निकालना सरकार का काम है। अगर हमारी सरकार होती और हमको विधेयक बनाने का हक होता तो हम उस तरीके का मसविदा इस सदन में प्रस्तुत करते लेकिन श्रीमन् यहां तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक संशोधन जो आया उसका असर तो व्यापक पड़ता है लेकिन हमारी दिक्कत यह होती है कि कौन सा संशोधन इसमें रखें और जो दिक्कत पड़ती है उसको कैसे दूर करें। ये हमारी जो दिक्कतें हैं यह सरकार का फर्ज है उसको दूर करे। इन शब्दों के साथ श्रीमन् मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी स्वायत्त शासन विभाग से कि हम लोगों का जो विरोध है उसको नोट करें और ऐसी कोई परिस्थिति पैदा करें जिससे शेडयूल्ड कास्ट के अन्दर यह इत्मीनान रहे कि उनकी सीट्स की जो गारेन्टी की गयी है उसमें कोई कमी नहीं आवेगी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करता हूं कि शायद मई में जब यह एमेंडमेंट ऐक्ट पास हुआ था तो उस समय भी मैंने सदन के सामने इस सुझाव को रखा था और उसी को माननीय मंत्री जी एक दूसरे ढंग से लाये हैं। उधर जो एक साहब बैठे हुए हैं जिनको हर बात में गवर्नमेंट के ऊपर गर्व है कि उसने शेडयूल्ड कास्ट के लिये बहुत काम किया है वे इस बात को भूल जाते हैं कि इसमें जो शब्द रखे गये हैं उससे हरिजनों का कौन सा हित हो रहा है। अगर वास्तव में देखा जाय तो हरिजनों की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। वास्तव में देखा जाय तो इससे इल्लीगेलिटी होती थी, विधान की और यह पंचायतराज ऐक्ट के विरुद्ध भी पड़ता है। उसी समय मैंने अपील की थी कि यह प्रोविजन जोड़ दिया जाय क्योंकि उस समय मैंने ही यह सवाल उठाया था कि मान लीजिये गांव पंचायत से कोई हरिजन न्याय पंचायत में ले लिया जाता है तो इसका बिल्कुल अर्थ यह होता है गांव पंचायतों में जो रिजर्वेशन (संरक्षण) दिया गया है वह रिजर्वेशन नहीं रहता है। पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार जो हरिजनों को अधिकार दिया गया था उसको भी छीन लिया

गया है। अगर किसी गांव पंचायत से कोई हरिजन न्याय पंचायत में आ जाता है तो इसका साफ मतलब यह है कि गांव पंचायत में हरिजनों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। तो हरिजनों की उसी आवाज को न उठाने का मौका न देने के लिये कि हमारे अधिकार छीन लिये गये हैं इस तरह का एक रोड़ा हरिजनों के मार्ग में अटका दिया गया है और श्री शिवनारायण जी को गर्व है कि गवर्नमेंट हरिजनों के लिये बहुत काम कर रही है। इसमें साफ है कि न्याय पंचायत में हरिजनों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन कोई दयालु अफसर अगर ऐसा है जिसने किसी हरिजन को जो गांव पंचायत में है न्याय पंचायत के लिये नामिनेट कर दिया है तो इसका साफ मतलब हो जाता है कि गांव पंचायत में हरिजनों को रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा और यह हरिजनों के हित की कोई भावना नहीं है। अगर इसके अन्दर हरिजनों के हित की कोई भावना होती तो उसमें यह होना चाहिये था कि अगर कोई हरिजन गांव पंचायत से न्याय पंचायत में आ जाता है तो उसके स्थान की पूर्ति में कोई हरिजन मेम्बर ही लिया जायगा। यह हरिजनों के लिये बड़ी सरल और सीधी चीज होती लेकिन ऐसा न करके इस तरह से हरिजनों के अधिकार को कम ही किया गया है। अगर गांव पंचायत से न्याय पंचायत में कोई सदस्य जाय और उसके स्थान पर हरिजन सदस्य न रखे जायं तो इस तरह से हरिजनों के वैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है। मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी जिन्होंने हरिजनों की इतनी सेवा करने का अपना विचार व्यक्त किया है और जिनके दिल में हरिजनों के प्रति आदर की भावना है उनको भी भ्रम हो गया है और मृग मरीचिका पैदा हो गयी। एक तो उसके अनुसार हरिजनों का कोई काम होता नहीं है और जहां होने की गुंजायश भी है वहां इस तरह से रोड़े अटकाये जाते हैं। तो इन बातों से जो हमारा समाज है अगर उसके साथ सहानुभूति करने के लिये कुछ उपाय होता है तो फिर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है कि हरिजनों के लिये यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है और हरिजनों के लिये रिजर्वेशन दिया जा रहा है और इस कारण समाज में एक वैषम्य फैला हुआ है। एक तरफ तो यह बात है दूसरी तरफ गवर्नमेंट कानून बना कर ऐसा कहती है कि ऐसा करेगी लेकिन करती वह कुछ नहीं है। तो इस तरह से वे बेचारे हरिजन दोनों तरफ से मारे जाते हैं। इधर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती और उधर समाज में जो उनके लिये थोड़ी बहुत सहानुभूति रहती थी वह भी खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार से हरिजनों की परिस्थिति दिन पर दिन बहुत बुरी हो रही है। इसीलिये मैंने मंत्री जी से कहा था कि जिस समय स्वराज्य नहीं हुआ था उस समय हरिजनों की स्थिति वैसी खराब नहीं थी जैसी कि आज है। और अब होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष—जो इसमें सवाल है आप उसी पर रहिये।

श्री जोरावर वर्मा—मैं उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं कह रहा था कि अगर कोई सदस्य न्याय पंचायत में गांव पंचायत से ले लिया जायगा तो उसको गांव पंचायत में ही सम्मिलित समझा जायगा। तो मैं अर्ज करूंगा कि जो आज हो रहा है उससे हरिजनों का कोई हित नहीं हो रहा है। हां, इससे यह जरूर हो रहा है कि इसमें जो एक अवैधानिकता हो रही थी और जिसकी ओर मैंने पहले ही इशारा किया था और बताया था उसको माननीय मंत्री जी ने दूर कर दिया है।

जो लोग हरिजनों के प्रति सहानुभूति करने का दावा किया करते हैं उनको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये कि इससे हरिजनों का कोई लाभ हो रहा है। वस्तुतः मंत्री जी एक अवैधानिकता को दूर कर रहे हैं और इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिसको मैंने कहा था उसकी अवैधानिकता को उन्होंने दूर कर दिया है। यदि सुबह का भूला भटका शाम को भी घर आ जाय तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं और इसके लिये

[श्री जोरावर वर्मा]

मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । लेकिन जहां तक हरिजनों के संरक्षण की बात है उसके लिये इसमें कोई गुंजायश नहीं है । इसलिये मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे दुःख है कि मेरे मित्र राजनारायण जी और जोरावर वर्मा जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं हैं जो शायद सरकार की तरफ से कभी सोची भी नहीं गयी थीं । यहां यह कहना कि सरकार हरिजनों के अधिकार लेना चाहती है या छीनना चाहती है, या उनका अहित चाहती है यह किसी भी प्रकार से इस संशोधन से जाहिर नहीं होता । श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि इसके पीछे जो चित्र है उसको देखते हुये इस संशोधन पर विचार करना पड़ेगा । विधेयक में कुछ परिवर्तन किया गया था । पहले अदालती पंच चुने जाते थे । विधेयक के अन्दर संशोधन हुआ और यह निश्चय किया गया कि एक पैनल चुना जाय और उसमें से कुछ व्यक्ति अदालती पंच नियुक्त कर दिये जायं और जो बाकी बचें वह गांव सभा के सदस्य माने जायं । यह भी निश्चय किया गया था कि गांव सभा के सदस्यों में से जितना जनसंख्या का रूप है उसी के हिसाब से परिगणित जातियों के भी सदस्य रहें । अब अगर बाद में कुछ व्यक्ति अदालती पंच बन गये तो स्वाभाविक है कि परिगणित जाति का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये, सम्भव है कि वह कहीं कम हो जाय । उसको वैधानिक दृष्टि से ठीक करने के लिये यह प्रस्ताव रखा गया है । माना जाय कि २४ आदमी चुने गये हैं । ४ उसमें अदालती पंच हैं और २० गांव सभा के सदस्य हैं । उसमें से अगर आधे परिगणित जाति के सदस्य हैं तो १० व्यक्ति परिगणित जाति के होंगे और १० बाहर के । अब उन १० व्यक्तियों में से अगर एक अदालती पंच बना लिया गया और ९ रह गये तो मैं निवेदन करूंगा कि राजनारायण जी अगर ठंडे दिल से सोचें तो उन्हें मालूम होगा कि उससे हरिजनों के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होता है, न उन पर कोई आफत आ जायगी और न कोई कयामत जैसा कि उन्होंने इतनी वेदना और दुःख के साथ अपने भावों का प्रदर्शन किया है । अगर वे १० की जगह ९ रहें तो जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है उसका मतलब सिर्फ यह है कि उसकी गणना करते वक्त यह भी ध्यान रखा जाय कि अदालती पंचों में कौन-कौन ले लिये जायं और इस दृष्टि से इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं रहती है । लेकिन इसके सम्बन्ध में यह कहना कि सरकार चाहती है कि हरिजनों को नुकसान पहुंचाया जाय, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है ।

माननीय जोरावर वर्मा जी अक्सर यह समझाते हैं कि सरकार परिगणित जातियों की ओर उतना ध्यान नहीं रखती है कि जितना कि उसको रखना चाहिये । श्रीमन्, इस समय यह प्रश्न नहीं है लेकिन मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सकता है सरकार की ओर से और इस सदन के बहुत से सदस्यों की ओर से हमेशा यही भावना रहती है कि जहां तक हो सके उनके हित की रक्षा की जाय और इस संशोधन के द्वारा जो छोटी सी त्रुटि हो सकती थी, जो थोड़ी सी संदिग्धता आ सकती थी कि एक व्यक्ति पंचायती अदालत में चला गया और वह हरिजन है तो गांव समाज का संगठन कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है, उस त्रुटि को दूर करने के लिये यह संशोधन रखा गया है । उसमें हरिजनों की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं है, किसी प्रकार से उनके हितों पर कुठाराघात नहीं है और यह सीधा सादा सा प्रस्ताव है । मैं निवेदन करूंगा कि इसी दृष्टि के साथ सदन इसको देखे और आशा करता हूं कि वह इसको मंजूर करेगा ।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। इसमें केवल इतना ही है कि गांव पंचायत के जो सदस्य होंगे उसमें से यदि कोई सदस्य न्याय पंचायत में चुना जाय और वह हरिजन हो तो उसका एकाउन्ट रखा जाय, उसको हिसाब में रखा जायगा। इसमें न तो हरिजनों के साथ कोई अन्याय है और न समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय है और न कहीं आसमान फटता है और न कहीं कोई गड़बड़ी होती है। हरिजनों को उनकी संख्या के अनुसार जो सुरक्षित स्थान दिये गये हैं वह तो हैं ही, लेकिन यह भी अधिकार है कि वह अधिक संख्या में भी, जितनी सीटें उनके लिये हैं उनसे अधिक भी यदि चुनाव से आ जायं तो उनको रोक नहीं है। तो इसमें कहीं उनके साथ गड़बड़ी होने का अंदेशा बताना स्वयं ही न्याय संगत नहीं है। अगर वहां से कोई व्यक्ति न्याय पंचायत में चला जाता है तो उसको एकाउन्ट में रखा जायगा। इसमें उनके अधिकार छीन जाते हैं या यह कहना कि यह सरकार उनका कम ध्यान रखती है पहले की सरकार से, यह तमाम बातें असंगत सी हैं। खुशी इस बात की है कि माननीय जोरावर वर्मा जी ने यह कहा कि एक अवैधानिकता को ठीक कर दिया गया है और उसके लिये उन्होंने धन्यवाद भी दिया और अगर अवैधानिकता कुछ ठीक हो गई है और हरिजनों का संख्या के अनुसार स्थान भी है न्याय पंचायत में, तो फिर गड़बड़ी कहां होती है?

एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है और वह यह है कि हरिजन यदि चाहें कि वह वहां की गांव पंचायत में अपना स्थान पूरा रखें तो वह न्याय पंचायत में न जायं क्योंकि अभी माननीय राजनारायण जी के अनुसार न्याय पंचायत तो एक किसी ऐक्जीक्यूटिव द्वारा नामीनेटेड होगी तो जहां तक हरिजनों के अधिकारों की रक्षा होती है वहां सरकार यह प्रतिबन्ध नहीं लगाती है कि वह न्याय पंचायत में खामख्वाह जायं। तो यह कहना कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है यह गलत है। इसमें तो सरकार ने अधिक से अधिक जो सुविधा सम्भव हो सकती थी वह देने की बात कही है। यह कहना कि इससे सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती है, किसी तरह भी इस संशोधन के अन्तर्गत यह बात नहीं आती है, इस संशोधन में। बल्कि उनकी पोजीशन ऐलीवेट कर दी गई है यह बात ठीक भी है कि अगर हरिजन चाहे तो न्याय पंचायत में भेजे और अपनी जगह सुरक्षित रखें। इन तमाम बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि उनके अधिकार अपने स्थान पर हैं और किसी प्रकार से भी उनके अधिकारों को नहीं छीना जा रहा है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और विरोधियों की तरफ से जो बातें आयी हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—जो सिद्धान्त की बहस नारायणों ने की, उसमें पड़ने की तो हिम्मत मेरी है नहीं। गेंदा सिंह जी ने बहुत ही मुहब्बत के साथ यह कोशिश की कि मैं मान जाऊं और इस संशोधन को वापस ले लूं। उनका मैं बहुत लिहाज हमेशा से करता हूं और उनकी बातों को महत्व भी काफी देता हूं। मैं फिर सोचता रहा कि क्या इसको वापस लेने से हरिजनों का कुछ फायदा होगा। जितनी बहस यहां हुई है उसमें एक गलतफहमी तो यह है कि कोई भी स्कीम आफ थिंग्ज में उन चीजों के, जो कि यहां इस सदन में तय हुई थीं, जर्रा भी कोई फर्क आयेगा। इस संशोधन से वह नहीं है और बहुत सी गलत फहमी इस बात की रही कि जो पहले सिद्धान्त यहां तय हो गये थे इस संशोधन से कोई नुकसान उनको हो रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जितने अधिकार हरिजनों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

को इस सदन में दिये गये हैं उनमें जर्रा भर भी इस संशोधन से कमी नहीं आ रही है। अब जैसा जोरावर वर्मा जी ने कहा कि इसमें एक कानूनी अड़चन आ सकती थी उसको दूर करने की कोशिश की तो वह कानूनी अड़चन या तो आप इस संशोधन से दूर कर दीजिये तो उसका नतीजा यह होगा कि कुछ हरिजन जो गांव पंचायत में होंगे वह न्याय पंचायत में जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं गेंदा सिंह जी की इस मुहब्बत भरी अपील को मान लूं और इस संशोधन को वापस ले लूं तो उसका एक नतीजा यह हो सकता है कि कोई इल्लीगेलिटी न हो इसके लिये जो नामिनेशन हो उसमें एक भी हरिजन न्याय पंचायत में न लिया जाय। मामला साफ हो जायगा। कोई इल्लीगेलिटी नहीं होगी, क्योंकि उनका अनुपात गांव पंचायत में कायम रहेगा जो कि कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है। वह तो डिस्टर्ब होता तब है जब कि आप उनको न्याय पंचायत में भेजते हैं, वह आप कहते हैं कि वापस ले लो, तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, यह आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को कि उसका नतीजा लाजिमी अब यह हो जायगा कि कोई आदमी हरिजनों में से न्याय पंचायत में न भेजा जाय क्योंकि यह प्रश्न अब सामने आ गया है कि अगर कोई हरिजन न्याय पंचायत में चला गया तो चेलेंज हो सकता है कि यह गांव पंचायत प्रापरली कांस्टीट्यूटेड नहीं है। इसके लिये यह संशोधन किया गया है और कोई जरा भी तब्दीली उस सिद्धान्त में जो कि इस सदन ने मंजूर किया था, नहीं की गई है। यह सिर्फ एक बात इसलिये रखी गई कि उनको मौका हो सकता है कि वह न्याय पंचायत में नामिनेट हो जायं। अगर आप इसको वापस ले लेंगे तो बहुत मुमकिन है कि अगर लीगल ओपीनियन यह हुई कि उनके न्याय पंचायत में नामिनेट होने के बाद गांव पंचायत का कांस्टीट्यूशन चैलेंज हो सकता है तो किसी को भी उनमें से नामिनेट किया जाय। क्या माननीय गेंदा सिंह जी इस कान्सीक्वेन्स के लिये तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं हैं और जो दुहाई यहां दी गई कि हरिजनों का हनन हो रहा है, वह सब नासमझी की है। समझे नहीं वह इस चीज को वक्तन फवक्तन यह कह देना आसान है क्योंकि गवर्नमेंट को दो हंटर लगा देना एक अच्छा काम है हर वक्त। लेकिन मैं यह पूंछना चाहता हूं कि कोई अधिकार जो कि इस सदन ने दिया था, वह कोई इस संशोधन के द्वारा छीना जाता है? कोई नहीं? वह पूरी स्कीम ज्यों की त्यों रहती है। जर्रा भर भी फर्क नहीं आता। सिर्फ यह होता है कि उसके कारण अगर कोई लीगैलिटी को चैलेंज करे तो वह न हो सके।

श्री राजनारायण—यह भी नासमझी का कथन है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह लफ्ज तो बहुत आसान है कह देना। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्कीम यहां से पास हुई थी वह यह थी कि अगर २१ आदमी गांव पंचायत में हों और दो आदमी वहां से चुने जाने वाले हों न्याय पंचायत के लिए तो २३ आदमी गांव सभा चुनेगी। उसमें अगर हरिजनों की आबादी एक तिहाई है तो सात हरिजन चुने जायंगे गांव पंचायत के लिए। २३ के चुनाव में सात हरिजन चुने जायंगे। बाकी सब अहरिजन चुने जायंगे। उस २३ में से दो आदमी चले जायंगे न्याय पंचायत में जिनके लिए कि कोई भी रिजर्वेशन या और कुछ नहीं कि हरिजन या अहरिजन कौन वहां भेजा जाय दोनों हरिजन जा सकते हैं, या एक हरिजन और एक नान हरिजन या दोनों नान-हरिजन भेजे जा सकते हैं। अब उसमें प्रश्न यह होता है कि २३ में सात हरिजन हैं। दो आदमी न्याय पंचायत को भेजे जाने वाले हैं। दोनों अगर हरिजन भेज दिये जाते हैं तो उनकी तादाद ५ रह जाती है, एक अगर भेजा जाता है तो वह ६ रह जाते हैं। लेकिन अनुपात के हिसाब से ७ चाहिए। तब यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह गांव पंचायत प्रापरली कांस्टीट्यूटेड है? इसमें शक हो सकता है। तो जब यह शक पैदा हो गया कि शायद इसमें कोई गैरकानूनी बात हो, तो उसको हटाने के लिये यह लाया गया।

अगर सदन उसको नामंजूर करता है तो एक ही नतीजा हो सकता है कि न्याय पंचायत में किसी हरिजन को नामिनेट न किया जाय क्योंकि ज्यों ही कोई हरिजन नामिनेट हो जायगा त्यों ही उस गांव पंचायत का कांस्टीट्यूशन गलत हो सकता है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हरिजनों के अहित की कोई बात नहीं है। जिस तरह से सदन ने फैसला किया है उसमें कोई गलतफहमी न हो और कोई गैर कानूनी बात मानी न जाय और हरिजनों को न्याय पंचायत में जाने का पूरा मौका मिल सके। यही चीज इस संशोधन में है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड १३ के अधीन प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा ७ के दूसरे प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित को नये प्रतिबन्ध के रूप में रखा जाय :—

"Provided also that for purposes of determining the due representation of Scheduled Castes in any Gaon Panchayat any person elected to a seat reserved for such castes but who may have been subsequently appointed to the Nyaya Panchayat under section 43 shall be taken into account."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन २

श्री अध्यक्ष—इसमें जो आपका दूसरा संशोधन है वह अवैधानिक है।

श्री गजेन्द्रसिंह—मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मेरा संशोधन तो अवैधानिक हो गया है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसको अवैधानिक इसलिये कहा था कि मैं उसको खंड १३ के सम्बन्ध में समझा था। आपका जो यह संशोधन है कि सब सेक्शन २ के स्थान पर १ रख दिया जाय। इसको मैं अवैधानिक कहता हूं। लेकिन आपका जो संशोधन धारा ५३ की उपधारा (३) के सम्बन्ध में है उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने जो कहा था कि सब-सेक्शन २ के स्थान पर सब-सेक्शन १ रख दिया जाय तो सब-सेक्शन (१) में तो केवल नोटिस द्वारा आर्डर होता है। इसलिये जो बात आप चाहते थे वह सब-सेक्शन दो में है। एक में तो केवल नोटिस दिया जाता है और २ में पंचायत बोर्ड को एक्जीक्यूटिव आर्डर की बात को कंफर्म करती है तो जब उसकी अवहेलना होगी तो वह बात होगी। इसलिये सब-सेक्शन १ में तो केवल नोटिस की बात है और सब-सेक्शन २ में बांड के द्वारा एक्जीक्यूट करने की बात है। इसलिये मैंने उसे अवैधानिक कहा है। आप अपना दूसरा संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ५३ की उपधारा (३) की तीसरी पंक्ति में "fix" और "for" के बीच में "keeping in view his financial position." बढ़ा दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम की नवीन धारा ३ इस प्रकार है कि:—

"(3) If the person required to execute a bond as aforesaid under sub-section (2) fails to do so, he shall be liable to pay up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order.',

[श्री गजेन्द्रसिंह]

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के पेश करने का मंशा यह है कि अगर इस संशोधित धारा को मान लिया जाता है तो उसके मुताबिक जिस आदमी से बांड लिया जायगा तो बेंच को अधिकार होगा कि वह एक रुपये से लेकर ५ रुपये तक रोज तक ले सकती है यानी उसको यह सजा दे सकती है। पांच रुपये रोज की सजा दे सकती है और एक रुपये रोज की भी सजा दे सकती है। मैं चाहता हूं कि उस आदमी को जो दंड दिया जाय तो उसकी हैसियत के मुताबिक दंड दिया जाय। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो गरीब हो और उसकी प्रापर्टी के बारे में गांव में झगड़ा होता हो और किसी आदमी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की कि यह शांति को भंग करना चाहता है तो ऐसी सूरत में अगर उसको दंड दिया जाता है और ५ रुपये रोज का उस पर जुर्माना कर दिया जाता है तो यह उस पर बहुत बड़ा बरडेन हो जायगा और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो आर्थिक व्यवस्था समाज की है उसमें जो गरीब आदमी है वह बहुत ही ज्यादा पिस रहा है और अधिकतर गांवों में यह देखा जाता है कि जो शक्तिशाली हैं वे गरीबों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और इस किस्म के वाकये पंचायतों में आते हैं जैसा कि मैंने स्वयं देखा है। तो ऐसी सूरत में अगर उनकी हैसियत के मुताबिक उन पर जुर्माने नहीं किये जायेंगे तो एक बहुत बड़ा भार उन पर हो जायगा जिससे कि उनकी रोजी पर भी इसका असर पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारा संशोधन बहुत ही संक्षेप में है और आशा है कि वह इसको मानने की कृपा करेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि पहले जैसा कहा गया था कि जिस तरह की कमी इसमें रह गयी थी, तो यह उस तरह की कमी तो नहीं है लेकिन यह अवश्य है कि जो इसके अन्दर एक कमी विशेष थी उसी की पूर्ति यह संशोधन करता है, क्योंकि इस समय गांवों में सचमुच ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां अभी पुराना हिसाब किताब ही वहां पर मौजूद है और हमारे राज्य के अन्दर जो परिस्थितियां इस सरकार ने पैदा कर दी हैं उनके कारण लोगों में बहुत मनोमालिन्य पैदा हो गया है जिसकी वजह से भी गरीब लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इस विधेयक के अन्दर गरीब लोगों को सताने की बात निहित है लेकिन चूंकि इस विधान सभा ने इसको पास ही कर दिया है इसलिये यह एक अच्छी बात होगी कि कम से कम उस आदमी की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ही इस दंड को निर्धारित किया जाय। इसमें कुछ पाई से लेकर ५ रुपये तक जुर्माना हो सकता है, तो कहीं ऐसा न हो कि न्याय पंचायत इतना जुर्माना कर दे कि उसकी कुर्की हो जाय और उसको घर छोड़कर भागना पड़े। इसलिये मैं सदन का अधिक समय न लेकर माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि यह संशोधन उनके संशोधन पर कोई विशेष असर नहीं डालता है बल्कि यह जो उसमें एक थोड़ी सी कमी है गरीबों के हित की बात है उसको दूर करता है इसलिये वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो ओरिजिनल संशोधन आया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है :—

"(3) If the person fails to do so, he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may fix for every day the default continues during the period fixed in the order." तो for every day को अगर हम देखें तो ५ रुपये इतना ज्यादा हो जायगा कि कोई आदमी दे नहीं सकेगा। दूसरी चीज यह है कि गांवों में यह देखा जाता है कि अक्सर खेत के बारे में या और भी बहुत सी बातों के बारे में गरीब और अमीर का झगड़ा शुरू हो रहा है और हर बड़ा

आदमी यह कोशिश करता है कि जो गरीब लोग हैं उनको जितना दबाया जा सकता हो दबाया जाय। ऐसी हालत में एक गरीब आदमी के लिये ५ रुपये का जुर्माना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जायगी। इसके साथ में यह भी देखना होगा कि अदालत में भी फाइन वगैरह जहां लिखा होता है तो up to one thousand rupees लिखा होता है और उसमें कोर्ट को डिस्क्रीशन होता है कि चाहे एक रुपया जुर्माना करे, चाहे एक हजार करे। तो जैसा प्रस्ताव है यदि यह रहेगा तो अनुचित होगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो पांच रुपया जुरमाना बांड न भरने के ऊपर रखा गया है कि पांच रुपया रोज जब तक वह बांड नहीं भरेगा तब तक वह बढ़ता जायगा, इस तरीके से देहातों में अमूमन देखा गया है कि आज कल जो खेतों पर या अनेकों प्रकार के जो झगड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह गरीबों को फंसाने के लिये अनेकों प्रकार से अदालतों में अपना दावा ठोंक देते हैं। उसके बाद अदालती पंचायतें इस बात पर गौर नहीं करतीं कि वाकई में इसने अमनोअमान को भंग किया है या नहीं किया है। तो इस प्रकार जो गरीब हैं, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है वही फंसाये जाते हैं। देहात में छोटे लोगों को दबाने के लिये ऐसी ही कारसाजी की जाती है। तो अगर वह इस कारसाजी में फंस गया और उस पर पांच रुपये रोज बढ़ने लगें तो उस पर इतना बड़ा भार हो जायगा कि वह कभी दे नहीं सकता। या तो उसको कोई दूसरी सजा देनी पड़े, जेलखाना उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हैसियत इतनी है नहीं कि पांच रुपया रोज जो बढ़ता है उसको दे सके। जब वह अदा ही नहीं कर सकेगा तो उसके लिये दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसलिये जैसा कि माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने रखा है अगर ऐसा हो जाय तो हो सकता है कि ठीक हो। मैं विचार कर रहा था कि अगर माननीय गजेन्द्रसिंह जी एक रुपया रोज रखते तब भी वह ठीक रहता। लेकिन उन्होंने हैसियत पर रखा है। ठीक है, जैसी हैसियत होगी उसके हिसाब से रखा जायगा। तो वह ठीक हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि यह पांच रुपया न रखा जाय।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से संशोधन पर जिस कदर समर्थन हुआ मैं सोचने लगा कि वास्तव में कोई बहुत गम्भीर मसला है। लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के मैं समझ नहीं पाया कि इसके अन्दर कौन सी ऐसी गम्भीरता है। जैसा कि माननीय पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर वास्तव में अदालती पंचायत किसी व्यक्ति को इस तरह से जुरमाना करना शुरू करे, नुकसान पहुंचाने के लिये, तब भी अगर आप यह रख भी दें वह पांच रुपया रोज के हिसाब से उस पर जुरमाना कर देगी। तो उसका इलाज क्या है? या तो आप रिवीजन में जायं और यह साबित करने की कोशिश करें कि जुरमाना गलत हुआ है। या यह है कि यह जुरमाना उस वक्त होगा जब कि बांड न भरे। अगरचे संशोधन यह होता "taking into consideration the motion of not executing the band" किस वजह से वह बांड को एग्जिक्यूट नहीं कर सका, क्योंकि बांड एग्जिक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये तो यह हो सकता है कि कोई जाबिर आदमी हो वह कहे कि हम हुक्म मानने के लिये तैयार नहीं हैं। तब तो ऐसा है कि अदालत फैसला करेगी कि जब तक मुचलका भर कर नहीं देता तब तक जुरमाना होता रहेगा। तो दोनों हालतों में फर्क है। जो आदमी मुचलका नहीं भरता तो उसकी नियत की बात सोचनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो कि गलती से रह गया तो समझ में बात आती है कि पंचायती अदालत इस बात का ख्याल रखे कि किस मंशा से मुचलका को नहीं भर सका। लेकिन उसके अन्दर आर्थिक दशा का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो विरोधी दल के माननीय सदस्य ने रखा है वह बेमतलब सा मालूम होता है। उसके अन्दर कोई विशेष गम्भीरता नहीं है। इसके साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मूल प्रस्ताव है वह मंजूर किया जाना चाहिये।

*श्री गेंदासिंह—माननीय गजेन्द्र सिंह जी का जो संशोधन है वह न्याय पंचायत के डिस्क्रीशन पर इस मामले को छोड़ना चाहता है, न्याय पंचायत के हाथ को वह बांधता नहीं है। न्याय पंचायत की इच्छा पर छोड़ कर वह यही चाहता है, जैसा कि अष्ठाना जी ने कहा कि कोई गुस्ताख आदमी बांड पर दस्तखत बनाने से इंकार करता है तो ऐसी हालत में न्याय पंचायत कर ही क्या सकती है सिवा इसके कि ५ रुपया या २ रुपया या १ रुपया जुरमाना कर दे या जो पेनाल्टी चाहे लगा दे। हम न्याय पंचायतों को ऐसा नहीं समझते कि वे दोषों से मुक्त हैं। न्याय पंचायतों का तजुरबा कोई अकेले हमारा ही थोड़े है। माननीय अष्ठाना जी या और दूसरे साहबान में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसका तजुरबा न हो । माननीय स्वशासन मंत्री जी को भी इसका तजुरबा है। न्याय पंचायतों में सेफगार्ड लोगों के लिये रहे जिन पर न्याय पंचायतों को शासन करना है इसके लिये हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिये। केवल इतना कहना है माननीय गजेन्द्र सिंह जी को कि आर्थिक अवस्था को देखते हुये वह पेनाल्टी लगाई जाय। न्याय पंचायत समझती है कि आर्थिक अवस्था उसकी ५ रुपया रोज जुरमाना देने की है तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी का संशोधन ऐसा करने से रोकता कहां है। लेकिन अगर ५ रुपया देने की आर्थिक अवस्था नहीं है तब गजेन्द्र सिंह जी का संशोधन उपयोगी सिद्ध होगा। फिर यह भी न्याय पंचायत की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह यह तै करे कि किसी की क्या आर्थिक अवस्था है। उसमें कोई बंधन नहीं डाला जा रहा है। माननीय गजेन्द्र सिंह जी यह नहीं कहते कि कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल बनाया जाय कि फलां की यह आर्थिक अवस्था हो और फलां की यह ऐसी आर्थिक अवस्था होनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कठिनाई आती है, कतई कोई कठिनाई आने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि इससे न्याय पंचायतों के काम में सुविधा ही होगी। लेकिन जैसा कि अष्ठाना जी ने कहा कहीं पर ऐसी बात हो, आखिर हमारे देश में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के मुकदमे चलते हैं। बड़े-बड़े लोग अदालतों पर इंफ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी लोग हमारे देश में मौजूद हैं जो देश के शासन के मजबूत खम्भे हैं लेकिन उन पर कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट के मुकदमे चलते हैं। हाई कोर्ट के जजेज को उनसे कोई वैर भाव तो होता नहीं। न्याय पंचायतों में भी बिल्कुल यही बात है। लेकिन यह मुमकिन है कि मन में अगर किसी के कोई वैर भाव हो तो वह इस पेनाल्टी के रूप में निकल आये। अगर कानून में इस बात की गुंजाइश है तो अपील करने का मौका रहेगा। ४ आने या ६ आने रोज मजदूरी पाने वाला मजदूर है उस पर ५ रुपये रोज पेनाल्टी कर दी गई तो वह अदालत में जाकर अपील कर सकता है और अपील में यह कह सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुये पेनाल्टी होनी चाहिये, ऐसा न करके वैर भाव के कारण ५ रुपये पेनाल्टी कर दी गई। इससे इस बात की गुंजाइश रहेगी कि सबको न्याय मिल जायगा। न्याय मिलने की बात है। माननीय गजेन्द्रसिंह जी के संशोधन को मान लेने से न्याय पंचायतों के शासन में कोई कठिनाई न होकर सुविधा ही होगी। माननीय स्वशासन मंत्री पहले ही अपनी इच्छा जाहिर कर देते तो अच्छा था क्योंकि वह शायद इसे स्वीकार करने के मूड में हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जैसा कि अस्थाना जी ने कहा कुछ मामले को हल नहीं करता है। जुरमाना कब होगा जब कि लड़ई झगड़े का अंदेशा हो। आपकी आज्ञा से मैं धारा ५३ पढ़ देना चाहता हूं:—

"Whenever the Sarpanch of a Panchayati Adalat has reason to apprehend that any person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility, he may call upon such person to show cause why he should not execute a bond for an amount not exceeding Rs. 100 with or without sureties for keeping the peace for a period not exceeding 15 days."*

यानी पहले झगड़ा होने का अंदेशा हो तो उस झगड़े को रोकने के लिये १५ दिन का बांड भरवाया जायगा। इससे ज्यादा नहीं भरवाया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम यही लिमिट है। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई आदमी झगड़ा करने पर आमादा हो तो उससे यह बांड भरवाया जायगा । इसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है और अगर वह भरने के लिये तैयार नहीं होगा तब उस पर जुरमाना होगा। जुरमाने के विषय में गलतफहमी है और कुछ वकील लोगों को भी गलतफहमी है कि ५ रुपये जुरमाना होगा। उसमें तो यह है कि ५ रुपये तक जुरमाना हो सकता है । यह उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं किया जायगा । जुरमाना तो सब जगह नेचर आफ क्राइम्स को देखकर किया जाता है । यह नहीं देखा जाता है कि वह उसको दे सकता है या नहीं। यहां पर यह सवाल भी नहीं आता है कि वह उस जुरमाने को दे सकता है या नहीं। जुरमाना तो हमेशा नेचर आफ क्राइम्स को देखकर ही हुआ करता है। अगर कोई आदमी गंडासा लेकर किसी की गरदन काटने के लिये तैयार है और उसकी रिपोर्ट अभी थाने में हुई है लेकिन उसके इन्तजाम के लिये उससे बांड भी भरवाया जाता है। दूसरी बात यह है कि १५ दिन में अधिक से अधिक ७५ रुपये जुरमाना हो सकता है । अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने की बात रखते हैं तब तो फिर बहुत से सवाल पैदा हो सकते हैं। अगर किसी पर ७५ रुपये जुरमाने हो गये तो वह कह सकता है कि उसके ऊपर ज्यादा हो गया। २५ होने चाहिये थे। इस तरह से मुकदमेबाजी का दरवाजा खुलता है और इससे हालत सुधरेगी नहीं। इसलिये इस तरह से उसकी हालत देखने से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि और नुकसान होगा। नेचर आफ क्राइम्स को देखकर ही जुरमाना रखा जाता है और अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बाद जुरमाने की बात रख दें तो फिर यह नया सिद्धान्त हमको ला के अन्दर लाना होगा जिसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मूल अधिनियम की धारा ५३ की उपधारा (३) की तीसरी पंक्ति में "Fix" और "for" के बीच में "keeping in view his financial position" शब्द बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब तो विरोध का अवसर नहीं है। पहले आपको विरोध करना चाहिये था। अब तो केवल आप इसके विरोध में वोट दे सकते हैं । मैंने पहले ही कहा था कि आप इस ४४ खंड के संशोधन को रख दीजिये यदि किसी को विरोध करना होगा तो वह विरोध कर सकेगा। अब उस पर विरोध के लिये समय नहीं है ।

प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"४४—मूल अधिनियम की धारा ५३ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "constitute within three days a Bench to deal with the matter" के स्थान पर शब्द "refer the matter to a Bench." रखे जायेंगे, अन्त के शब्द "provided that at least one Panch of the Bench shall belong to the Gaon Sabha in which the person resides." निकाल दिये जायेंगें, तथा सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रखा जायगा ।

(२) निम्नलिखित को नवीन उपधारा (३) के रूप में बढ़ाया जायगा :—

"(3) If the person required to execute a bond as aforesaid under sub-section (2) fails to do so, he shall be liable to pay a penalty up to five rupees as the Bench may Fix for every day the default continues during the period fix in the order."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—६८
विपक्ष में—१४ ।)

संशोधन ३

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

५९ के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय:—

"५९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में जहां कहीं वाक्यखंड "case, suit or proceeding" आया हो उसके स्थान पर वाक्यखंड "criminal, civil or revenue case" रखा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन ४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ६१ के उपखंड (२) के अधीन धारा ७५ की प्रस्तावित उपधारा (२) की पहिली पंक्ति में शब्द "civil" तथा शब्द "criminal" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन ५

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ६४ में शब्द समूह "for the trial of" के स्थान पर शब्द समूह "for the trial of a case, suit of proceeding" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन ६

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ६९ के अधीन प्रस्तावित धारा 85 की—

(१) उपधारा (१) की आठवीं पंक्ति में शब्द "criminal" और "civil" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय।

(२) उपधारा (२) की पहली और चौथी पंक्ति में शब्द "criminal" और "civil" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन ७

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ७१ के अधीन प्रस्तावित धारा 89 के आरम्भ में चिन्ह " " रखा जाय, तथा—

(क) उपधारा (१) में शब्द "criminal" तथा "civil" के बाद में आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जाय।

(ख) उपधारा (4) की दूसरी पंक्ति में शब्द "civil" और "criminal" के बाद आने वाले शब्द "case" को हटा दिया जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संशोधन ८

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन विधान परिषद द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन को स्वीकार करता है—

खंड ८५ में उपखंड (१) के भाग (क) की प्रस्तावना में अंक और शब्द (ii-A), (ii-B), (ii-C),(ii-D), (ii-E), (ii-F), (ii-G),(ii-H) और (ii-I), के स्थान पर अंक और शब्द (ii-a) (ii-b),(ii-c),(ii-d),(ii-e), (ii-f),(ii-g),(ii-h) और (ii—i) रखे जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । बहुत खुशी है कि इस सदन ने तथा दूसरे सदन में और जो कमेटी और ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी बनीं, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इस विधेयक को स्वीकृत किया है और जो-जो खराबियां पंचायतों के कायदा कानून और उनके कार्य करने की विधि में पायी गयीं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया है । मुझे आशा है कि इस संशोधन के होने के बाद पंचायतें जितना अब तक कार्य हुआ है उससे ज्यादा अच्छा कार्य करेंगी। उनकी सफलता इस सदन का हर एक सदस्य चाहता है और हर एक सदस्य की यह इच्छा होगी कि पंचायतों का कार्य बहुत अच्छी तरह से चले उसके लिये यह विधेयक सहायक होगा इस आशा पर हम यहां स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मुझे यह आशा है कि यह सदन इसको बिना किसी विरोध के पारित करेगा।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसा समझते हैं कि गांव पंचायत का जो कानून है वह गांव की तरक्की की बुनियाद है और खास तौर से जब से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी काश्मीर और दूसरी यात्रायें कर आये हैं और इस सम्बन्ध में कुछ दूसरे प्रदेशों के मंत्रियों से मिलजुल कर और केन्द्रीय सरकार के सलाह मशविरे के साथ गांव पंचायतों और गांव सभाओं को मजबूत करने के लिये जो योजनायें बनायेंगे वह उत्तम होंगी, उनसे बड़ी आशा करना हर आदमी के लिये स्वाभाविक है। जब यह आशा हमें होती है तो उसी के साथ-साथ हम जरूर सोचते हैं कि जो हमारी प्रजातंत्र की बुनियाद पड़ने जा रही है। इन गांव सभाओं के जरिये से हम प्रजातन्त्र को जितना विशुद्ध और पवित्र रख सकें उतना हमें यत्न करना चाहिये और इसी दृष्टि से जो कुछ भी हम लोगों ने इस कानून के बनाने में संशोधन करने या किसी खास क्लाज का विरोध करने का यत्न किया है उसमें इस बात को हमेशा अपनी दृष्टि में रखा । इस समय जो सदन के सामने दो तीन संशोधन हुये हैं उस सम्बन्ध में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल यही विचार हमारा रहा है। हम यह समझते हैं

वक्ता ने* भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

कि अगर हमारी राय की कुछ कीमत होती और हमारी राय से काम लिया जाता तो सम्भव है कि गांव सभाओं और गांव पंचायतों को अपना काम करने में अधिक सुविधा मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को करते हुए एक संशोधन हमने यह भी किया है कि अब जिन गांवों में झगड़ा होगा पहले यह नियम था कि उस गांव का एक न एक कोई पंच जरूर रहेगा, लेकिन अब इस बात की गुंजायश नहीं रह गई है। जिस बेंच के सामने मुकदमा जायगा उसमें उस गांव का कोई पंच रह पायेगा इस बात की गुंजायश निकाल दी गई है। हमको इस बात से कुछ थोड़ा सा कष्ट है और हम समझते हैं कि इस बात के रहने से कोई पंचायतों का काम कठिन नहीं होता बल्कि जिस बुनियाद पर ये पंचायतें बन गयी हैं उसी पुराने तरीके से जो हमारे मुकदमे फैसला करने का था जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा था, जो उसमें देर लग जाने वाली बात थी और झूठी शहादत बनाने की बात थी और जिन चीजों को बचाने के लिये ये गांव पंचायतें बनाई गई थीं और अगर ऐसा करने में उस गांव का कोई पंच होता तो बेंच को अधिक सहायता मिलती। यह बंधन न रहने से जो पुराना तरीका मुकदमों को फैसला करने का है उससे डर मालूम होता है, झूठी शहादतें बनाने की कोशिश की जा सकती हैं और अगर उस गांव की सभा से एक पंच होता तो फिर उस हालत में झूठी शहादत बनाने में मदद न मिलती।

दूसरी चीज पांच रुपये के बारे में बड़ी चर्चा हुई। कुछ फायनेंशल पोजीशन के बारे में कहा गया। मैं यह भी उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में कह दूं कि गांव पंचायतों के बारे में यह शिकायत रही है कि फैसला करते समय जिन लोगों के विरुद्ध फैसला होता है, उन्हें जानकारी नहीं होती है और जब यह फैसला कर दिया जाता है कि एक रुपया, दो रुपया या पांच रुपया रोज जुर्माना लिया जायगा जितने दिन तक वह यह काम पूरा न करे और देर लगाये। ऐसी हालत में क्या नोटिस तामील होगा? किस तरह से जिस अभियुक्त पर जुर्माना लग रहा है उसको सूचना दी जायगी इस बात का कोई सेफगार्ड अब की बार जो संशोधन किया गया है उसमें नहीं है और न उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखने का हमने बंधन लगाया है। तो इस बात को देखते हुए हम समझते हैं कि सरकार को भी कुछ जब्र अपने ऊपर बरदाश्त करना चाहिये, ताकि कोई ऐसा काम शासन को हाथ में रखने के लिये सरकार न कर बैठे जिससे इस प्रजातंत्र की बुनियाद ही टेढ़ी हो जाय। मैं इसलिये कहना चाहता हूं इस बात को कि शासन हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वह अपनी उस चीज को अपने हाथ में रखे। मेरा ऐसा ख्याल है कि अपने देश में जो इस तरह का शासन है जो ज्यादा उदार है और उदारतापूर्वक दूसरों के अधिकार का भी ध्यान रखता है तो वह शायद ज्यादा सफल हो सकता है बजाय उसके कि जो दूसरे के अधिकारों को दूसरे पेचीदा ढंगों में जकड़ कर अपने को उसी के, उन्हीं के स्थान पर लाने की कोशिश करता है, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से खासतौर से, क्योंकि केवल उनका तो यह कानून बनाया हुआ है नहीं, हर ड्राफ्ट पूरे कैबिनेट के सामने जाता है और जब तक वहां मुहर न लगे उस समय तक वह हमारे सामने आ नहीं सकता तो मंत्रिमंडल जो है उसमें बड़े ऊंचे लोग हैं तो मैं उनसे भी यह उम्मीद जरूर करता हूं कि प्रजातंत्र के लिये उनकी इच्छा बलवान होगी और जितनी इच्छा हमारी है उससे उनकी इच्छा मैं कम नहीं देखना चाहता, क्योंकि प्रजातंत्र का जो सुख है वह तो हमें नहीं प्राप्त है। इसलिये इस तरह का प्रजातंत्र इस देश में बना रहे, उसकी योजना, कल्पना और कामना उनको करनी चाहिये। मैं इसके लिये ज्यादा उम्मीद उसी तरफ से करता हूं और इसलिये ज्यादा उम्मीद करता हूं कि हमारी संख्या बड़ी छोटी सी है हमारे पूरे यत्न से भी वह काम इतना सफल नहीं हो सकता है जितना कि उधर के थोड़े प्रयत्न से, जब उधर से "हां" की बाढ़ आती है तो उसमें हमारा "नहीं" बहता हुआ चला जाता है। तो खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह प्रयास प्रजातंत्र की बुनियाद डालने का गांव से हो रहा है उसमें आगे चल कर नियम बनने वाले हैं और उसके लिये बड़े अख्तियारात लिये गये हैं और उसके लिये मैं माननीय स्वाशासन मंत्री जी से इस बात का निवेदन करूंगा कि

अगर वह न्याय पंचायतों को पवित्र रखना चाहते हैं तो, हमारे इस तरफ के बहुत से साथियों की ऐसी इच्छा है कि जब न्याय पंचायतों को नामिनेट करने का काम आये तो उस समय उसमें जुडिशियरी के लोगों को स्थान दिया जाय। जो जिले के जज हैं वह इस बात को देखें कि उसमें जो लोग आ रहे हैं वह ठीक हैं या नहीं। मैं सोचता हूं कि माननीय स्वाशासन मंत्री जी इसका विचार रखेंगे, क्योंकि अगर कोई जज रहा है न्याय पंचायत को चुनने में तो उससे सिर्फ यही नहीं होगा कि कायदे के आदमी आयें, हालांकि वह उन आदमियों के बारे में गांव अथवा कस्बे वालों से ही जान सकेंगे जो शासन की कड़ी में लगे हुये हैं उनके द्वारा। किन्तु इसके बाद लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि हमारे देश की जो जुडिशियरी है उसके जजों का भी हाथ इस न्याय पंचायत को चुनने में है। तो इससे न्याय पंचायतों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अगर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे स्वशासन मंत्री जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

दूसरी बात गांव सभाओं की है। मैं इस मौके पर फिर से माननीय स्वाशासन मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब इधर से एक प्रस्ताव रखा गया था कि यहां की गांव सभाओं को कुछ मालगुजारी की रक़म में से छोड़ दिया जाय, ताकि वह टैक्सेज के भार से लोगों को तंग न करे, तब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि जब आपको मौका मिला तो यह कहा गया उस समय कि ऐसा संशोधन यहां नहीं रखा जा सकता है जब तक कि उस पर राज्यपाल महोदय की अनुमति न प्राप्त हो जाय। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मौक़ा दिया, अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने उसे स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद वह प्रस्ताव आपके सामने आया। लेकिन माननीय सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि माननीय राज्यपाल के द्वारा जो संशोधन, जो प्रस्ताव इस सदन में आवे उसको अस्वीकार करना इस सदन के लिये शोभनीय बात नहीं थी। हम भी नहीं चाहते कि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आवे उसको अस्वीकार करे। लेकिन ऐसा हुआ। फिर मैंने माननीय राज्यपाल को एक पत्र लिखा कि आप बम्बई के रहने वाले हैं बम्बई में, मद्रास में और दूसरे सूबों में गांव सभाओं को कुछ न कुछ मालगुजारी की रक़म में से दिया गया। मैं आशा करूंगा कि अगले बजट के समय आप गांव सभाओं को कुछ न कुछ मालगुजारी की रक़म में से उन्हें अपना काम चलाने के लिये देने की कृपा करेंगे। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया कि मैं इस प्रश्न पर देख भाल कर रहा हूं। मैं इस मौके पर माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगला बजट जो आ रहा है उसमें हमको यह सुनने का मौक़ा दें और यह खुशी मनाने का अवसर दें कि अब उस मामले में सरकार ने यह फ़ैसला किया कि गांव सभाओं को १५ फीसदी, २० फीसदी, जो भी फैसला करें, मालगुजारी में से इन गांव पंचायतों को देंगे ताकि वह अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम चला सकें। मेरी यह शुभ कामना है। इसके साथ जो मेरी राय इस बिल के सम्बन्ध में है वह मैंने बता दी और मैं समझता हूं कि मेरी इस प्रार्थना पर माननीय स्वशासन मंत्री जी ध्यान देंगे ताकि इस बजट के अवसर पर हमें खुशी मनाने का अवसर मिल सके।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वाशासन मंत्री जी ने जो विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं विरोध इस लिये करता हूं कि यदि यह प्रस्ताव इस रूप में पास होता है तो इससे कुछ अनर्थ भी होगा। श्रीमन्, एक खास बात जो अभी तक सदन में नहीं आ पायी थी मैं उसी पर अपने को रखूंगा और उसको आपके जरिये इस सदन में भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो काउन्सिल से संशोधित विधेयक यहां आया है उसमें आप खंड ४४ देखें तो ४४ में मूल अधिनियम की धारा ५३ की उपधारा २ में शब्द "constitute within three days a Bench to deal with the matter" के स्थान पर शब्द "refer the matter to a Bench" रखा जायगा। श्रीमन्, आगे का पोर्शन तो माननीय गेंदा सिंह जी ने डील, पूरा कर लिया है। मगर यह एक बहुत बड़ी मौलिक

[श्री राजनारायण]

बात जो पहले अधिनियम में थी वह इस विधेयक के जरिये हटायी जा रही है क्यों ? सदन जरा इस बात को सोचें कि पहले जो अधिनियम था उसमें तो सरपंच "shall after issue of such notice constitute within three days a bench to deal with the matter" ऐसा था। यानी सरपंच जो नोटिस जारी करेगा उसके तीन दिन के अन्दर सरपंच को लाजिमी था कि वह एक बेंच को कान्स्टीट्यूट करे जो कि झगड़े के बारे में फ़ैसला करे। अब जो सरकार की ओर से काउन्सिल से प्रस्ताव आया हुआ है उसके मुताबिक यह थ्री डेज (तीन दिन) की जो कन्डीशन लगा दी गयी थी इसको हटाया जा रहा है। अब जो इसको जगह पर रखा जा रहा है वह यह किया जा रहा है कि "shall refer the matter to a bench within how many days" (कितने दिनों में ?) यहां पर यह बात गोल है। यानी अब जिस तरीके से मामले में विचार होगा जिस तरीके से मामले का फैसला होगा वह सामने है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री स्वशासन विभाग ने मुक्त कंठ से सदन के भीतर और बाहर अदालती पंचायतों की प्रशंसा की है और यही नहीं बल्कि अदालती पंचायतों की कारगुजारी को देखते हुये भारत के प्रधान मंत्री ने भी काफ़ी चर्चा की है देश में और विदेश में भी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तीन दिन के अन्दर बेंच कांस्टीट्यूट करने की बात कही गयी थी अगर वह निकाल दी जाती है तो सरपंच स्वतंत्र रहेगा, पता नहीं कितने दिन तक वह मामले को भेजे, बेंच कान्स्टीट्यूट करे या न करे, आखिर इसमें जो उसको यह अधिकार मिलता है उससे जिनका झगड़ा है उनके झगड़े के निपटारे की गुंजाइश ज्यादा होती है या कम होती है ? इतना ही छोटा सा सवाल मैं इस सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। इसमें न तो मुहब्बत की बात है और न तो विद्रोह की बात है। सीधी सादी बात है। हो सकता है कि माननीय स्वशासन मन्त्री जी यह चाहते हों कि कोई मुहब्बत की बात हो मगर मैं उनसे निवेदन कर दूं कि जहां पर वस्तुस्थिति है, लाजिक (तर्क) है, वहां पर लाजिक (तर्क) आना चाहिये। अगर मुहब्बत की बात न भी हो तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह उसको बुद्धिगम्य मानें, क्योंकि माननीय मंत्री जी, जो बात बुद्धिगम्य होती है, उस पर मुहब्बत का असर ज्यादा डालते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमें यह बता दें कि इससे किसी मामले के फैसले में सहूलियत होगी या दिक्कत होगी ? कोई सफ़ाई नहीं आई। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी की ओर से सफ़ाई आती और इसी सदन में विचार होता। सदन इसको समझता कि किस चालाकी के साथ, किस खूबी के साथ जो कि पंच के ऊपर अंकुश था कि तीन दिन के अन्दर बेंच कास्टीट्यूट करे, यह हटाया जा रहा है। एक तरफ तो यह हटाया गया कि जिस गांव सभा का मामला होगा उस गांव सभा का एक पंच उस बेंच में रहे, यह हटा दिया गया। पहले यह जरूरी माना गया था। किस दृष्टिकोण से यह स्वीकार किया गया था ? यही न कि जो बेचारे ग़रीब होते हैं जो असहाय अवस्था में अपना जीवन बिताते हैं, वह न्याय पायेंगे और उनको यह इत्मीनान भी रहेगा कि उनको न्याय मिलेगा। इसलिये श्रीमन्, उस गांव सभा के एक पंच को उस बेंच में रहने की गुंजाइश पहले की गयी थी। वह तो हटा ही दिया उन्होंने। इसके बाद जो जल्दी होने की बात थी कि तीन दिन के अन्दर बेंच कांस्टीट्यूट करना ही पड़ेगा, उसको भी हटा दिया जा रहा है। जरा इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में जाइये और बैकग्राउन्ड में जाने पर श्रीमन् यह बात मालूम हो जायगी कि पहले जब एमेंडमेंट आये थे तो उस एमेंडमेंट्स के जरिये न्याय पंचायत के पंचों की मुकर्ररी का अधिकार सरकार ने इन्डाइरेक्ट तरीके से अपने हाथ में कर लिया था। अब जब वह इन्डाइरेक्ट तरीके से सरकार के हाथ में हो गया जिससे कि जनता के मनोभावों को बड़ी करारी ठेस लगी है तो फिर जो सरपंच को कुछ न कुछ कंडीशन को, शर्तों को पूरा करके ही चलना पड़ता, वह शर्तें भी धीरे-धीरे हटाते चले जा रहे हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (देर से न्याय करना न करने के बराबर है।) यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। अगर न्याय भी होता है, लेकिन देर करके होता है तो वह न्याय न्याय नहीं है। कभी-कभी उस न्याय के मिलने का कुछ अर्थ ही नहीं माना जा सकता है।

इन तमाम बातों को देख करके मैं तो यह निवेदन करूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री इसको वापस ले लें और इस पर वह खुद विचार करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वह विचार करेंगे तो यह बातें उनकी बुद्धि में आसानी के साथ प्रवेश करेंगी अगर वह इन तर्कों की, इन मूल बातों की तह में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे । इसलिये मैं ज्यादा समय न ले करके आप से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री का जो प्रस्ताव यहां सदन में पेश है उसका विरोध यह सदन करे, क्योंकि अगर सदन विरोध नहीं करेगा तो पहले जो अधिकार ग्राम पंचायत राज के जरिये अपने प्रान्त की ग्रामीण जनता को प्राप्त थे, वह अधिकार धीरे-धीरे छिनते चले जायंगे। केवल एक ऊपर का ढांचा रह जा रहा है । जो कि एक नकली ढांचा है । उसकी आत्मा निकली जा रही है। इसलिये मैं ज्यादा जोर के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पारित कराने के लिये इतनी जल्दी न करें और इस तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग न करें बल्कि शक्ति के प्रयोग की जगह बुद्धि का प्रयोग करें।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में मुझे आशा यह थी कि जो खामियां इस ऐक्ट में रह गयी थीं तो जब हमारा यह बिल कौंसिल से आयेगा तो वहां पर हमारे माननीय मंत्री जी विशेष रूप से इस पर विचार करेंगे । लेकिन जब यह लौट कर आया तो देखने में यह आया कि इसमें जो न्याय के लिये प्रावीजन्स थे उनको भी इसके द्वारा निकाल दिया गया है। मैं फिर से उन बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं जो खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (७) में हरिजनों के बारे में है। इसमें से एक अवैधानिकता तो दूर कर दी गयी है और हरिजनों का कोई हित या अनहित नहीं हुआ है। लेकिन इस सम्बन्ध में अगर यह प्रावीजन्स नहीं लाये जाते तो हरिजनों को अधिकार होता कि वह गवर्नमेंट से इस बात के लिये अपील करते...

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि महिला गैलरी में पुरुष बैठे हुये हैं। यह किस प्रकार से है।

(महिला गैलरी में से उनको हटा दिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री जोरावर वर्मा—मैं भी इस बात को मानता हूं कि इससे हरिजनों का कुछ हित या अनहित नहीं हुआ है। अगर यह नहीं लाया जाता तो जो पहले धारा थी उससे हरिजनों को मौका होता कि वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन हमारे माननीय सदस्य ने इस बात की बड़ी हामी भरी और यह दावा पेश किया कि हमारी सरकार हरिजनों के लिये विशेष रूप से सुविधा पेश कर रही है।

जहां तक धारा ५३ की बात है। सचमुच में न्याय पंचायत को बनाने के लिये बात कही गई है लेकिन जो शब्द जोड़ दिये गये हैं उनसे मैं समझता हूं कि अन्याय करने के लिये बहुत बड़ा मौका कर दिया गया है । क्योंकि पहले सरपंच के लिये जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा है, यह बंदिश थी कि जो मामला पेश हो उसके लिये तीन दिन में एक बेंच बनानी पड़ेगी, लेकिन अब यह शब्द हटाये जा रहे हैं और बेंच नहीं बनेगी बल्कि एक बेंच को रिफर करेगा और कब करेगा यह कुछ इसमें नहीं है। अब जनता को जो आशा थी कि जल्दी में उनके मामले की सुनवाई होगी उनके लिये अब कोई समय निर्धारित नहीं है कि कितने दिनों में सुनवाई होगी। सरपंच को अधिक से अधिक शक्ति दी गयी है । यह हो सकता है कि सरपंच अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे।

दूसरी बात यह है कि पहले यह था कि जहां का मामला हो, यह आवश्यक था कि जब बेंच बने और उसमें एक पंच वहां का अवश्य होना चाहिये जहां का वह मामला हो। यह बहुत अच्छा था, क्योंकि वह पंच वहां की विशेष परिस्थितियों से भलीभांति परिचित होता था।

[श्री जोरावर वर्मा]

हालांकि अब कोई ऐसा बंधन नहीं है लेकिन यह भी नहीं है कि वह हो या न हो। इस लिये सरपंच को इतनी शक्ति दे दी गई है कि वह चाहे जैसा कर सकता है इसलिये मैं समझता हूं कि जो पीड़ित और गरीब जनता होगी उसको न्याय मिलने में बड़ी भारी परेशानी होगी।

जहां एक दूसरा संशोधन है कि बांड को एक्जीक्यूट करने में १५ दिन तक ५ रुपये रोज जुर्माना होगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि सरकार को क्या परेशानी हो जायगी, बल्कि मैं समझता हूं कि जो लोग सचमुच में पीड़ित और परेशान हैं उनके विरुद्ध जो शक्तिशाली और सर्वसाधन सम्पन्न लोग हैं उनको मौका दिया गया है कि वह उनको परेशान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि प्रजातंत्र के लिये ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब हमारी सरकार ने हमारे प्रान्त में कोई शान्ति स्थापित नहीं की थी, बल्कि शान्ति के समय में यह अधिकार दिया गया है कि अपने आपस में निबटें और चाहे जैसा करें। तो यह परिस्थिति देहातों में पैदा हो गई है। इसके अलावा हमारी सरकार ने कुछ ऐसे भी कानून बनाये जैसे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जिससे जनता में जो पहले मेल चला आ रहा था अब संघर्ष पैदा हो गया है और उसको निपटाने के लिये उन्हीं लोगों को सौंपा गया है जो कि गांवों में शक्तिशाली हैं। यद्यपि इस ऐक्ट के अनुसार यह हो सकता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुने लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है माननीय राजस्व मंत्री जी को जब यह विदित हुआ कि कितने ही गांव समाज अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन्होंने कई हजार गांव समाजों को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से जो अन्याय न्याय पंचायत में हो रहा है उसको मंत्री जी देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि सचमुच में जो उनकी इच्छा है वह पूरी नहीं हो रही है। हालांकि इस प्रान्त का प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि न्याय सरल हो, कम खर्च वाला हो लेकिन जो लोग शक्तिशाली हैं उनको अन्याय करने से रोकने के लिये कोई प्राविजन नहीं है जिससे जो जनता पहले से पीड़ित है और जो जमींदारी एबालिशन करके सरकार ने जनता और जमींदारों के बीच में एक संघर्ष पैदा कर दिया है वह दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं जैसा कि मैंने पहले विरोध किया था। इससे जो न्याय पंचायतें बनी हैं उनमें न्याय नहीं होगा और जो सरपंच हैं वे काफी हद तक अन्याय कर सकते हैं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से आज मैं अपने विरोधी भाइयों से जो न्यायाधीश का दावा करते हैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज गांवों की क्या मांग है। आज जनता जनार्दन त्राहिमाम् त्राहिमाम् कर रही है। मैं तो इस पक्ष का हूं कि पंचायतराज तोड़ दिया जाय। आज पंचायतों में जो नंगई और गुंडई हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ब्रेक लगाया है इन चीजों पर। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि तीन दिन का समय बहुत अपार है। मैं कहता हूं कि तीन दिन में क्या हो सकता है? कौन सा मोटर या वायरलेस का इन्तजाम है उनके पास। यहां तो टेलीफ़ोन उठाया और अमीनाबाद से बात कर लिया। मैं तो कहता हूं कि तीन दिन की बात को हटा कर सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी की और उसको लिमिट न करके बड़ा ठीक किया। गांव में हर पंच बैठा हुआ नहीं है, उसको काम करना पड़ता है।

एक दूसरी बात कही गयी। पहले सरकार ने गांव का एक आदमी रखा था। उसका तजुर्बा उसको हुआ कि जो लोग गांव वाले होते थे वह एक पार्टी को बिलांग करते हैं। आज गांवों में बड़ी पार्टीबन्दी पैदा हो गयी है। तो इस गुटबन्दी को दूर करने के लिये सरकार ने यह कहा कि निकाल दो बेन्च। दूसरे गांव का आदमी होगा। वह न्याय करेगा वह क्यों किसी पचड़े में फंसने लगा। मैं राजनारायण जी से कहूंगा कि जरा मस्तिष्क से भी कुछ काम लेने की जरूरत है।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की कही गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांव पंचायत ने क्या किया, कुछ भी नहीं। न्याय अदालत तो कुछ करती है। वहां आप प्रतिबन्ध

लगा रहे हैं। माननीय जोरावर वर्मा ने बड़ा बम्बार्ड किया। ये हमारे ग्रेजुएट लोग हैं उस पार के जो यह कहते हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं हरिजनों के, बड़े शुभचिंतक हैं। शुभचिंतकों का यह हाल है। मस्तिष्क से काम नहीं लेंगे, न सोचेंगे कि हमारा किसमें कल्याण है। ऊपर आने में घबराते हैं। हमारी सरकार नीचे से ऊपर उठा रही है, सारा समाज उठा रहा है। ऊपर आने में प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं।

रामराज्य की एक कल्पना पूज्य बापू ने की थी। आज हमने गांवों को अधिकार दे दिया। असली डेमोक्रेसी हमारे गांवों में है। हमने दिल्ली से लेकर गांवों तक पहुंचा दिया। हमने सात वर्ष एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद हमने संशोधन किया पंचायत राज ऐक्ट को आज जनता चाहती है कि संशोधित हो। मैं आज अपने पंचायत मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गांवों की जनता की आज यह मांग है कि आप जल्द से जल्द चुनाव करवाये।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---यह जो माननीय शिवनारायण जी ने माननीय मंत्री जी को पंचायत मंत्री कहा है मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---इसमें कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है।

श्री शिवनारायण---तो क्या मैं रामदास जी को मंत्री समझूं? मंत्री जी हमारे समक्ष बैठे हैं उन्हीं को, मैंने आपकी इजाजत से, सम्बोधित करके कहा है। श्री रामदास आर्य और जोरावर वर्मा जी की कुछ समझ में न आये तो मैं क्या करूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गांवों की मांग है कि जल्द से जल्द हमारा चुनाव हो जाय। सरकार को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज जनता जनार्दन जो गांवों में बसती है वह दुखित है। जो उसमें सरपंच, सभापति और पंच हैं अंधेर मचाये हुये हैं। वह अपने सही लीडर को चुनना चाहते हैं बल्कि वह तो कहती है कि इसको बिल्कुल बन्द कर दो। जैसे पहले अदालतों में जाना पड़ता था वैसा कर दिया जाय। लेकिन नहीं हम प्रजातंत्र को नीचे लेविल तक ले गये हैं। हमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। शुरू में तो बड़ा क्रिटिसिज्म चलता था कि बड़ी धांधली है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने संशोधन किया तो उसका विरोध होने लगा। सिर्फ विरोध करना ही है उनके पास। लेकिन केवल विरोध करने से ही काम नहीं चलता। ठंडे दिल से सोचा जाय और पंचायत राज को सफल बनाने की कोशिश की जाय। अगर आप पंचायतों में जाकर काम करेंगे तो आपका भला हो सकता है। सबका भला हो सकता है। पंचायतें किसी की बपौती नहीं हैं। जो सेवा करेगा उसी का भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गजेन्द्रसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अभी जो संशोधन रखा गया था उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ५३ धारा के नवीन उपधारा ३ में अपना एक संशोधन रखा था। उसके जरिये मैंने यह चाहा था कि जो जुर्माने की रकम है वह हैसियत के मुताबिक होनी चाहिये। लेकिन उसका जवाब देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि कोई भी आदमी झगड़ा क्यों करता है। जहां तक झगड़ा करने का प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही अहमियत रखता है। जिसका मतलब बहुत व्यापक है झगड़ा तो हम लोग जिस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो अंग्रेज भी कहता था कि यह लोग झगड़ा करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, शांति भंग करते हैं और इस तरह से हम लोगों को जेल में बन्द किया जाता था फांसी भी दी जाती थी। जुर्माना भी होता था। और भी तरीकों से परेशान किया जाता था। अंग्रेज यही कहता था कि झगड़ा क्यों करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पिछला जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया। उसके द्वारा गांव में तरह-तरह की बातें पैदा हो गयी हैं। जहां तक झगड़े का प्रश्न है आज की समाज व्यवस्था में, लोगों की आमदनियों में जमीन और आसमान का अन्तर है और इस प्रश्न को ले कर आये दिन समाज में झगड़ा पैदा हो रहे हैं। गांव में सीरदारी, भूमिदारी और आसामी और अधिवासी के प्रश्नों को लेकर बहुत से झगड़े पैदा हो रहे हैं और इसी किस्म के झगड़े गांव पंचायत में

[श्री गजेन्द्रसिंह]

पैदा होंगे। जब ये झगड़े वहां पैदा होंगे आसामी कहेगा कि यह खेत मेरा है और अधिवासी कहेगा कि यह खेत मेरा है ऐसे प्रश्नों को लेकर वहां आपस में झगड़े पैदा होंगे। ऐसी सूरत में अगर हमारे इस संशोधन को नहीं माना जाता तो मैं ऐसी सूरत में गरीब आदमियों पर बड़े लम्बे चौड़े फाइन किये जायेंगे और बहुत ज्यादा परेशान किया जावेगा। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे झगड़ा क्यों करते हैं। झगड़ा वे नहीं करते बल्कि वे करते हैं जिनके हाथ में उत्पादन के साधन हैं, जीविका के साधन हैं और जिन्होंने उन साधनों को हथिया लिया है और दूसरे आदमी जो साधन विहीन हैं, निरीह हैं उन्हें साधन नहीं देना चाहते हैं--जो वर्ग समाज में झगड़ा कर रहा है और उसी वर्ग को संशोधन द्वारा माननीय मंत्री सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर इस सुझाव को मान लिया गया होता तो गरीबों पर जो आपत्ति आवेगी वह टल जायेगी।

शिवनारायण जी ने जो यह बात कही कि राजनारायण जी ने जो ३ दिन की बात कही उसमें उन्होंने दिमाग से काम नहीं लिया। मैं कहूंगा कि राजनारायण जी ने ३ दिन की बात बहुत सोच समझकर कही थी और शिवनारायण जी ने कानों से काम नहीं लिया अगर ठीक सुना होता तो इस तरह की बात न कहते।

एक बात और कहना चाहता हूं। एक तरफ तो माननीय शिवनारायण जी कहते हैं कि हमने राम राज्य स्थापित कर दिया और देहातों में बड़ा अमनोअमान है और शांति है और दूसरी तरफ कहते हैं कि गांव में बड़ी गुंडई है और न जाने क्या-क्या-कहा जो पालियामेंटरी भी था या नहीं, मैं नहीं कह सकता। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय यह जो एमेंडमेन्ड ऐक्ट है उसका विरोध करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष के श्री मलखान सिंह का नाम पुकारने पर।)

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--मैं क्लोजर का मोशन मूव करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं नाम ले चुका हूं। माननीय सदस्य संक्षेप में कहें तो अच्छा है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री महोदय की तरफ से आया है उसका मैं विरोध इसलिये करता हूं कि जो पंचायत राज्य इस वक्त तक चालू है उसकी जड़ में ही दीमक लगी हुयी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सबसे ऊपर का जो अधिकारी हो वहीं पर गोलमाल हो तो फिर कहां सुनवाई हो सकती है। मैं आपको साफ-साफ बतलाना चाहता हूं कि सन् ५३ में जब यहां पर बजट पेश हुआ था उसी वक्त मैंने एक अपने यहां के केस हतीसा भगवन्तपुर के प्रधान मूलचन्द का बतलाया था और जैसा कि उस वक्त माननीय स्वशासन मंत्री ने बतलाया था जनवरी सन् ५४ में उनका यह आर्डर हो गया था कि उसको जो यह सजा दी गयी है कि वह ५ वर्ष तक खड़ा नहीं हो सकता यह गलत है, यह हटा दी जाय। जनवरी सन् ५४ में यह माननीय स्वशासन मंत्री का हुक्म हो गया था और फाइल पर मौजूद है। इसके बाद हर सेशन में मंत्री जी से मैं मिला तो आज मुझे यह बताया गया कि उप्रेती साहब ने २५ नवम्बर, सन् ५४ को यहां से हुक्म निकाल कर डायरेक्टर आफ पंचायत राज आफिस को भेजा है। मुझे बार-बार यह विश्वास दिलाया गया कि हुकुम को अलीगढ़ जाकर देख लो। लेकिन मुझे आज पता चला कि जनवरी सन् ५४ में जो स्वशासन मंत्री जी का हुकुम निकला है वह २५ नवम्बर, १९५४ में जाकर डाइरेक्टर पंचायत आफिस में पहुंचा है। पहले जब मैंने मंत्री जी से इस बात का जिक्र किया था तो वे इस बात पर सहमत थे कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है। उस प्रधान का कसूर यह था कि वह प्रधान एक दूसरे गांव में जहां पर बैलों की नुमाइश हो रही थी वह नुमाइश में अपने बैल ले गया था और वहां पर जो इनाम बंटे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने बांटे थे। वहां पर जो इनाम बतलाये गये उसमें उसकी

बैलों की जोड़ी का नम्बर चौथे नम्बर पर था, परन्तु उसको यह महसूस हुआ कि उसके बैल नम्बर १ के हैं। जिस वक्त चौथे नम्बर का इनाम लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पुकारा तो उस प्रधान ने आकर कहा कि मैं तो यह इनाम लेने केलिये नहीं तैयार हूं तो इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी और इसके ऊपर वह हटा दिया गया और उसको कह दिया गया कि तुम प्रधान होने के काबिल नहीं हो। यह हो सकता था जैसा कि माननीय मंत्री जी ने मंजूर किया कि उसने कोई बात कही हो। लेकिन दूसरी जगह नुमाइश में जाकर अगर उसने कुछ कहा तो वहां पर उसकी प्रधान की हैसियत नहीं थी वहां पर तो वह किसान की हैसियत से गया था। यह सब होते हुये भी वह हुकुम अब जाकर सन् ५४ में पास करते हैं। मैं लगातार उनके पास बहुत बार गया और मैं तो इसको बेइज्जती समझता हूं कि हम या कोई भी सदस्य किसी काम के लिये मंत्रियों के पास बराबर जाते रहे। आज मुझे उनके पर्सनल असिस्टेंट से यह मालूम हुआ कि २५ नवम्बर, सन् ५४ को यह हुकुम यहां से डाइरेक्टर आफ पंचायतराज के पास भेजा गया है और मेरा ख्याल यह है कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं होगा यह हुकुम उनके पास वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो यह क्या बात है। मैं आपको बताऊं कि जुर्माने इस तरीके से हो रहे हैं कि जिसको कहा भी नहीं जा सकता है। अगर किसी आदमी ने कोई कूड़ा डाल दिया और पंचायत ने उसके लिये हुक्म दिया कि तुम यहां से कूड़ा हटाओ नहीं तुमको एक रुपया रोज जुर्माना देना पड़ेगा महज कूड़ा हटाने में देर के कारण १७० और ११० रुपये तक का जुर्माना लोगों पर हुआ है। बेचारे लोग तबाह हो रहे हैं और परेशान हैं। तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हम लोग माननीय स्वशासन मंत्री जी से यह आशा करते थे कि वह कड़ाई से काम करेंगे और उनके अन्दर आफिशियलडम नहीं आने देंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हुकुम से उनको निकाल दिया यह कौन सी न्याय की बात है। यह नहीं देखा गया कि किसका कसूर है। मैं यहां पर यह बात भी बतलाऊं कि अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का समय एक साल के लिये और बढ़ा दिया गया है। चुनाव नहीं कराया जा रहा है। क्या वजह है कि डेढ़ लाख आदमियों के ऊपर एक साल के लिये यह फैसला और जबर्दस्ती से लाद दिया गया है? सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वहां पर उन्नति के काम किये जायेंगे सरकार की तरफ से रुपया देकर .....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूं कि इस बात का प्रस्तुत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मलखानसिंह--मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी जब दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हो रही थी तो मैं भी वहां पर था।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य थोड़ी देर के लिये बैठने की कृपा करें। मेरे पास दो प्रस्ताव आये हैं जो समय के पहले ही सदन में आ जाने चाहिये। एक तो यह है कि कल के दिन कार्यवाही की जाय और दूसरा यह है कि थोड़ी देर के लिये आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो इसे मैं पेश करने की इजाजत देता हूं।

श्री कालीचरण टंडन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक थर्ड रीडिंग की कार्यवाही चल रही है तब तक के लिये हाउस के बैठने का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण--इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत राज विधेयक आज समाप्त हो जाय। तो वह तो १०,१५ मिनट में हो ही जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक की थर्ड रीडिंग समाप्त होने तक के लिये आज सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण--तो दूसरा प्रस्ताव खत्म हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---हां ।

श्री मलखानसिंह---मैं यह कह रहा था कि दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में हम लड़ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को उनकी मर्दुमशुमारी के मुताबिक रिप्रेजेन्टेशन मिलना चाहिये और यह सवाल पार्लियामेंट तक पहुंच गया है और यहां मैं देखता हूं कि हमारे भाई शिवनारायण चूंकि उनकी सीट पर कमी नहीं आयी है, वहां तो ८३ की ७८ हो गयी और अब ७८ से ८१ चाहते हैं, चूंकि उन्हें गांव समाज में पंच नहीं होना है । इसलिये वहां कितनी ही कट जावें, उन्हें कोई ख्याल नहीं है । मेरे भाई काटजू साहब ने कहा कि १० में से ९ तो रह जावेंगे । तो फिर यदि ८० में से ७२ रह जावें तो फिर काहे को झगड़ा है । इसलिये मैं कहता हूं कि यह झगड़े की बात नहीं है । यह सिद्धांत की बात है ।

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं यह समय नहीं है । आप बैठ जावें ।

श्री मलखानसिंह---कानूनन यह बातें गलत है कि एक तरफ तो आप यह डींग मारें कि हम अछूतों के लिये लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस सदन में कांग्रेस का नाम लेकर उन भोले भाले भाइयों को बहका कर उनसे कहला दें कि इसमें उनका नुकसान नहीं है । लेकिन फिर भी यह हाईकोर्ट में जाकर गिर जायगा चूंकि जब आप संख्या के हिसाब से रिप्रेजेन्टेशन देने जा रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि एक हाथ से दें और दूसरे से कहें कि न्याय पंचायतों के पंच को भी उसी में शुमार कर लो और अब दूसरे में नहीं लिया जा सकता है । आज अपने अधिकारों के लिये हर मनुष्य लड़ने के लिये तैयार है तो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक अगर शड्यूल कास्ट को यह संरक्षण मिल रहा है सन् ६० तक तो चाहे हम एक प्राविजनल कानून भी बना दें कि वह भी इसमें शामिल कर लिया जाय तो यह हाईकोर्ट में गिर कर रहेगा । इसलिये इस कानून का मैं विरोध करता हूं चूंकि यह कानून गलत है, इसलिये मंत्री महोदय इसे वापस लें । साथ ही साथ यह भी मैं निवेदन करूंगा कि जो नियम बना रहे हैं और जल्दी ही एलेक्शन की बात भी हो रही है तो मैं कहूंगा कि जो एलेक्शन का महीना या डेट मुकर्रर करें जैसा कि मेरे भाई श्री राजनारायण जी ने कहा कि यह देर करने की चीज है और यह इंसाफ न देने के बराबर है और मैंने बतलाया कि बेइंसाफी मूलचन्द के साथ हुयी । जनवरी सन् ५४ में तो हुक्म हुआ जो २५ नवम्बर ५४ को यहां से निकला है और अब शायद सन् ५५ में जाकर वह अलीगढ़ पहुंचे । तो यह कोई इंसाफ हुआ ? माननीय स्वशासन मंत्री जी कह सकते हैं कि मैंने तो इंसाफ कर दिया था, हम क्या करें ? तो यही मुझे कहना है कि यह इंसाफ करना नहीं है बल्कि यह अन्याय हुआ और न्याय का गला घोंटना हुआ । इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं ।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो छपी है उससे मालूम होता है कि उसमें माननीय सदस्य तथा ५, ६ और भी एम० एल० एज थे और वहां पर जब हरिजनों की सीट्स को ७८ से ८१ करने की बात आयी तब तो आप उनके हक के लिये नहीं लड़ सके और यहां हांक रहे हैं कि उनके लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये । उस समय आप कहां थे ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं इस वक्त बहस की इजाजत नहीं देता । यह भाषण देने का वक्त नहीं है, आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री मलखानसिंह---मैं समझता हूं कि मुझसे यह सवाल किया गया है इसलिये मैं उसका जवाब दे दूं । श्री वेंकटेश्वर नारायण तिवारी, श्री टी० एन० सिंह और श्री अलगूराय शास्त्री तथा जो ६ कांग्रेसी थे वे ही इस बात को बतला सकते हैं कि एक एक चीज क

लिये और ७८ से ८१ करने के लिये लड़ कर मैंने अभी तक उसकी मीटिंग भी नहीं होने दी है डिलिमिटेशन कमीशन की। यह कहना कि मैं वहां खामोश रहा, यह सरासर गलत और झूठ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बातें इस समय इस थर्ड रीडिंग के समय हुयीं उनमें बहुत सी तो ऐसी हैं जो कि मूल एमेंडमेंट बिल से सम्बन्ध रखती हैं न कि केवल उन एमेंडमेंट्स से जो कि कौंसिल द्वारा होकर आज यहां पेश हुये हैं। उन पर बहुत बहस हो चुकी है। पहले भी इस बिल की थर्ड रीडिंग हुयी थी और मेरा ख्याल है कि कोई बात ऐसी नहीं है जो उस वक्त न उठायी गयी हो और जिसका उत्तर न दिया गया हो। इसलिये उन तमाम बातों को दोहराना तथा इस सदन का समय लेना मुनासिब न हो इसलिये इस समय उन बहुत सी चीजों को उठाना तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात कही कि पहले हर गांव के आदमी उस झगड़े में होते थे जो कि झगड़े होते थे। मैं समझता हूं कि इसमें उनको गलत फहमी है। पहले भी जो विधान था। जो कायदा था उसमें गांव सभा के आदमी होते थे। गांव सभा भी ३,४,५ गांवों की हो सकती है। यह जरूरी नहीं था कि उस गांव का आदमी उसमें जरूर हो। पहले सरपंच को यह अधिकार था कि वह बेंच बना दे और उस बेंच के सुपुर्द मुकदमें हो जाते थे। लेकिन कई जगह देखा गया कि इस अधिकार का सरपंचों द्वारा दुरुपयोग किया गया इसलिये अब सरपंचों से बेंच बनाने का अधिकार ले लिया गया है। अब तो परमानेंट बेंच हैं इसलिये इस शर्त को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्र वही हैं जो कि पहले थे, आस पास के इलाके के लोग भी उसमें होंगे। गांव सभा तो पहले भी थी लेकिन अब उसमें से गांव सभा का यह शब्द नहीं रखा गया है। अब तो आप रेवेन्यू विलेज गांव सभाओं को बनाने जा रहे हैं। इसलिये इसका कोई सवाल ही नहीं है। सात आठ नौ गांव सभाओं की न्याय पंचायतें होंगी और कोई बेंच होगी जिसमें पांच आदमी होंगे तो उसमें यह उम्मीद करना कि आठ नौ गांव के प्रतिनिधि मौजूद हों यह कैसे हो सकता है ?

श्री राजनारायण---जहां झगड़ा होगा वहां के तो होंगे ही।

श्री मोहन लाल गौतम---जहां का झगड़ा होता था उस गांव का पहले जरूरी नहीं था कि हो उस गांव सभा का होना जरूरी था। उस गांव सभा का हो, लेकिन उस गांव का न हो यह हो सकता है। लेकिन अब तो उसमें पांच होंगे। यह सम्भव है कि उस गांव का कोई सदस्य न हो। दो तीन गांवों की एक गांव सभा है। झगड़ा हुआ है गांव नम्बर १ में, और आदमी है गांव नम्बर २ का, और मुमकिन है गांव नम्बर ३ के बजाय नम्बर ४ का हो। अब अगर हर रेवेन्यू विलेज की गांव सभा बनाने का ख्याल है तो ६०-६५-७० हजार गांव सभायें हो जायं और गांव पंचायतों की संख्या वही रखी जाय तो एक गांव पंचायत में ६, ७, ८, ९, १० तक गांव सभायें हो सकती हैं और पांच आदमियों की जो बेंच बनेगी उसमें हर गांव सभा का आदमी नहीं हो सकता। यह अरिथमेटिक के हिसाब से है और हम चाहे जितना चाहे हर बेंच में हर गांव सभा का मेम्बर हो यह भी मुश्किल है।

श्री राजनारायण---बेंच में जहां का झगड़ा हो वहां का आदमी रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---अब जहां का झगड़ा हो वहां का आदमी रखना अच्छा है या बुरा यह तो दूसरी बात है। मैं नहीं कहता कि यह नहीं होना चाहिये और न यह इसमें है लेकिन वहां का हो यह भी बिलकुल ठीक हो ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि उसी गांव का पंच बजाय पंच के वकील बन गया है और अगर गांवों में झगड़े होते हैं दो पक्षों के बीच वह एक पक्ष का वकील सा बन जाता है और इस प्रकार एक पक्ष का तो वकील वहां पहुंच गया

[श्री मोहनलाल गौतम]

और दूसरा घाटे में रह गया। इसलिये जरूरी नहीं है कि यह तरीका ज्यादा फायदे का ही हो।

राजनारायण जी को शायद यह गलतफहमी है कि मैंने मुक्तकंठ से अदालती पंचायतों की प्रशंसा की है। मैंने प्रशंसा भी की है और उनमें खराबियां भी देखी है और उन खराबियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया है।

अब जब जहां तक मुब्बत करने की बात है मैंने अवश्य कहा है कि मैं गेंदासिंह जी से मुहब्बत करता हूं और अगर राजनारायण जी को डाह हो तो मुझे उस बात को वापस लेने में कोई एतराज भी नहीं है, क्योंकि मुहब्बत की बात तो नेता के द्वारा ही होना चाहिये।

श्री राजनारायण---हमसे तो आप बुद्धि और तर्क ही पा सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---बुद्धि और तर्क का बिला दिल के क्या स्थान है। इस पर बहुत बड़ी बहस हो सकती है जिसे मैं नहीं करना चाहता। राजनारायण जी ने कहा कि मैंने चालाकी से संशोधन रख दिया। संशोधन आया और हाउस ने कृपा करके उसे स्वीकार कर लिया और मैंने चालाकी की और अब लोग सोते रहे और राज नारायण जी ने एमेंडमेंट नहीं दिया तो उसके लिये क्या कहूं किसी दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल सदन में नहीं करना चाहता। जहां तक मलखान सिंह जी ने मुकदमे की बात कही है इसमें उन्होंने इतना तो माना है कि ज्योंही मेरी नोटिस में आयी मैंने उस गल्ती को ठीक करने की कोशिश की है और यह बात सही है कि यहां से जब कोई गल्ती नजर आती है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब क्या सही और क्या बात गलत उसमें रह जाती है, उस बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मलखान सिंह जी ने इतना तो मान ही लिया कि अगर गलती थी तो उसको दुरुस्त कर दिया गया है। मलखान सिंह जी ने कहा कि वह इतनी छोटी छोटी बातों के लिये बराबर किसी मंत्री के पास जाना अच्छा नहीं समझते हैं। मैं भी समझता हूं कि किसी पंच या सरपंच की बात को लेकर किसी माननीय सदस्य का ५०,६० बार किसी मंत्री के पास जाना उस मेम्बर की शान के खिलाफ है मुझे लिख कर दें, सवाल करें, जो तरीके हैं, लेकिन बार बार आयें और स्टाफ से पूंछें तो स्टाफ की बड़ी मुसीबत हो जाती है जब आप पूंछते हैं कि वह फाइल कहां है। उसमें क्या हुआ। यह सारी इन्क्वायरी मेम्बरों की शान के खिलाफ है। मेम्बर बार बार यहां आयें, तकलीफ करें और उसके लिये जांच करें इसमें उनकी शान नहीं है। वह मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे फोन ही कर सकते हैं। मंत्री तो इसी काम के लिये होता ही है और मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों में उनको बार बार कष्ट नहीं करना चाहिये। बहरहाल जो चीजें यहां हुयी उनमें मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। अगर मैं यह मान लूं कि यह विरोध है और उसे स्वीकार कर लूं तो उससे हालत सुधरती है या नहीं। मैं समझता हूं कि विरोध स्वीकार करने से हालत सुधरेगी नहीं चाहे और खराब ही हो और जब मैं ऐसा समझता हूं तो मेरी मजबूरी है कि मैं उसे स्वीकार कर सकूं। तो इसमें यह है कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी वह किसी भी हरिजन को न्याय पंचायत में भेज सकेगी इसको अगर आप चाहते तो मैं विरोध करने वालों से पूंछना चाहता हूं कि क्या वे यह चाहते हैं कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का कोई स्थान न रहे। न्याय पंचायत की संख्या वहीं की वहीं रहे। अगर इस विरोध को मान कर चला जाय तो हरिजनों को न्याय पंचायत में कोई स्थान नहीं मिलेगा और मैं यह कम से कम मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि न्याय पंचायत में हरिजनों का दरवाजा खुला रहे चाहे गांव पंचायत में उनकी संख्या एक बार कम हो जाय और इसलिये मैं इसके विरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा और इस संशोधन का स्वागत सारा प्रदेश भी करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १४ मिनट पर सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
३ दिसम्बर, १९५४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

Copy of G. O. No. B-4126/XV-369/1944, dated May 25, 1948, from the Deputy Secretary to Government, United Provinces, Education (B) Department, to State Harijan Sahayak Officer, U. P.

With reference to the correspondence resting with your letter no. D/5027/XXXIII-13(1) of 1947-48,dated September11, 1947, I am directed to say that the Governor has been pleased to sanction the payment with effect from the current financial year of a recurring grant of Rs. 68,000 to Hindustani Middle and Primary Schools maintained by Local Bodies to reimburse them the loss which they would suffer from granting exemption to scheduled caste students from the payment of games fee, medical fee, library fee, tuition fee and hostel fees. The grant is being sanctioned on the express condition that the local bodies must pay their one-third share of the cost for meeting the expenditure involved on this proposal. If a local body is not prepared to meet its share of the expense, Government will not make any contribution.

2. The charge of Rs. 68,000 will be met from the provision made in the budget of the current financial year under head, "37—Education—C—Primary (*b*) Direct grants to Non-Government Primary Schools and grants to local bodies for Primary Education—Boys—3—Grants to Non-Official bodies for exemption of Education among the Depressed Classes".

3. Necessary amendment to the Educational Code may, if necessary be submitted for the approval of Government as early as possible.

(Sd.) I. R. KHAN,

Deputy Secretary.

No. B-4126 (1)/XV-369/44.

Finance Department

Copy forwarded to Accountant General, United Provinces, for information.

By Order,

(Sd.) K. S. GOYAL,

Assistant Secretary.

OFFICE OF THE HARIJAN SAHAYAK OFFICER, UTTAR PRADESH

No. HS-3907/IX—52/44

Dated Lucknow, May 19, 1952.

Copies of G. O. no. 2068/XXVI—61(D)-1951, dated August 28, 1951, No. 3044/XXVI—73(D)-1951, dated December 3, 1951, sanctioning re-imbursement of loss in fee income to all recognised aided and unaided Secondary Schools in the State, which grant exemption to poor Scheduled Castes students from payment of the fees, forwarded to all heads of such schools. Statement for the year 1952-53, pertaining to the loss in fee income for the months of April to June, 1952, may please be forwarded to this office through respective District Inspectors of Schools in the attached proforma for issue of necessary orders for re-imbursement by this office.

2. Statements duly scrutinised by the District Inspector of Schools concerned should reach this office by June 15, 1952.

CHHEDI LAL,
Harijan Sahayak Officer,
Uttar Pradesh.

No. HS-3907(i)/IX—52/44 of date

Copy forwarded for information to—

(1) Secretary to Government, Uttar Pradesh, Harijan Sahayak Department.
(2) The Director of Education, Uttar Pradesh.
(3) Regional Deputy Directors of Education, Uttar Pradesh.
(4) The Regional Inspectresses of Girls Schools.
(5) All District Planning Officers.
(6) All Regional Harijan Sahayak Officers and Group Officers.
(7) All District Inspectors of Schools.

CHHEDI LAL,
I. A. S.
Harijan Sahayak Officer,
Uttar Pradesh.

Copy of G. O. no. 2068/XXVI—61 (*D*)-1951, *dated August* 28, 1951, *from* Sri B. N. Verma, *Under Secretary to Government, Uttar Pradesh, to the State Harijan Sahayak Officer, Uttar Pradesh, Lucknow.*

In continuation of this Department's U. O. no. HS-56/XXVI, dated April 6, 1951, I am directed to enclose a copy of G. O. no. B-3979/XV—360-1944, dated May 8, 1945 in which Government sanctioned reimbursement of losses to aided Institutions due to exemption of Scheduled Castes

Students from payment of tuition fees and allowed the institutions concerned to show the losses on account of this exemption in the Manager's Returns to be taken into account for the purpose of assessing their grants-in-aid under paragraph 377 of the Educational Code. As the provision for this purpose has been transferred to you with effect from the current financial year and as you have to make payment towards the reimbursement of these losses, the order to show such loss in the Manager's Returns has become inoperative and needs modification.

2. The Governor has, therefore, been pleased to cancel the orders contained in the G. O. no. B-3979/XV—360-44 , dated May 8, 1945, referred to above. The Managers of the institutions will in future submit their applications separately for reimbursement of losses on account of exemption of Scheduled Castes students from payment of tuition fees by a fixed date through the District Inspector of Schools to you. After due scrutiny you will make necessary payments to the institutions concerned with funds provided in the budget. I am to request that the Managers of the Institutions may be informed of this procedure through the District Inspector of Schools and they may be told not to show the loss in fee-income on account of the aforesaid exemptions in their Manager's Return for obtaining grants under paragraph 377 of the Education Code.

3. Necessary provision to meet the charge on account of the reimbursement exists in the budget of the Harijan Sahayak Department during the current financial year under the head "Grant no. 40—Miscellaneous and Unforeseen Charges—C—Educational Activities —(*a*) Scheduled Castes—(1) Grants—(3) Grants to non-Government Secondary Schools and (III) Miscellaneous—(3) reimbursement to local bodies on account of exemption of Scheduled Castes students from payment of fees in Hindustani Middle and Primary Schools".

No. 2068(i)/XXVI—61(D)-1951

Copy forwareed to Director of Education, Uttar Pradesh for information and necessary action with reference to his letter no. F(F)-3443/II-114-51-51, dated July 16, 1951.

By Order,
B. N. VERMA,
Under Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

FINANCE DEPARTMENT

No. 2068(ii)/XXVI—61(D)-1951

Copy forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information with reference to Government Endorsement no. 3979/XV—360-44, dated May 8, 1945.

By Order,
N. C. RAY,
Under Secretary.

No. 2068(iii)/XXVI—61(D)-1951.

Copy forwarded to the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh, for information.

By Order,
N. C. RAY,
Under Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

Copy of Government Order no. B-3979/XV—360-1944, dated May 8, 1945. from the Secretary to Government, U. P. Education (B) Department, Lucknow, to the Director of Education U. P.

WITH reference to your letter no. D-1975/XXXIII—24(9), dated September 22, 1944, I am directed to say that the Governor has fully considered the proposal contained in resolution no. 9 passed by the Provincial Scheduled Castes Education Committee in March, 1944 and has now been pleased to sanction,with effect from July, 1945, the exemption from the payment of tuition fees of these scheduled castes students reading in the aided Anglo-Vernacular schools and colleges whose parents or gaurdians are not in a position to pay.

2. The institutions concerned are allowed to show the loss, in fee income on account of the above exemptions in their Manager's Returns which would be taken into account in assessing their grants under paragraph 377 of the Educational Code. In the case of the institutions which earn their grants equal to half of the approved expenditure an additional grant representing the loss in their fee income or the above account may be sanctioned to them. For this purpose the Governor has been pleased to sanction a general relaxation of paragraph 377 of the Educational Code in such cases.

3. Necessary provisions to meet the charge has been made in the budget of the current financial year (1945-46) under the head "37—Education—B—Secondary—(*b*) Direct Grants to non-Government Secondary Schools—Boys—Other schools—Recurring maintenance".

Copy of G. O. no. 3044/XXVI—73(D)-1951, Dated December 3, 1951, from Secretary to the Government, Uttar Pradesh Harijan Sahayak Department to the Harijan Sahayak Officer, Uttar Pradesh, Lucknow.

WITH reference to the correspondence resting with your U. O. no. HS-963, dated November 23/24, 1949 and continuation of G. O. no. 2068/XXVI-61(D)—1951, dated August 28, 1951, I am directed to say that with a view to providing further educational facilities to the Scheduled Castes students the Governor is pleased to order that with effect from July 1, 1951 the recognised Secondary Schools in the State which do not receive any grant-in aid from Government will be reimbursed the loss on account of the exemption from payment of tuition fees chaged from the Scheduled Castes students reading in those institutions. The Managers of these institutions should accordingly be instructed to exempt all poor and deserving scheduled castes students whose gurdians cannot finance their education from payment of tui-

tion fees and to submit their applications to you through the District Inspectors of Schools, by a fixed date, for reimbursement of the loss suffered by them. After due scrutiny you should make necessary payments to those institutions as in the case of aided secondary institutions in the State.

2. The expenditure should be debited to the head "57—Miscellaneous and Unforeseen Charges—C—Educational Activities—(*a*) Scheduled Castes—(1) Grants—(3) Grants to non-Government Secondary Schools (Grant No. 40) "and the provision thereunder should be supplemented by re-appropriation of savings in the budget for the current financial year.

3. Since provision does not exist in the current year's budget and the expenditure is of an urgent and unavoidable nature the Governor is pleased to sanction an advance of Rs. 32,000 from the U. P. Contingency Fund pending authorisation of the expenditure by the legislature through a Supplementary Appropriation Act.

HARIJAN SAHAYAK DEPARTMENT

No. 3044(i)/XXVI—73(D)-1951.

Copy forwarded to the—

(1) The Director of Education, Uttar Pradesh.
(2) The Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh, for information.
(3) Finance Department (Budget) for information.

FINANCE DEPARTMENT

No. 3044(ii)/XXVI—37(D)-1951.

Copy forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, for information.

No. B/2725/XV-336—1946.

FROM

A. N. SAPRU, ESQUIRE, I. C. S.

SECRETARY TO GOVERNMENT, U. P.,

To

THE DIRECTOR OF EDUCATION,

U. P., ALLAHABAD.

Dated Lucknow, July 14, 1947.

Education (B) Department.

SIR,

WITH reference to the correspondence resting with your U. O. no. D/2735/XXXV-25(28),dated August 21, 1946, I am directed to say that the Governor has fully considered the proposal contained in resolution no. 28 passed by the Provincial Scheduled Castes Education Committee in August, 1945, and has now been pleased to sanction, with effect from July 1947, the exemption from the payment of tuition fees of those scheduled caste students reading in aided Degree Colleges and Universities whose parents or gurdians are not in a position to pay. The loss in fee income of the institutions concerned on account of this exemption will be compensated by Government for which purpose a lump provision of Rs.12,000 has been

made in the current year's budget. The amount so provided is placed at the disposal of the Director of Education, United Provinces who will arrange to make adjustments in case of variations in the actual expenditure in Universities and in Degree Colleges. The institutions concerned are allowed to show the loss in fee income on account of the above exemption in their annual budget estimates which should be taken into account in assessing their grants.

2. Necessary provisions to meet the charge exist in the current year's budget (1947-48) under the head "37—Education—A—Universitiy (*a*) Grants to Universities—7—Lump provision for reimbursement of losses in fee income on account of exemption of Scheduled Caste students from payment of tuition fees" and "A—University—(*c*) Grants to non-Government Art Colleges—Men. 2—Lump provision for reimbursement of losses in fee income on account of tuition fees".

3. Necessary addition in the Educational Code may be made after attaining the approval of Government in due course.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

A. N. SAPRU,

Secretary.

FINANCE DEPARTMENT

No. B/2725(i)/XV—336-1947.

Copy forwarded for information to the Accountant General, United Provinces, Allahabad.

By Order,

K. S. GOYAL,

Assistant Secretary.

TRUE COPY

Copy of G. O. no. B/5688/XV—478-47, dated October 16, 1947, from the Secretary to Government, U. P., Education (B) Department, Lucknow, to this Office.

With reference to your letter no. D/C-105, dated September 3, 1947, I am directed to invite a reference to G.O. no. B-4271/XV—373-1942, dated October 29, 1943, in which Government exempted from the payment of seat-rent in hostels all Scheduled Caste students who were residents in hostels attached to Government High Schools, and Inter. Colleges and whose gaurdians were not in a position to pay. With a view to giving additional hostel facilities to such students, the Governor has been pleased to order that, with effect from July 1, 1947 all Scheduled Caste students should be exempted from the payment of all other kinds of dues charged in hostels attached to Government and non-Government institutions.

2. The Governor has further been pleased to order that with effect from July 1, 1947, Scheduled Caste students whose parents or guardians are

not in a position to pay and who desire to reside in hostels attached to recognised Anglo-Hindustani Institutions should be exempted, from the payment of rent, lighting charges, Medical fee, Common room fee, etc. and the loss in fee income of such institutions should be re-imbursed by Government. These exemptions have been granted on the same terms and conditions laid down in para 2. of G. O. no. B—3979/XV—360-1944, dated May 8, 1945.

3. The charge on this account will be met from the savings in the existing budget provision in the current financial year (1947-48) under the head "37—Education—B—Secondary—(*b*)—Direct Grants to non-Government Secondary Schools—Boys—Other Schools—Recurring—Maintenance" which will be supplemented later on by re-appropriation of funds, if necessary.

4. A recurring grant of Rs.4,200 is proposed by you may be provided direct in the Education Department budget estimates for 1948-49.

FINANCE DEPARTMENT

No. B-5688-I/XV—478-1947.

Copy forwarded for information to the Accountant General, U. P., Allahabad.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION, U. P., ALLAHABAD.

No. D 6954/XXXIII—35(1)/1947-48, *Dated November* 7, 1947.

Copy forwarded to the:—

1. The Deputy Director of Regions, Moradabad, Agra, Lucknow and Allahabad
2. The District Inspectors of Schools, Uttar Pradesh.
3. The Regional Inspectresses of Girls Schools.
4. The Principals of Government Training Colleges, (Men and Women)
5. The Chairmen, District Depressed Class Association Committees, Uttar Pradesh.
6. The F(2) Department of this Office.
7. The Director of Education's Camp Office, Lucknow.
8. All Officers of the Headquarters, for information and guidance.

(Sd) CHHEDI LAL,

Officer on Special Duty,
for *Director of Education, U. P.*

Copy of G. O. No. B-2721/XV—309-1946, dated Lucknow, May 4, 1947, from the Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh, Education (B) Department to this Office.

WITH reference to the correspondence resting with your letter No. D-2669/XXXIII—25(21), dated August 17, 1946, I am directed to invite a reference to G. O. No. B-3979/XV—360-1944, dated May 8, 1945 in which

sanction was accorded, with effect from July, 1945, to the exemption from payment of tuition fee of Scheduled Caste students reading in aided Anglo-Hindustani Schools and Colleges whose parents or guardians were not in a position to pay.

2. With a view to grant additional facilities to such students the Governor has been pleased to sanction, with effect from July, 1947, the exemption from the payment of games fees, library fee and medical fee of those Scheduled Caste students reading in Anglo-Hindustani institutions whose guardians are unable to pay. These exemptions have been granted on the same terms and conditions as laid down in para. 2 of the G. O. referred to above.

3. Necessary provision to meet the charge has been provided in the budget of the current financial year (1947-48) under the head "37—Education—E—Secondary—(*b*) Direct grants to non-Government Secondary Schools—Boys—Other Schools—Recurring Maintenance".

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION
UNITED PROVINCES.

No. HS/1805/XXXIII—22(21) *Dated Allahabad, June* 16, 1947.
Copy forwarded to the :—

1. Inspectors of Schools, United Provinces.

2. The Inspectresses of Girls Schools, United Provinces, for information and necessary action.

(Sd.) RAMA NAND,
Office Superintendent,
for *Director of Public Instruction,*
United Provinces.

Copy of G. O. No. B—2141/XV—313-44, dated July 4, 1944 from the Secretary to Government, United Provinces, Education (B) Department, to the Director of Public Instruction, United Provinces.

Reference your letter No. D-403/XXXIII—13(2), dated May 10, 1944 in so far as it relates to resolution No. 3 passed at the Scheduled Castes Conference held by A. F. D. on April 15, 1944, regarding freeship and stipends.

2. After full consideration the Governor has been pleased to order that with effect from July 1, 1944 all scheduled caste students (both boys and girls) reading in Government Anglo Vernacular institutions, who are exempted from the payment of Games and Medical fees, the exemption from the payment of games fee will involve a loss to the games fund, which will be reimbursed by the Government. You should allot an amount to each institution up to the loss thus suffered by it. The head of the institution will draw the amount from the treasury month wise and credit it to the games fund account.

3. The charge on this account will be debited to the head "37—Education—B—Secondary (including Intermediate Classes)—(*a*) Government Secondary Schools—4. Contingencies—Non-Contract—other Charges" of the budget and will during the current financial year be met by appropriate head.

4. The Governor has also been pleased to approve of the instructions issued by you to the Inspectors of Schools that the question of exemption from fees of the scheduled castes students and the award of the stipends to them should ordinarily be decided in the beginning of the school session.

Necessary draft amendments to the Educational Code may be submitted for the approval of Government.

No. B-2141-1/XV—313-1944.

FINANCE DEPARTMENT

Copy forwarded for information to the Accountant General, United Provinces, Allahabad.

OFFICE OF THE HARIJAN SAHAYAK OFFICER,
UTTAR PRADESH

No. HS-2812/IX—52-43 *Dated Lucknow, March* 24, 1953.

Copy forwarded for information to :

1. All District Inspectors of Schools in Uttar Pradesh.
2. Principals of all Government Higher Secondary Schools in Uttar Pradesh.

Sd.) T. P. WAHI,
Assistant Harijan Sahayak Officer,
for *Harijan Sahayak Officer,*
Uttar Pradesh.

Copy of Para. No. 159-A of the Educational Code, U. P.

Para. 159A—The concessions allowed under paragraphs 115 and 116 may also be given to scholars, whose parents are too poor to pay conveyance fee subject to the limit laid down in the aforesaid paragraphs. Concessions in conveyance fee may also be allowed to girls on the conditions laid down in paragraph 113. Scheduled castes students whose parents are too poor to pay, shall be exempted from the payment of conveyance fee.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

BASIC READER PART I

1.	M/s Allahabad Law Journal Co. Ltd., 5, Prayag Street, Allahabad	4 Lakhs
2.	,, Indian Press Ltd., 36 Pannalal Road, Allahabad	4 Lakhs
3.	,, Anupam Press, Meerut, c/o The People, Lalbagh, Lucknow	1 Lakhs
4.	,, Prem Printing Press, Aminuddaula, Park Lucknow	1 Lakh
5.	,, Aryavarta Praksahan, Dharamshala Road, Charbagh, Lucknow	50,000
6.	,, Lok Sevak Prakashan, Bulanala, Banaras ..	50,000
7.	,, Jan Sewak Press, Dalmandi, Railway Road Bulandshahr	50,000
8.	,, Shanti Press, Subzimandi, Budaun ..	50,000

BASIC READER PART II

1.	M/s. Raja Ram Kumar Press, Newal Kishore Road Lucknow	4 Lakhs
2.	,, Sansar Press, Kashipura, Banaras ..	1 Lakhs
3.	,, The Leader, Leader Road Allahabad ..	50,000
4.	,, Rohitas Prakashan, P. O. Sadhuvarti, Azamgarh	50,000
5.	,, Central Book Depot, Johnstonganj, Allahabad	50,000
6.	,, Ram Prasad Sons, Hospital Road, Agra	50,000

BASIC READER PART III

1.	M/s. Job Press, The Mall, Kanpur	2 1/2 Lakhs
2.	,, Rajasthan Prakashan Mandal, Pandariba Lucknow	50,000
3.	,, New Thought Press, 168-A, Colonelganj, Allahabad	50,000
4.	,, Brij Kaushal Press, 13-A Muir Road, Allahabad	50,000
5.	,, Shri Bharatiya Prakashan, 10, Aminabad Park, Lucknow	50,000
6.	,, Ganga Sahitya Sadan, Pul Jhaulal Lucknow	50,000

7.	M[s. Nav Bharat Press, Nadan Mahal Road Lucknow.	50,000
8.	,, Kalyan Press, Jaunpur	50,000
9.	,, Sahitya Kuteer, Gwynne Road, Lucknow ..	50,000
10.	,, Ganga Press, Ashraf Tola, Hardoi ..	50,000
11.	,, Prem Press, 135 Katra Road, Allahabad ..	50,000

BASIC READER PART IV

1.	M/s. Oudh Publishing House, Pandariba, Lucknow	2 Lakhs.
2.	,, Azad Press, Shahjahanpur	25,000
3.	,, Sharda Press, 114, Katra Road Allahabad—2	25,000
4.	,, Bhugol Karayalaya, Kakrahagaht, Allahabad	25,000
5.	,, Sahitya Ratan Bhandar, 4 Gandhi Marg. Agra	25,000
6.	,, Ramji Das Gupta and Sons, Chhata Bazar Mathura	25,000
7.	,, Shiromani Bors., 18 Rawatpara, Agra ..	25,000
8.	,, Ram Dayal Agarwal, 216 Katra Road Allahabad	25,000

BASIC READER PART V

1.	M/s. Laxmi Narain Agarwal, Hospital Road, Agra	1 1/2 Lakhs.
2.	,, Sharda Prakashan, 56 Jatan Marg, Meerut	25,000
3.	,, Gupta Printing Press, Station Road, Mahadeo Bhawan, Deoria	25,000
4.	,, Nutan Printing Press, 15 Rawat Para, Agra..	25,000
5.	,, Singhal Printing Press, Chowk Bazar, Bulandshahr.	25,000
6.	,, Bharat Wasi Press, Daraganj, Allahabad ..	25,000

BASIC ARITHMETIC PART II

1.	M/s. Prem Printing Press, Aminuddaula Park, Lucknow	50,000
2.	,, Rastogi and Co., near Tahsil, Meerut ..	25,000
3.	,, Kayastha Pathshala Press, 4 Kamla Nehru Road Allahabad	25,000
4.	,, Job Press, 99 Hewett Road, Allahabad (Industrial and Commercial Service) ..	25,000
5.	,, Prabhat Press, Nauchandi Grounds, Meerut	25,000
6.	,, Bal Sansar Karyalaya, K-46/40 Hartirth, Banaras..	25,000
7.	,, Shishu Karyalaya, Allahabad	25,000

BASIC ARITHMETIC, PART III

1.	M/s.	Bhargava Bhushan Press, Gaighat, Banaras	1 1/2 Lakhs
2.	,,	Bansal Press, Bansal Building, Chippi Tola Road, Agra	25,000
3.	,,	Bombay Bhushan Press, Mathura ..	25,000
4.	,,	Onkar Press, 56 K. P. Kakkar Road, Allahabad	25,000
5.	,,	Agra Popular Press, Moti Katra, Agra (Branch 9, Bank, Road Allahabad) ..	25,000

BASIC ARITHMETIC, PART IV

1.	M/s.	Gupta Bros., Gupta Building, Khurja Distt. Bulandshahr	1 1/2 Lakhs
2.	,,	Educational Emporium Agarwal Building, Hewett Road, Lucknow	25,000
3.	,,	Maheshanand and Sons., Ashok Nagar, Lucknow	25,000
4.	,,	Saraswati Prakashan, Chriwali Thok, Mathura	25,000

BASIC ARITHMETIC PART V

1.	M/s.	Hindi Pracharak Pustakalya, Gyanwapi, Banaras, (Vidya Mandir Press)	1 Lakhs
2.	,,	Sasta Sahitya Bhandar, Aminuddaula Park, Lucknow	25,000
3.	,,	Universal Press, 19 Sheocharan Lal Road, Allahabad	25,000
4.	,,	Kumar Publishers, 28 Abbot Road Lucknow	25,000
5.	,,	Allahabad Oriental Press, Aminuddaula Park, Lucknow	25,000

KRISHI AUR SARAL VIGYAN, PART I

1.	M/s.	Maxwell Printing Press, 66 La Touche Road, Lucknow	2 Lakhs
2.	,,	Pustak Bhawan, Station Road, Hardoi ..	25,000
3.	,,	Prabhat Electric Press, Chaumukhapur, Moradabad	25,000
4.	,,	Hindi Bhavan, Kalpi	25,000
5.	,,	Industrial Art Printers, Shalimar Building, Rail Bazar, Kanpur	25,000
6.	,,	Bharat Bharti Prakashan, Western Kutchery Road, Meerut	25,000
7.	,,	Rajpur Co., Vijay Nagar, Naka Hindola, Lucknow	25,000
8.	,,	Gupta Bros., Mandi Dhanaura, Moradabad	25,000

PART II

1.	M/s.	Ram Narain Lal, Katra Road, Allahabad	1 1/2 Lakhs
2.	,,	Rajkamal Kala Prakashan, 40 Bulanala, Banaras	25,000
3.	,,	Janmat Press, Shahjahanpur	25,000
4.	,,	Jeewan Printing Press, Aminuddaula Park Lucknow	25,000
5.	,,	Kala Mandir, Daraganj, Allahabad ..	25,000

PART III

1.	M/s.	Gaya Prasad and Sons, Bankey Vilas, City Station Road, Agra	1 1/2 Lakhs
2.	,,	Malhipur Branch Press,, Saharanpur ..	25,000
3.	,,	Kumar Press, Kumar Buildings, Chaumukhapur, Moradabad	25,000

KRISHI VIGYAN FOR CLASS VI

1.	M/s.	Allahabad Law Journal Press. 5 Prayag Street, Allahabad	50,000
2.	,,	Saraswati Publishing House, 9 Hamilton Road, Allahabad	25,000
3.	,,	Subhash Chandra Publishing Society Unchamandi, Allahabad	25,000
4.	,,	Surya Prakashan Bhawan, Aminabad Prak Lucknow	25,000
5.	,,	National Printing and Publishing House, 26 Station Road, Lucknow	25,000
6.	,,	Agra Book Stores Rawatpara, Agra ..	25,000
7.	,,	Adhikari Press, Fatehgarh	25,000

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

जिला सीतापुर में चोरी, डकैती तथा कत्लों का विवरण

क्रम संख्या	थानों के नाम	चोरी			डकैती			कत्ल		
		१९५२—५३	१९५३—५४	१-४-५४ से ३१-८-५४ तक	१९५२—५३	१९५३—५४	१-४-५४ से ३१-८-५४ तक	१९५२—५३	१९५३—५४	१-४-५४ से ३१-८-५४ तक
१	बिसवां	९९	४४	१५	४	१	—	—	४	—
२	सदरपुर	४२	३२	५	—	२	—	२	५	२
३	थान गांव	१९	४०	६	१	१	१	३	४	३
४	टमबौर	३६	३६	१२	—	—	—	—	—	१
५	महमूदाबाद	४७	३३	१७	१	४	१	४	२	१
६	ताल गांव	५५	४१	७	५	२	—	२	४	४
७	सिधौली	७८	५४	३१	१	३	१	१	२	३
८	कमला पुर	५७	५०	२७	१	२	१	२	४	—
९	कोतवाली	२६१	१२८	७६	४	२	१	१	६	४
१०	महोली	१०६	५९	२६	४	५	—	५	४	१
११	हरगांव	६३	९३	१८	३	४	१	३	२	३
१२	मिसरिख	५४	५४	२४	२	२	१	१	३	१
१३	पिसावां	३०	५१	७	१	३	२	२	२	१
१४	संधना	४५	३६	११	३	—	—	३	३	१
१५	खैराबाद	५६	२५	१४	४	—	—	२	१	—
१६	लहरपुर	२७	२२	१३	—	—	२	—	२	१

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२३४ एल० ए०—१९५४—८५० ।